

बृहन्मुंबई विद्युत पुरवठा आणि परिवहन उपक्रम
(बृहन्मुंबई महानगरपालिका)



आर्थिक वर्ष २०१२-१३, आ.व.२०१३-१४ आणि
आ.व. २०१४-१५ साठी चे अंतिम समायोजन
आ.व. २०१५-१६ चे अंतरिम समायोजन
आणि तिसऱ्या बहुवार्षिक नियंत्रण कालावधी
आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका

(२०१६ चे प्रकरण क्र. ३३)

कार्यकारी सारांश

तिसऱ्या पैकी दुसरा खंड
एप्रिल, २०१६

अनुक्रमणिका

| | | |
|------|---|----|
| १. | कार्यकारी सारांश | ०८ |
| १.१ | पार्श्वभूमी | ०८ |
| १.२ | बेस्ट उपक्रमाचा विशिष्ट दर्जा | ०९ |
| १.३ | परिवहन विभागाची तूट | १० |
| २. | बेस्टच्या पुरवठा क्षेत्रात समांतर परवाना प्रवर्तन | १६ |
| ३. | आ.व. २०१२-१३ चे समायोजन | १७ |
| ३.१ | ऊर्जा विक्री आणि ऊर्जा संतुलन | १७ |
| ३.२ | आ.व. २०१२-१३ चा ऊर्जा खरेदी खर्च | १८ |
| ३.३ | संचालन व देखभाल खर्च | १९ |
| ३.४ | घसारा | २० |
| ३.५ | भांडवल खर्च आणि भांडवलीकरण | २० |
| ३.६ | दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज | २१ |
| ३.७ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज (आयसीडब्ल्यू) | २१ |
| ३.८ | ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | २२ |
| ३.९ | आकस्मित राखीवासाठी योगदान | २२ |
| ३.१० | इतर खर्च | २२ |
| ३.११ | बुडित आणि अनिश्चित कर्ज वसूली तरतूद..... | २२ |
| ३.१२ | आयकर | २३ |
| ३.१३ | भाग भांडवलावरील परतावा | २३ |
| ३.१४ | अंतर्गत निधीवरील परतावा | २३ |
| ३.१५ | वीज विक्री व्यतिरीक्त उत्पन्न | २४ |
| ३.१६ | परिवहन विभागाची तूट | २४ |
| ३.१७ | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहन | २५ |
| ३.१८ | वितरण हानी मधिल घट यासाठी प्रोत्साहन | २६ |
| ३.१९ | प्रवर्तन आणि परिरक्षा खर्चामधिल लाभ किंवा तूटीतील हिस्सा | २६ |
| ३.२० | खेळत्या भांडवलाच्या व्याजाचा लाभ किंवा तूटीतील हिस्सा | २६ |
| ३.२१ | आ.व. २०१२-१३ एकुण महसूल आवश्यकतेचे समायोजन | २७ |
| ३.२२ | आ.व. २०१२-१३ ची महसूल तफावत | २८ |
| ४. | आ.व. २०१३-१४ साठी समायोजन | २८ |
| ४.१ | ऊर्जा विक्री आणि ऊर्जा संतुलन | २८ |
| ४.२ | आ.व. २०१३-१४ चा ऊर्जा खरेदी खर्च | २९ |
| ४.३ | संचालन व देखभाल खर्च | ३० |
| ४.४ | घसारा | ३१ |
| ४.५ | भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण | ३१ |
| ४.६ | आ.व. २०१३-१४ मधील दिर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च | ३२ |
| ४.७ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज (आयसीडब्ल्यू) | ३२ |
| ४.८ | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ३३ |
| ४.९ | आकस्मित राखीव निधीतील अंशदान..... | ३३ |
| ४.१० | इतर खर्च | ३४ |

| | | |
|------|---|----|
| ४.११ | बुडित आणि वसुली अनिशिचत असलेले कर्जाची तरतूद | ३४ |
| ४.१२ | अंतर्गत निधीवरील व भांगभांडवलावरील परतावा | ३४ |
| ४.१३ | वीज दराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ३५ |
| ४.१४ | परिवहन विभागाची तूट | ३५ |
| ४.१५ | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहन | ३६ |
| ४.१६ | वितरण हानी मधिल घट यासाठी प्रोत्साहन | ३७ |
| ४.१७ | संचालन व देखभाल खर्चाचा लाभ किंवा तूटीतील हिस्सा | ३७ |
| ४.१८ | खेळत्या भांडवलाच्या व्याजाचा लाभ किंवा तूटीतील हिस्सा | ३७ |
| ४.१९ | आ.व. २०१३-१४ महसूल आवश्यकतेचे समायोजन | ३७ |
| ४.२० | आ.व. २०१३-१४ ची महसूल तफावत | ३९ |
| ५. | आ. व. २०१४-१५ चे समायोजन | ४० |
| ५.१ | ऊर्जा विक्री | ४० |
| ५.२ | वितरण हानी आणि ऊर्जा संतुलन | ४० |
| ५.३ | आ.व.२०१४-१५ चा ऊर्जा खरेदी खर्च | ४२ |
| ५.४ | संचालन व देखभाल खर्च | ४३ |
| ५.५ | भांडवली खर्च | ४५ |
| ५.६ | घसारा | ४५ |
| ५.७ | दिर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याज | ४६ |
| ५.८ | खेळत्या भांडवली कर्जावरील व्याज | ४६ |
| ५.९ | ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवर व्याज | ४६ |
| ५.१० | आकस्मित राखीव योगदान | ४६ |
| ५.११ | इतर खर्च | ४७ |
| ५.१२ | बुडित आणि अनिशिचत कर्ज वसुलीची तरतूद | ४७ |
| ५.१३ | भाग भांडवलावरील परतावा | ४७ |
| ५.१४ | वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न | ४८ |
| ५.१५ | परिवहन विभागाची तूट | ४८ |
| ५.१६ | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहन | ४९ |
| ५.१७ | वितरण हानी मधिल घट यासाठी प्रोत्साहन | ४९ |
| ५.१८ | खेळत्या भांडवलाच्या व्याजाचा लाभ किंवा तूटीतील हिस्सा | ४९ |
| ५.१९ | मागील महसूल तफावत | ५० |
| ५.२० | सध्याच्या वीजदरानुसार महसूल | ५० |
| ५.२१ | आ.व.२०१४-१५ ची एकूण महसूल आवश्यकतेचे समायोजन | ५१ |
| ६. | आ.व. २०१५-१६ चे समायोजन | ५२ |
| ६.१ | ऊर्जा विक्री | ५२ |
| ६.२ | वितरण हानी आणि ऊर्जा संतुलन | ५२ |
| ६.३ | ऊर्जा खरेदी खर्च | ५३ |
| ६.४ | संचालन व देखभाल खर्च | ५५ |
| ६.५ | भांडवली खर्च | ५६ |
| ६.६ | घसारा | ५७ |
| ६.७ | दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज | ५७ |
| ६.८ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज (आयसीडब्ल्यू) | ५८ |
| ६.९ | ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ५८ |

| | | |
|------|---|-----|
| ६.१० | आकस्मित राखीव करिता अंशदान | ५८ |
| ६.११ | इतर खर्च | ५८ |
| ६.१२ | बुडित आणि वसुली अनिश्चित असलेले कर्जाची तरतूद | ५९ |
| ६.१३ | भाग भांडवलावरी परतावा | ५९ |
| ६.१४ | वीज विक्री व्यतिरीक्त उत्पन्न | ६० |
| ६.१५ | परिवहन विभागाची तूट | ६० |
| ६.१६ | मागील महसूल तफावत | ६१ |
| ६.१७ | २०१२ च्या अपील क्र. २६५ च्या अपिलीय प्राधिकरण विद्युत निर्णयाचा परिपाक | ६२ |
| ६.१८ | बहुवार्षिक वीजदर आदेशाच्या आढाव्याचा परिणाम (२०१३ चे प्रकरण क्र. १६६) | ६२ |
| ६.१९ | सध्याच्या वीजदरानुसार महसूल | ६२ |
| ६.२० | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचे अंतरीम समायोजन | ६२ |
| ७. | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका | ६४ |
| ७.१ | ऊर्जा विक्री | ६४ |
| ७.२ | ऊर्जा संतुलन | ६६ |
| ७.३ | ऊर्जा खरेदी खर्च | ६८ |
| ७.४ | संचालन व देखभाल खर्च | ७५ |
| ७.५ | वेतन कराराचा परिपाक | ७८ |
| ७.६ | भांडवल खर्च आणि भांडवलीकरण | ७९ |
| ७.७ | घसारा | ७९ |
| ७.८ | दिर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज | ८० |
| ७.९ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ८१ |
| ७.१० | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज | ८२ |
| ७.११ | आकस्मित राखीव योगदान | ८२ |
| ७.१२ | इतर खर्च | ८३ |
| ७.१३ | बुडित आणि वसुली अनिश्चित असलेले कर्जाची तरतूद | ८४ |
| ७.१४ | भाग भांडवलावरी परतावा | ८५ |
| ७.१५ | अंतर्गत निधीवरील परतावा | ८६ |
| ७.१६ | वीज विक्री व्यतिरीक्त उत्पन्न | ८६ |
| ७.१७ | परिवहन विभागाची तूट | ८७ |
| ७.१८ | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या महसूल फरकाची वसुली | ८७ |
| ७.१९ | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी एकूण महसूल आवश्यकता सारांश..... | ९० |
| ८. | वीजदर तत्वप्रणाली..... | ९३ |
| ८.१ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या अखेरीस महसुलातील अंदाजित एकत्रित तफावत | ९३ |
| ९. | आकाराची अनुसूची | ११२ |
| १० | दर आकरणी संबंधित समस्या | ११२ |
| ११ | प्रार्थना | ११३ |

तक्ता सूची

| | | |
|----------|--|----|
| तक्ता१: | परिवहन तूटीची स्थिती | १५ |
| तक्ता२: | टीपीसी डी यांनी सादर केलेल्या दक्षिण मुंबईतील त्यांच्या नेटवर्कमुळे झालेली वीज विक्रीत वाढ.. | १७ |
| तक्ता३: | समांतर परवानाधारकांमुळे आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० (एमयू)करिता ऊर्जा विक्रीचा परिणाम. | १७ |
| तक्ता४: | आ.व.२०१२-१३ ची ऊर्जा संतुलन | १८ |
| तक्ता५: | आ.व.२०१२-१३ तील ऊर्जा खरेदी खर्च सारांश | १८ |
| तक्ता६: | आ.व.२०१२-१३ च्या कालावधी साठी दांचालन व देखभाल खर्च (रु. कोटी) | १९ |
| तक्ता७: | आ.व.२०१२-१३ कालाधीचा घसारा (रु. कोटी) | २० |
| तक्ता८: | आ.व.२०१२-१३ मधील भांडवलीकरण (रु. कोटी) | २१ |
| तक्ता९: | आ.व.२०१२-१३ कर्जावरील प्रमाणकस्थापक व्याजाचे विवरण (रु. कोटी) | २१ |
| तक्ता१०: | आ.व.२०१२-१३ मधील ग्राहक ठेवीवरील व्याज (रु. कोटी) | २२ |
| तक्ता११: | आ.व.२०१२-१३ आकस्मिक निधीत योगदान (रु. कोटी) | २२ |
| तक्ता१२: | आ.व.२०१२-१३ मधील भागभांडवलावरील परतावा (रु. कोटी) | २३ |
| तक्ता१३: | अंतर्गत निधीवरील परताव्याचे विवरण(रु. कोटी) | २४ |
| तक्ता१४: | परिवहन विभागातील तूटीचे विवरण (रु. कोटी) | २४ |
| तक्ता१५: | आ.व.२०१२-१३ करिता पुरवठ्याची उपलब्धता | २५ |
| तक्ता१६: | आ.व.२०१२-१३ च्या वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन | २५ |
| तक्ता१७: | आ.व.२०१२-१३ च्या खेळत्या भांडवलावर बदलणाऱ्या व्याजामुळे होणारा लाभ किंवा तूट (रु. कोटी) | २६ |
| तक्ता१८: | आ.व.२०१२-१३ एकूण महसूलाच्या आवश्यकता समायोजन (रु. कोटी) | २७ |
| तक्ता१९: | आ.व.२०१२-१३ ची महसूली तूट (रु. कोटी) | २८ |
| तक्ता२०: | आ.व.२०१३-१४ चे ऊर्जा संतुलन | २९ |
| तक्ता२१: | आ.व.२०१३-१४ चे ऊर्जा खरेदी खर्चाचा सारांश (रु. कोटी) | २९ |
| तक्ता२२: | आ.व.२०१३-१४ च्या कालावधी साठी दांचालन व देखभाल खर्च (रु. कोटी) | ३० |
| तक्ता२३: | आ.व.२०१३-१४ कालावधीचा घसारा (रु. कोटी) | ३१ |
| तक्ता२४: | आ.व.२०१३-१४ मधील भांडवलीकरण (रु. कोटी) | ३२ |
| तक्ता२५: | आ.व.२०१३-१४ कर्जावरील प्रमाणकस्थापक कर्जाच्या व्याजाचे विवरण (रु. कोटी) | ३२ |
| तक्ता२६: | आ.व.२०१३-१४ मधील ग्राहक ठेवीवरील व्याज (रु. कोटी) | ३३ |
| तक्ता२७: | आ.व.२०१३-१४ आकस्मिक निधीत योगदान (रु. कोटी) | ३३ |
| तक्ता२८: | आ.व.२०१३-१४ मधील इतर खर्चाचे विवरण | ३४ |
| तक्ता२९: | आ.व.२०१३-१४ मधील भागभांडवलावरील परतावा (रु. कोटी) | ३४ |
| तक्ता३०: | आ.व.२०१३-१४ मधील प्रत्यक्ष परिवहन विभागातील तूट (रु. कोटी) | ३५ |
| तक्ता३१: | आ.व.२०१३-१४ च्या वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन | ३६ |
| तक्ता३२: | आ.व. २०१३-१४ च्या खेळत्या भांडवलावर बदलणाऱ्या व्याजामुळे होणारा लाभ किंवा तूट (रु. कोटी) . | ३७ |
| तक्ता३३: | आ.व. २०१३-१४ एकूण महसूलाच्या आवश्यकता केलेली समायोजन (रु. कोटी) | ३८ |
| तक्ता३४: | आ.व. २०१२-१३ च्या अखेरीस सुधारीत एकूण महसूली तूट (रु. कोटी) | ३९ |
| तक्ता३५: | आ.व. २०१३-१४ ची महसूली तूट (रु. कोटी) | ४० |
| तक्ता३६: | आ.व. २०१४-१५ चे ऊर्जा संतुलन | ४१ |
| तक्ता३७: | आ.व. २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष ऊर्जा खरेदी | ४२ |
| तक्ता३८: | आ.व.२०१४-१५ च्या कालावधी साठी दांचालन व देखभाल खर्च (रु. कोटी) | ४३ |

| | |
|--|----|
| तक्ता३९: आ.व.२०१४-१५ कालावधीचा घसारा (रू. कोटी) | ४५ |
| तक्ता४०: आ.व.२०१४-१५ कर्जावरील प्रमाणक स्थापक व्याज | ४६ |
| तक्ता४१: आ.व.२०१४-१५ चा इतर खर्च | ४७ |
| तक्ता४२: आ.व.२०१४-१५ चा भागभांडवली परतावा | ४८ |
| तक्ता४३: वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन | ४९ |
| तक्ता४४: आ.व.२०१४-१५ च्या खेळत्या भांडवलावरील व्याजाच्या लाभ किंवा तूटीचा हिस्सा | ४९ |
| तक्ता४५: मागील महसूल तूट | ५० |
| तक्ता४६: आ.व.२०१४-१५ चे एकूण महसूली आवश्यकतेचे समायोजन | ५१ |
| तक्ता४७: आ.व.२०१५-१६ चे ऊर्जा संतुलन | ५२ |
| तक्ता४८: आ.व.२०१५-१६ चे अंदाजित ऊर्जा खरेदी | ५४ |
| तक्ता४९: आ.व.२०१५-१६ चे संचालन व देखभाल खर्च | ५५ |
| तक्ता५०: आ.व.२०१५-१६ चा घसारा खर्च | ५७ |
| तक्ता५१: आ.व.२०१५-१६ च्या कर्जावरील प्रमाणक स्थापक व्याज | ५७ |
| तक्ता५२: आ.व.२०१५-१६ च्या खेळत्या भांडवलावरील प्रमाणक स्थापक व्याज | ५८ |
| तक्ता५३: आ.व.२०१५-१६ चा इतर खर्च | ५९ |
| तक्ता५४: आ.व.२०१५-१६ चा भागभांडवली परतावा | ५९ |
| तक्ता५५: आ.व.२०१५-१६ मधील परिवहन विभागाची तूट | ६० |
| तक्ता५६: मागील महसूल तूट | ६१ |
| तक्ता५७: आ.व.२०१५-१६ चे एकूण महसूली आवश्यकतेचे तात्पुरते समायोजन | ६२ |
| तक्ता५८: आ.व.२०१०-११ ते २०१५-१६ मधील प्रवर्ग प्रमाणे वीज विक्री (एमयू) आणि सीएजीआर | ६५ |
| तक्ता५९: समांतर परवानाधारकामुळे आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० करिता ऊर्जा विक्रीचा (एमयू) परिणाम | ६६ |
| तक्ता६०: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० (एमयू) मध्ये वीज मागणी व्यवस्थापन परिणाम | ६६ |
| तक्ता६१: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० करिता ऊर्जा संतुलन | ६७ |
| तक्ता६२: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० टीपीसीजी ची निर्मिती (एमयू)..... | ६९ |
| तक्ता६३: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० टीपीसी जी चा अंदाजे अस्थिर खर्च | ६९ |
| तक्ता६४: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० टीपीसी जी चा अनुमानित स्थिर आणि एकूण खर्च | ७० |
| तक्ता६५: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी नविनक्षम ऊर्जा () | ७० |
| तक्ता६६: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी स्त्रोताप्रमाणे नविनक्षम ऊर्जा खरेदी (एमयू) | ७१ |
| तक्ता६७: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी स्त्रोताप्रमाणे नविनक्षम ऊर्जा खरेदी खर्च | ७२ |
| तक्ता६८: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी बाह्य स्त्रोतापासून ऊर्जा खरेदी | ७३ |
| तक्ता६९: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी पारिषण आकार, एमएसएलडीसी आकार आणि राखीव आकार | ७३ |
| तक्ता७०: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी ऊर्जा खरेदी सारांश | ७४ |
| तक्ता७१: संचालन व देखभाल अनुमानित वृद्धी % | ७७ |
| तक्ता७२: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी संचालन व देखभाल खर्चाचा सारांश | ७८ |
| तक्ता७३: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी वेतन पुर्नर्विलोकनाचा परिणाम | ७८ |
| तक्ता७४: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण | ७९ |
| तक्ता७५: आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० साठी घसारा..... | ७९ |
| तक्ता७६: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० च्या कर्जावरील प्रमाणक स्थापक व्याज | ८० |
| तक्ता७७: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० च्या खेळत्या भांडवलावरील प्रमाणक स्थापक व्याज | ८१ |
| तक्ता७८: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज | ८२ |

| | |
|--|----|
| तक्ता७९: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० आकस्मिक निधीत योगदान | ८३ |
| तक्ता८०: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी इतर खर्च | ८३ |
| तक्ता८१: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० चा बुडीत व वसुली अनिश्चित असलेल्या कर्जाची तरतूद | ८४ |
| तक्ता८२: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० चा भागभांडवलावरील परतावा | ८५ |
| तक्ता८३: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० चा अंतर्गत निधीवरील परतावा | ८६ |
| तक्ता८४: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० वीजदराव्यतिरीक्त उत्पन्न | ८६ |
| तक्ता८५: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी परिवहन विभागाची तूट | ८७ |
| तक्ता८६: आ.व.२०१३-१४ ते २०१५-१६ साठी महसूली तूटीची मागील वसूली | ८८ |
| तक्ता८७: आ.व.२०१३-१४ ते २०१५-१६ साठी महसूली तूटीची मागील वसूली चा सरासरी परिणाम | ८९ |
| तक्ता८८: आ.व.२०१३-१४ ते २०१५-१६ साठी महसूली तूटीची मागील वसूलीचा एकत्रित सरासरी परिणाम | ८९ |
| तक्ता८९: आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश | ९० |
| तक्ता९०: वितरण वायर व्यवसायासाठी (मागील वसूली वगळून) आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश | ९१ |
| तक्ता९१: किरकोळ पुरवठा व्यवसायासाठी (मागील वसूली वगळून) आ.व.२०१६-१७ ते २०१९-२० साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश | ९२ |
| तक्ता९२: आ.व. २०१५-१६ च्या अखेरीस एकत्रित महसूली तूट | ९३ |
| तक्ता९३: बहुवर्षिय नियंत्रण कालावधीतील वार्षिक महसूली तूट | ९४ |
| तक्ता९४: प्रस्तावित वीजदरापासून वीज व्यवसायाची एकूण महसूली आवश्यकता वसूली | ९६ |
| तक्ता९५: परिवहन आणि वीज व्यवसाया करिता प्रस्तावित वीजदर वाढ | ९७ |
| तक्ता९६: प्रस्तावित क्रॉस-सबसिडी टुकेवारी | ९९ |

१. कार्यकारी सारांश

१.१ पार्श्वभूमी

१.१.१ महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाने मुद्रांकित केलेल्या एम.इ.आर.सी. (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०११ (यानंतर बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११ असे संबोधिले जाईल). हे विनियम नियंत्रणाचा दुसरा कालावधी आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१५-१६ ला लागू आहेत.

१.१.२ बहुवार्षिक वीजदर, विनियम, २०११ च्या आधाराने बेस्टने बहुवार्षिक वीजदर व्यवसाय आराखडा याचिका दुसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी २५ ऑगस्ट २०११ ला सादर केली. मा. आयोगाने व्यावसायिक आराखड्यांसंबंधात आदेश, प्रकरण क्र. २०११ च्या १२४, अन्वये दिनांक १५ जानेवारी २०१३ रोजी जाहीर केला.

१.१.३ बेस्टने दुसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी दाखल केली. मा. आयोगाने बेस्ट उपक्रमाच्या आर्थिक वर्ष २०१२- १३ ते आ.व. २०१५ -१६ या दुसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१३ ला बहुवार्षिक वीजदर आदेश जाहीर केला.

१.१.४ बेस्टने बहुवार्षिक वीजदर आदेशाच्या पुनर्विलोकनासाठी दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०१३ रोजी याचिका सादर केली. मा. आयोगाने २०१३ च्या प्रकरण क्रमांक १६६ मध्ये, दिनांक ९ जानेवारी, २०१६ रोजी, आदेश देताना अतिरिक्त रक्कम, ७.३१ करोड रुपये वसूल करण्यासाठी परवानगी दिली आणि बेस्टला असा निर्देश दिला कि, सदर रक्कम मध्यावधी पुनर्विलोकन याचिकेमध्ये अंतर्भूत करावी.

१.१.५ बेस्टने दुसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी मध्यवर्ती पुनर्विलोकनाची याचिका, आ.व. २०१३-१४ चे लेखपाल हिशोब आणि निर्देशित नमुन्याच्या विवरणा सोबत मध्यावधी कामगिरी पुनर्विलोकनासाठी १२ फेब्रुवारी २०१५ ला सादर केले.

१.१.६. मा. आयोगाने बेस्टच्या मध्यावधी कामगिरी पुनर्विलोकनासाठी सदर याचिकेसाठी (प्रकरण क्र. २६, २०१५) दिनांक ५ मार्च, २०१५ आणि ४ ऑगस्ट २०१५ ला तांत्रिक पडताळणी संत्र घेतले त्यानंतर बेस्टने मा. आयोगाकडून प्राप्त झालेल्या माहिती तफावती संदर्भातील प्रश्न तसेच तांत्रिक वैधानिक संत्राच्या नोंदीसंदर्भातील उत्तरे मा. आयोगास सादर करण्यात आली.

१.१.७ बेस्टनी म.वि.नि.आ. (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०११ च्या तरतूदीनुसार आणि मा. आयोगाच्या सूचनांच्या आधारे जुलै ३, २०१५ ला सुधारीत मध्यावधी पुनर्विलोकन याचिका सादर केली.

१.१.८ मध्यतराच्या काळामध्ये मा. आयोगाने दि. ८ डिसेंबर, २०१५ ला म.वि.नि.आ. (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २००५, निर्देशात, परवानाधारकांना १५ जानेवारी, २०१६ पूर्वी याचिका दाखल करण्यासाठी सूचित केले. हे विनियम आ.व. २०१६-१७ ते आ.व. २०१९-२० या तिसऱ्या बहुवार्षिक नियंत्रण कालावधीसाठी लागू आहेत.

१.१.९ बेस्टने म.वि.नि.आ. (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०१५ विनियम कलम ५.१ नुसार याचिका दाखल केली

"5.1..... a) Multi-Year Tariff Petition shall be filed by January 15, 2016, comprising

i. *Truing-up for FY 2014-15 to be carried out under the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff) Regulations, 2011:*

Provided that the Commission may, if it considers appropriate, carry out the Truing-up for years prior to FY 2014-15 under the Maharashtra Electricity Regulatory Commission (Multi Year Tariff) Regulations, 2011, along with the Truing-up for FY 2014-15, in case such Truing-up is yet to be completed;

- १.१.१० दोन समांतर याचिकाची, सुनावणी प्रक्रिया आणि तांत्रिक पडताळणीसाठी पुनरावर्ती पोटी होणारा अपव्यय टाळण्यासाठी बेस्टने मा. आयोगास दिनांक २३ डिसेंबर, २०१५ च्या पत्राने अशी विनंती केली की, एक तर त्यांनी आ.व. २०१२-१३ आणि २०१३-१४ ची मध्यवधी पुनर्विलोकन च्या बहुवार्षिक वीजदर याचिके सोबत (प्रकरण २६, २०१५) ही तिसऱ्या कालावधीसाठी विचारात घ्यावी किंवा बेस्टला सादर (२०१५ चे प्रकरण क्र. २६) ची याचिका परत घेण्याची आणि आ.व. २०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४ चे समायोजन तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीच्या बहुवार्षिक वीजदर याचिकेत अंतर्भूत करून याचिका दाखल करण्यास परवानगी द्यावी.
- १.१.११ मा. आयोगाने त्यांच्या दिनांक १२.०१.१६ च्या पत्राद्वारे २०१५ चे प्रकरण क्र.२६ ची याचिका परत घेण्याची तसेच आ.व.२०१२-१३ आणि आ.व. २०१३-१४ चे समायोजन हा ५.१ (अ)बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०१५ च्या अंतर्गत बहुवार्षिक वीजदरयाचिकेचा हिस्सा म्हणून सादर करण्याची परवानगी दिली.
- १.१.१२ बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०१५ नुसार मागितलेली माहिती फार मोठ्या स्वरूपाची व गुंतागुंतीची असल्याने बेस्टने दिनांक ११ जानेवारी, २०१६ ला पत्राद्वारे मा. आयोगाला तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका सादर करावयाच्या कालावधीची वेळ एक महिन्याने वाढविण्याचे विनंती पत्र दिले. जेणेकरून सादर बहुवार्षिक वीजदर याचिका १५ फेब्रुवारी २०१६ पूर्वी सादर करता येईल. मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर याचिका १५ फेब्रुवारी २०१६ पर्यंत सादर करण्याची बेस्टला परवानगी दिली.
- १.१.१३ बेस्ट आ.व. २०१२-१३ ते आ.व. २०१३-१४ मा. आयोगाने (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०११ नुसार अंतिम समायोजन तसेच मा. आयोगाने (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०१५ नुसार आ.व. २०१५-१६ करिता अंतरिम समायोजन करण्यासाठी याचिका सादर करत आहे. बेस्ट आ.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० या कालावधीसाठी वार्षिक महसूल आवश्यकता तसेच वीजदर निश्चित करण्यासाठी आयोगाचे (बहुवार्षिक वीजदर) विनियम, २०१५ नुसार याचिका सादर करत आहे.

१.२ बेस्ट उपक्रमाचा विशिष्ट दर्जा

- १.२.१ पूर्वी बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाय अँड ट्रामवेज कंपनी (बीईएसटी) मुंबई/ शहरात वीज पुरवठा कंपनी म्हणून १९०५ साली चालू झाली. सन १९४७ मध्ये सादर कंपनीचे महानगरपालिकाकरण झाल्याने ती बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचा उपक्रम आहे आणि तिचा व्यवसाय जुन्या शहराच्या सीमे अंतर्गत विद्युत पुरवठा करणे आणि सार्वजनिक परिवहन (बस वहातूक) सुविधा संपूर्ण शहरात आणि उपनगरात आणि लगतच्या इतर शहरामध्ये पुरवणे असा आहे.

१.२.२ बेस्ट विद्युत कायदा २००३ अंतर्गत (ह्यानंतर कायदा म्हणून संबोधिले जाईल.) 'स्थानिक संस्था' म्हणून ओळखली जाऊ लागली. पुर्वीपासूनच दोन्ही व्यवसायांच्या विद्युत पुरवठा विभाग आणि परिवहन विभाग कारभारासाठी समाईक प्रशासकीय व्यवस्था स्थापन केली. सध्याचा कायदा अस्तित्वात येण्याआधी विद्युत संस्थांचा महसूल, विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ च्या परिशिष्ट ६ च्या तरतूदीनुसार मंजूर करावा लागत होता. तथापि बेस्ट उपक्रम 'स्थानिक संस्था' असल्यामुळे बेस्टला विद्युत पुरवठा कायदा १९४८ च्या परिशिष्ट ६ च्या तरतूदी पासून सूट देण्यात आली होती. बेस्ट ही 'स्थानिक संस्था' असल्यामुळे मुंबईशहराच्या नागरीकांना वीज पुरवठा व सार्वजनिक वाहतूक या आवश्यक सेवा किफायतशीर दराने पुरविण्याच्या सामाजिक दायित्वाने प्रेरित होऊन, विभागाचे अधिक्य वहातूक विभागास अर्थ सहाय्य देण्यासाठी वापरले जात होते.

१.३ परिवहन विभागाची तूट

स्थानिक संस्थाना विद्युत कायदा २००३ अन्वये दिलेली सुट:

१.३.१ बेस्ट असे सादर करते की विद्युत कायदा २००३ च्या अन्वये विद्युत वितरण व्यवसायामधिल स्थानिक संस्थाना काही सुट कलम ५१ च्या अंतर्गत देण्यात आल्या त्याचे उद्बोधन खालील प्रमाणे:

"Section 51. (Other businesses of distribution licensees):

A distribution licensee may, with prior intimation to the Appropriate Commission, engage in any other business for optimum utilisation of its assets:

Provided that a proportion of the revenues derived from such business shall, as may be specified by the concerned State Commission, be utilised for reducing its charges for wheeling : Provided further that the distribution licensee shall maintain separate accounts for each such business undertaking to ensure that distribution business neither subsidises in any way such business undertaking nor encumbers its distribution assets in any way to support such business.

Provided also that nothing contained in this section shall apply to a local authority engaged, before the commencement of this Act, in the business of distribution of electricity."
(emphasis added)

माननीय आयोगाच्या २००४ चे प्रकरण क्रमांक ४ आणि मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत (अॅपटेल) यांच्या अपील २००६ च्या ६१ क्रमांकांन्वये नाकारलेली परिवहन विभागाची तूट.

१.३.२ बेस्ट स्थानिक स्वराज्य संस्था असल्यामुळे, तिला कलम ५१ च्या कक्षेतून वगळले आहे त्यानुसार बेस्टने आ.व. २००४-०५ आणि आ.व. २००५-०६ यांच्या महसूल आवश्यकता याचिकेमध्ये परिवहन विभागाची तूट समाविष्ट केली होती. मा. आयोगाने सदर दावा आपल्या दिनांक ९ मार्च, २००६ च्या प्रकरण २००४ च्या आदेशान्वये मान्य केलेला नाही. हा आदेश मान्य नसल्याने बेस्टने मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत (एटीइ) समोर त्याबाबत २००६ च्या प्रकरण क्र. ६१ अन्वये अपील केले होते. मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांनी बेस्टला परिवहन व्यवसाय चालू ठेवण्यास हरकत नसल्याचे सांगितले. परंतु बेस्ट किंवा विद्युत वितरण व्यवसाय व परिवहन व्यवसाय वा इतर व्यवसायाला अर्थसहाय्य किंवा आधार देण्याचा अधिकार नाही. मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांनी दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ च्या निकाल पत्रातील परिच्छेद ५६ आणि ५७ मधील खालील उताऱ्याप्रमाणे.:

“Para 56. In the considered view of this Tribunal, the appellant may continue to carry on the transport business in addition to the distribution of electricity as a local authority engaged in such businesses. Yet that will not enable the appellant or authorize electricity business to subsidise the transport business nor it could support the said transport business or any other business carried by the appellant. If the contention advanced on behalf of the appellant is to be sustained, it would result in excluding the entire distribution of the Appellant Corporation from the provisions of The Electricity act, 2003, which is not the intendment of the Legislature. The interpretation advanced on behalf of the appellant cannot be sustained.

Para 57. In the light of the above discussions and in the light of the Pronouncements referred, we hold that the construction placed on Section 51 of The Electricity Act by MERC is sustainable. Consequently, points 3, 4 and 5 are answered against the appellant and in favour of the first respondent” (emphasis added)

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या अपिल क्र. ८४८ वर दिलेल्या आदेशाने मा. अपिलिय प्राधिकरण विद्युत यांनी अपील २००६ च्या प्रकरण क्र. ६१ मध्ये दिलेला निकाल रद्दबादल केला.

- १.३.३ मा. अपिल प्राधिकरण विद्युत यांच्या दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ च्या निकाल मान्य नसल्याने ‘बेस्टने’ ने अपील मा. सर्वोच्च न्यायालयासमोर दिवाणी २००७ च्या अपील ८४८ अन्वये दाखल केले मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ ला खालील प्रमाणे आदेश दिला आहे.

“Undisputedly the appellant was engaged inter alia in the business of distribution of electricity prior to the commencement of the Act. In our opinion it would not be correct to hold that despite the third proviso to Section 51 of the Act, the distribution licensee must not only maintain separate accounts for each of its businesses but must also ensure that the electricity distribution business should not subsidize the other business undertakings. Hence the view of the Tribunal in paragraphs 56 and 57 of its order is not correct.

In our opinion in view of the third proviso to Section 51 of the Act a certain limited electricity distribution licensees are exempt from the operation of the Section insofar as the requirement of prior intimation to the commission or the obligations of the first and second proviso are concerned. The appellant is admittedly doing business of transport besides electricity distribution for several decades.

On the facts of the case, we are of the opinion that the third proviso to Section 51 of the Act applies and hence the impugned judgment and order cannot be sustained. The appeal is allowed. The impugned judgment and order is set aside”. (emphasis added)

- १.३.४ मा. अपिलीय प्राधिकरण यांनी अपील २००६ च्या क्रमांक ६१ अन्वये दिनांक १८ ऑगस्ट २००६ रोजी निकाल देताना त्यात परिच्छेद ५७ मध्ये असा निष्कर्ष काढला की मुद्दे क्र.३,४ आणि ५ जे वीजदरामध्ये वहातूक विभागाची तूट समाविष्ट करणे आणि बेस्टचा विद्युत वितरण व्यवसाय, त्यांच्या वाहतूक व्यवसायास अर्थसहाय्य करू शकतो का या संबंधित आहेत, ते बेस्टच्या विरोधात निकाली काढले जात आहेत. मा. अपिलीय प्राधिकरणानी दिलेल्या निकालात मुद्दे ३,४ व ५ च्या संदर्भात खालीलप्रमाणे उद्घोषित केले आहे.

“III. Whether the appellant, a distribution licensee, could seek for fixation of its Annual

Revenue Requirement including its transport business carried on by it and seek for fixation of tariff so as to subsidise its transport business in any way from its distribution business?

IV. Whether the approval of the Annual Revenue Requirement of the appellant for its electricity distribution business and determination of tariff by excluding the transport service run by the appellant by MERC is illegal and liable to be interfered?

V. Whether the appellant's claim that Bus transport service operated by it should be included in the Electricity Distribution Annual Revenue Requirement? Whether the business of transport could be subsidised from the revenues of electricity supply undertaken by the appellant?"

१.३.५ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या दिवाणी अपील क्रमांक ८४८ च्या संदर्भात ८ फेब्रुवारी, २०११ ला आदेश देवून मा. अपिल प्राधिकरण विद्युत यांनी दिलेल्या निकाल रद्दबातल ठरवला आणि विशेषतः त्यानी असे नमूद केले की, मा. अपिलीय प्राधिकरण यांनी परिच्छेद ५६ आणि ५७ मध्ये व्यक्त केलेले मत चुकीचे आहे. यावरून स्पष्ट होते की, बेस्ट ही स्थानिक संस्था असून ती परिवहन व्यवसायाला अर्थसहाय्य करू शकेल आणि बेस्ट वार्षिक महसूलाची आवश्यकता आणि वीजदर निर्धारणासाठी परिवहन व्यवसायाची तूट अंतर्भाव करू शकेल असा आदेश सूचित करतो.

मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या २००७ च्या अपील क्रमांक ८४८ च्या निकालानंतर देण्यात आलेली निव्वळ परिवहन तूटीस परवानगी:

१.३.६. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या २००७ च्या दिवाणी अपील क्र. ८४८ च्या निकालामुळे बेस्टच्या वाहतूक तूटी संदर्भात दाव्याला अंतिम स्वरूप मिळाले आहे आणि ते आजही ग्राह्य आहे. यापुढे मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ च्या २००७ च्या दिवाणी अपील क्रमांक ८४८ चा दिलेला निकाल पहाता, मा. आयोगाने २०११ च्या प्रकरण क्र.१२५ अन्वये दिनांक १६ मार्च २०१२ रोजी दिलेल्या आदेशामध्ये आ.व.२००९-१० आणि आ.व. २०१०-११ च्या महसूल आवश्यकतेमध्ये परिवहन विभागाची तूट समाविष्ट करण्यास मान्यता दिली. तदनंतर, मा. आयोगाने परिवहन विभागातील तूट भरून काढण्यासाठी २०११ च्या प्रकरण क्र. १७१ नुसार आ.व. २०११-१२ च्या वीजदर याचिके संदर्भात परिवहन तूट वसुली आकार लावण्याची परवानगी दिली. तदनंतर मा. आयोगाने दिनांक २६ डिसेंबर, २०१२ रोजीच्या, २०१२ चे प्रकरण क्र. ८० या आदेशानुसार आ.व. २००४-०५ ते आ.व. २००८-०९ करीता परिवहन विभागातील तूटीस मान्यता देऊन ती वार्षिक महसूल आवश्यकतेमध्ये समाविष्ट करण्यास अनुमती दिली. तदनंतर मा. आयोगाने मान्य केलेल्या परिवहन विभागातील तूटीची वसुलीचा दर सन २०१२च्या प्रकरण क्र. २६ क्रमांकान्वये दिनांक २८ ऑगस्ट, २०१३ च्या आदेशांतर्गत ठरवण्यात आला.

१.३.७. इथे अशी नोंद घ्यावी की, या विषयाबाबत मा. सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय घेतला आणि त्यानुसार अगोदरच मा. आयोगाने सुसंगत आदेश दिला होता २०१२ च्या प्रकरण क्र. ८० व्यतिरीक्त इतर आदेशांना कोणीही आव्हान दिलेले नाही. यास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने २००७ च्या दिवाणी अपील ८४८ प्रकरणावर दिलेला आदेश आजही बंधनकारक आहे. मा. आयोगाच्या २०१२ च्या प्रकरण क्र. ८० ला अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांच्याकडे, २०१३ चे अपील क्र. १५५ अन्वये आव्हान देण्यात आले होते. सदर अपीला संदर्भातील अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांच्या निकालाविरोधात बेस्टकडून सर्वोच्च

न्यायलयामध्ये २०१४ च्या दिवाणी अपील क्र. १०४८८ अन्वये दाद मागितली असून सदर प्रकरणामध्ये पुढील आदेश येईपर्यंत प्रकरण क्र. ८४८ मधील आदेश लागू रहातील.

२०११ चे प्रकरण क्र. १७१ आणि २०१२ चे प्रकरण क्र.८० मध्ये मा. आयोगाने दिलेल्या आदेशाविरुद्ध अपील.

१.३.८ मा. आयोगाने २०११ च्या प्रकरण क्र. १७१ आणि २०१२ चे प्रकरण क्र. ८० च्या दिलेल्या आदेशांस मा. अपिल प्राधिकरण विद्युत समोर मे. इंडियन हॉटेल्स आणि इतर यांनी आव्हान दिले होते. मा. अपिलीय प्राधिकरणापुढे २०११ चे प्रकरण क्र. १७१ मधील अपीलास उशिर झाल्यामुळे ते रद्दबातल ठरविले.

१.३.९ मा. अपिल प्राधिकरण यांनी दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१४ च्या आदेशान्वये २०१३ च्या अपील १५५ मध्ये निकाल देताना मा. आयोगाचा २०१२ च्या प्रकरण क्र. ८० चा आदेश रद्दबातल ठरविला आणि मा. आयोगाला सुसंगत आदेश देण्याचे निर्देश दिलेत.

मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांच्या २०१३ च्या अपील क्र. १५५ चा निकाल चुकीचा असल्यामुळे बेस्टने मा. सर्वोच्च न्यायालयात त्या विरुद्ध अपील दाखल केले.

१.३.१० मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांनी २०१३ च्या अपील क्र. १५५ मध्ये दिलेला निकाल चुकीचा असल्यामुळे बेस्टने मा. सर्वोच्च न्यायालयात २०१४ साली दिवाणी अपील १०४८८ नुसार अपील सादर केले मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक ८ डिसेंबर २०१४ ला अंतरिम आदेश दिला तो खालील प्रमाणे.

"The dispute is regarding the fixation of tariff and whether the appellant is entitled for the consideration of the revenue implications of the another wing of the appellant company which is carrying on the business of transport for the purpose of fixation of tariff of the electricity supplied by the appellant company to the consumers. The impugned order is substance recorded the conclusion that the appellant is entitled for consideration of the revenue of the other division of the company for the purpose of the determination of tariff. In view of the above circumstances, appeal is admitted.

... ..

In the circumstances, we do not see any reason to stay the operation of the impugned judgment. We direct that the respondent will continue to pay the electricity bills demanded by the appellant company during the pendency of the appeal.

State Commission shall proceed with the determination of tariff in light of the impugned judgment however such determination shall not be given effect to until further orders of this Court."

मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या अपील क्रमांक १०४८८, संदर्भात दिलेल्या अंतरिम आदेशाबाबत बेस्टचा समज:

१.३.११ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. अपिलीय प्राधिकरण यांनी २०१३ च्या अपिल क्र. १५५ दिनांक ३१ ऑक्टोबर, २०१४ च्या निकालास मा. आयोगास पुढील प्रक्रिया करता यावी, यासाठी स्थगिती दिलेली नाही.

- १.३.१२ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने प्रतिवादीस म्हणजेच इंडियन हॉटेल्स आणि इतर यांना बेस्टने मागितलेल्या विद्युत देयकाचा भरणा प्रलंबित अपीलाच्या कालावधीत चालू ठेवण्याचे निर्देश दिले. परिवहन विभाग तूट वसूली (टीडीएलआर) चा आकार देयकामध्ये समाविष्ट आहे.
- १.३.१३ मा. सर्वोच्च न्यायालयाने मा. आयेगास वीजदर निर्धारण करण्याची प्रक्रिया मा. अपिलीय प्राधिकरणाचा निकाल विचारात घेऊन, सुरु करण्याचे निर्देश दिले. मा. अपिलीय प्राधिकरणाने मा. आयोगाच्या २०१२ च्या प्रकरण क्रमांक ८० मधिल आदेश रद्दबातल केले होते ते आ.व. २००४-०५ ते आ.व.२००८ ते २००९ च्या कालावधीत परिवहन विभागाच्या रू. ११८७.७१ कोटी रकमेच्या तुटीच्या वसुली संदर्भात होती.
- १.३.१४ बेस्ट असे सादर करते की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाने २०१४ च्या दिवाणी अपील प्रकरण क्र. १०४८८ च्या अंतरिम आदेशानुसार, बेस्टने आपली परिवहन तूटीची वसुली आयोगाने ठरवून दिलेल्या दराने चालू ठेवतील.

बेस्ट वेगवेगळ्या मार्गांनी विद्युत ग्राहकांवरील बोजा कमी करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.

- १.३.१५ बेस्ट असे सांगू इच्छिते की, बेस्टचा परिवहन व्यवसाय स्वावलंबी व सक्षम बनविण्यासाठी प्रत्येक मार्ग चोखाळण्यात येत आहे. तसेच अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. या संदर्भात बेस्ट त्यांच्या परिवहन व्यवसायाची कार्यक्षमता वाढविण्यास प्रयत्नशील आहे. बेस्टने परिवहन व्यवसायातील भाडे वाढवून अतिरिक्त महसूल वाढविला आहे. बेस्टने जाहीरातीच्या माध्यमातून, शिवाय त्यांची मालमत्ता भाड्याने देऊन महसूल वाढवण्याचा प्रयत्न केला आहे. शिवाय बेस्टच्या वैधानिक समितीने १५ मे, २०१५ च्या ठराव क्रमांक ३८ नुसार असे नियोजित आणि निश्चित केले आहे कि मुंबई महानगरपालिकेच्या १८८८ च्या कायदानुसार मालमत्ता करावर परिवहन उपकर लाऊन तो वसूल करावा. हा ठराव मुंबई महानगरपालिकेकडे सादर केला असून त्यानंतर तो महाराष्ट्र सरकारपुढे पाठविला जाईल, त्यानुसार मुंबई महानगरपालिका कायदा १८८८ मध्ये परिणामतः बदल करता येईल. त्यानुसार “परिवहन उपकरा” ची वसूली करता येईल.
- १.३.१६ सदर “परिवहन उपकर” संदर्भातील ठराव मुंबई महानगरपालिकेकडे आवश्यक त्या कारवाईसाठी प्रलंबित आहे. इथे बेस्ट नम्रपणे सादर करते की, उपरोक्त कार्ये बेस्टच्यावतीने केली जात असून त्याजोगे बेस्टच्या विद्युत ग्राहकांवरील परिवहन विभाग तूट वसूली आकाराचा बोजा कमी करता येईल.
- १.३.१७ बेस्ट असे सादर करते की, या परिवहन व्यवसायाला मुंबई महानगरपालिकेकडून आणि राज्य सरकारकडून आधार मिळवण्याचा सर्वकष प्रयत्न करत आहे. तथापि, वर्तमान परिस्थितीत, बेस्टने मा. आयोगाने मान्य केलेली परिवहन तूट (net of actual RoE an RoIF) विचारात घेतली आहे.

सध्याच्या याचिकेमधिल परिवहन विभाग तूटीची मांडणी

- १.३.१८ परिवहन तूटीचा बेस्टच्या विद्युत पुरवठ्याच्या वार्षिक महसूल आवश्यकतेमध्ये समाविष्ट करण्याचा मुद्दा मा. सर्वोच्च न्यायालयानी २००७ च्या दिवाणी अपील, क्रमांक ८४८ दिनांक ८ फेब्रुवारी, २०११ च्या आदेशानुसार निकाली काढला. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा २००७ च्या दिवाणी अपील ८४८ क्रमांकाच्या दिनांक ८ फेब्रुवारी २०११ चा आदेश अद्याप पर्यंत फेटाळला गेला नाही ज्याजोगे बेस्टला परिवहन

व्यवसायास अर्थसहाय्य करण्याचा अधिकार आहे असे नमूद केले आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा २००७ च्या अपील क्रमांक ८४८चा आदेश अद्यापपर्यंत ग्राह्य आहे.

- १.३.१९ मा. आयोगाने परिवहन विभागाने मान्य केलेली तुटीची वसुली करण्याचा दर २०१३ च्या प्रकरण क्र.२६ च्या बहुवार्षिक वीजदर (दिनांक २८ ऑगस्ट २०१३ च्या आदेशामध्ये प्रस्तावित केला आहे.
- १.३.२० बेस्ट सादर करते की, आ.व. २०१५-१६ च्या अखेरीस एकूण परिवहन तूटीची स्थिती खालील तक्त्यामध्ये दिलेली आहे.

तक्ता १: परिवहन तूटीची स्थिती

| आयोगानी केलेली परिवहन व्याजाशिवाय (रु. कोटी) | मान्य एकूण तूट | एकूण परिवहन आ.व. २०१५-१६ पर्यंतची वसुली (रु. कोटी) (अंतरिम) | एकूण मान्यताप्राप्त परिवहन तूटीची वसुलीची शिल्लक कॅरिंग शिवाय (रु. कोटी) | एकूण मान्यताप्राप्त परिवहन तूटीची वसुली शिल्लक रक्कम कॅरिंग कॉस्ट सहित (रु. कोटी) | एकूण प्रत्यक्ष परिवहन तूटीची वसुलीसाठी शिल्लक राहिलेली रक्कम कॅरिंग कॉस्ट सहित (रु. कोटी) |
|--|----------------|---|--|---|---|
| २८७६.०७ | | २५०८.४५ | ३६७.३८ | १४६२.५६ | ३८४९.६३ |

- १.३.२१ वरील तक्त्यानुसार असे दिसून येते की, प्रत्यक्ष परिवहन तूट व व्याज विचारात न घेता देखील आयोगाने मान्यता दिलेली अद्याप वसुलीसाठी शिल्लक रक्कम जवळपास रु. ३६७.३८ करोड असून ही वसुली प.वि.तू.व च्या दराने वसूल करायची बाकी आहे.
- १.३.२२ २०१३ च्या अपील १५५ क्रमांकाच्या मा. अपिलीय प्राधिकरणानी दिलेल्या निकालाच्या परिणाम स्वरूप आयोगाने २०१२ च्या प्रकरण क्र.८० च्या दि. २० एप्रिल, २०१६ च्या आदेशानुसार आ.व. २००४-०५ ते आ.व.२००८-०९ या कालावधीसाठी रु. ११८७.७९ कोटी परिवहन तूट रक्कम महसूल आवश्यकतेमध्ये अंतर्भूत करण्यास अनुमती नाकारली. आयोगाने त्यांच्या आदेशामध्ये असे म्हटले आहे की, हा आदेश मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दिवाणी अपील २०१४ च्या १०४८८ आदेशास अधीन असेल. या संदर्भात बेस्ट असे सादर करते की, मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढे वरिल मुद्दा प्रलंबित असल्याने आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयानी असे निर्देश दिले आहे की, निर्धारित वीजदर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशाशिवाय अंमलात आणू नये. म्हणून मा. आयोगाचा सदर आदेश मा.सर्वोच्च न्यायालयाचा पुढील आदेश आल्यानंतरच विचारात घेतला जावा.
- १.३.२३ वरील सर्व गोष्टींचा विचार करता, बेस्टनी वर्तमान याचिकेमध्ये आयोगाने मान्य केलेल्या परिवहन तूटीचा आ.व. २०१५-१६ (Net of actual RoE and RoLF) पर्यंतचा विचार केला. एकूण वसूल करावयाची मान्यताप्राप्त व प्रत्यक्ष परिवहन तूट रु.१४६२.५६ कोटी आणि रु.३८४९.६३ कोटी एवढी अनुक्रमे असून नंतरच्या तिसऱ्या नियंत्रण कालावधी करीता आ.व.२०१५-१६ प.वि.तू.व. दरातील संदिग्धतेमुळे आणि आयोगाच्या (२०१२/८०, दिं.२०.०४.२०१६ चा आदेश) मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत आणि मा. सर्वोच्च न्यायालय यांच्या विविध आदेशामुळे सदर रकमेबद्दलचा दावा करण्यात आला नाही.

- १.३.२४ तथापी बेस्ट पुढे नमूद करते की, २०१४ चे दिवाणी अपील क्र. १०४८८ चे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने भविष्यात हे प्रकरण निकाली निघाल्यानंतर बेस्टने आपला परिवहन तूटी संदर्भात सुधारीत दावा (म्हणजेच टीडीएलआर आकार) करण्याचा हक्क मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशास अधीन राहून अबाधित ठेवत आहे.
- १.३.२५ यापुढे जरी बेस्टने ३ या नियंत्रण कालावधीसाठी अदयाप वसूल न झालेल्या रु. ३६७.३५ करोड (मान्यता मिळालेल्या व कॅरीग कॉस्टशिवाय) एवढ्या परिवहन तूटीबद्दल दावा केला नसला तरी अशी शक्यता आहे की, बेस्ट ही समतुल्य रक्कम सध्या अस्तित्वात असलेल्या वीजदर नियंत्रण कालावधीच्या सुरवातीचे काही महिने लागू असल्याने वसूल होण्याची शक्यता आहे.
- १.३.२६ बेस्ट असे सादर करते की, मान्यता दिलेली व वसूल केलेली परिवहन तूट यातील फरकाच्या संदर्भात तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठीच्या मध्यावधी पुनर्विलोकन याचिकेमध्ये समायोजन करण्यात येईल.

२. बेस्टच्या पुरवठा क्षेत्रात समांतर परवाना प्रवर्तन

- २.१.१ बेस्ट सादर करते की, मा. आयोगाच्या दि. १४ ऑगस्ट, २०१४ मधील प्रकरण क्र. ९० च्या आदेशाने मे. टाटा पॉवर कंपनी यांना पुढील २५ वर्षांसाठी बेस्टच्या सामाईक पुरवठा क्षेत्रात वितरण परवाना मंजूर केला. सदर आदेश अन्यायपूर्ण असल्याने बेस्टने मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांच्यासमोर २०१४ चे अपील क्र. २१६ अन्वये अपील सादर केले. त्यानंतर मा. अपिलीय प्राधिकरण यांनी २०१४ च्या अपील क्र.२१६ अपीलावर दि. २५ नोव्हेंबर २०१४ रोजी निकाल दिला तो खालील प्रमाणे.

“This Appeal No. 216 of 2014 is not maintainable as the Appellant cannot be a person aggrieved in respect of grant of licence to other area of supply. As regards the area of supply of BEST, the points raised to the merits will be considered in Appeal No. 243 of 2014 pending before this Tribunal ” (emphasis added)

- २.१.२ २०१४ च्या अपिल क्र. २१६ बाबत मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत च्या दि.२५.११.२०१४ रोजी च्या निवाड्याविरुद्ध बेस्टने २०१५ चे अपिल क्र. ५ च्या अंतर्गत मा. अपिलीय प्राधिकरणाकडे पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली. मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यानी हि पुनर्विलोकन याचिका दि. १५.०३.२०१५ च्या आदेशाद्वारे फेटाळून लावली. मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युतच्या २०१४ च्या अपिल क्र. २१६ तसेच पुनर्विलोकन याचिकेबाबत दाखल केलेली २०१५ चे अपिल क्र. ५ च्या निवाड्या / आदेशा विरुद्ध बेस्टने मा. सर्वोच्च न्यायालयात दि. १०.०४.२०१५ रोजी २०१५ च्या दिवाणी अपिल क्र. ४०७४ अंतर्गत दाखल केली. ही याचिका मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे प्रलंबित आहे.
- २.१.३ तसेच बेस्टने मा. आयोगाने प्रकरण क्र. ३७/२०१४ मध्ये दि. १४/०८/२०१४ रोजी दिलेल्या आदेशाच्या विरोधात अपील क्र. २४३/२०१४ च्या अन्वये बेस्ट पुरवठा क्षेत्रात इतर व्यक्तींना वितरण परवाना मंजूर करण्यासाठी स्वारस्य अभिव्यक्ति चे प्रकरण दाखल केले. सदर अपील अपिलीय प्राधिकरण विद्युत कडे प्रलंबित आहे.

२.१.४ टीपीसी-डी ने आयोगाकडे सुधारित जालव्यूह योजना याचिका २०१४/१८२ द्वारे दाखल केली. समांतर परवाना मिळाल्यामुळे होणाऱ्या परिणामाचा विचार करण्यासाठी सदर याचिका बेस्टला पाठविण्यास टीपीसी-डी ला मा. आयोगाने निर्देश दिले. ही योजना अभ्यासताना असे आढळले की सदर जालव्यूह योजना ही वि.व. २०१४-२०१५ पासून सुरु होणाऱ्या ७ वर्षात विभागली आहे. व यामध्ये होणाऱ्या टीपीसी तसेच बेस्टच्या परवाना हद्दीतील तपशीलवार प्रस्तावित व प्रत्यक्षीत भार यासह या मुदतीत होणाऱ्या भांडवली खर्चाचा समावेश आहे. सदर योजनेत टीपीसीडीने सुरवातीसच उच्च / लघू स्वरूपाचे मजबूत जाळे उभारून त्यानंतर या जालव्यूहाजवळील ग्राहकांचा मागणी पुरवठा पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. टीपीसीडी ने स्पष्टपणे असे नमूद केले आहे की हा मा. आयोगाने प्रस्तावित जालव्यूह योजना संबंधीत सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) योजना संमत झाल्यावरच भांडवली खर्च करण्यास सुरवात करेल.

२.१.५ टीपीसी-डीने २०१५ च्या मध्यावधी पुनर्विलोकन क्र १८ चे याचिकेत बेस्टच्या परवाना हद्दीत प्रस्तावित जालविस्तारण योजना अंमलात आणल्यानंतर वि.व. २०१५-१६ ते वि.व. २०१९-२० करिता उर्जा विक्रीबाबत खालीलप्रमाणे अंदाज वर्तविले आहेत.

तक्ता २ : टीपीसी-डी यांनी सादर केल्याप्रमाणे दक्षिण मुंबईत प्रस्तावित अतिरिक्त जाल विस्तारणामुळे विक्रीत होणारी वाढ

| तपशील | वि.व. २०१५-१६ | वि.व. २०१६-१७ | वि.व. २०१७-१८ | वि.व. २०१८-१९ | वि.व. २०१९-२० |
|---------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| निवासी | ३.९३ | १२.४८ | २२.३९ | ३९.२९ | ६७.०६ |
| वाणिज्य | ६.२८ | १२.५५ | २३.०५ | ३६.५० | ५४.५ |
| एकूण | १०.२१ | २५.०३ | ४५.४४ | ७५.७९ | १२१.५६ |

२.१.६ टीपीसी-डीने २०१४ च्या प्र.क्र. १८२ च्या अंतर्गत केलेल्या जालव्यूह विस्तारण योजना मान्यतेसाठी मा. आयोगाकडे प्रक्रिया चालू आहे. मा. आयोगाने एक समिती तयार केली असून तिने केलेल्या शिफारसीचा मा. आयोग सदर जालव्यूह विस्तारण योजना मान्य करताना विचार करणार आहे. बेस्टने टीपीसी-डी बेस्ट परवाना हद्दीत परवाना देण्याविषयी केलेल्या अपीलाचा व घेतलेल्या हरकती या संबंधित आपला हक्क अबाधित ठेवून या समितीकडे आपले म्हणणे मांडले आहे. परंतु, सदर जालव्यूह योजनेस अजून पर्यंत मान्यता मिळाली नसल्यामुळे बेस्टने टीपीसी-डी ने अंदाजीत केलेल्या विक्रीस लागणारा दोन वर्षांचा विलंब लक्षात घेऊन बेस्टच्या क्षेत्रातील अंदाजीत विक्री खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता ३ : समांतर परवानाधारकांनी वि.व. २०१६-१७ ते २०१९-२० (मुंबई) मध्ये प्रस्तावित केलेल्या उर्जा विक्री (एमयू मध्ये)

| तपशील | वि.व. २०१६- १७ | वि.व. २०१७- १८ | वि.व. २०१८- १९ | वि.व. २०१९- २० |
|---------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| निवासी | १.९७ | ३.९३ | १२.४८ | २२.३९ |
| वाणिज्य | ३.१४ | ६.२८ | १२.५५ | २३.०५ |
| एकूण | ५.११ | १०.२१ | २५.०३ | ४५.४४ |

३.० वि.व. २०१२-१३ चे समायोजन :
३.१ ऊर्जा विक्री आणि ऊर्जा संतुलन

३.१.१ बेस्ट असे नमूद करते की आ.व.२०१२-१३ मध्ये प्रत्यक्ष वीज विक्री ही मा.आयोगाने मान्य केलेल्या प्रमाणे ४३९२.९५ मि.यू.एवढीच झाली आहे. आ.व. २०१२-१३ मधील ऊर्जा विक्री व आ.व.२०११-१२ ची तुलना करता त्यामध्ये एकुण २.४९% मि.यू ची वाढ झालेली दर्शविते. बेस्ट ची आ.व.२०१२-१३ करिता प्रत्यक्ष वीज वितरण गळती ही मान्य केलेल्या ७.५% च्या तुलनेत ६.६९% आहे. बेस्टने आंतरराज्य पारेषण गळती ही एमएसएलडीसीच्या (MSLDC) च्या संकेत स्थळावर उपलब्ध असल्याप्रमाणे विचारात घेतलेली आहे.

तक्ता ४: वि.व. २०१२-१३ करिता ऊर्जा संतुलन

| अनु. क्र. | तपशील | युनिट | बहुवर्षिय याचिकेत वीजदर आदेशात मान्य झालेले | प्रत्यक्ष |
|-----------|---|-------------|---|----------------|
| १ | विक्री | एमयु | ४३९२.९५ | ४३९२.९५ |
| २ | वितरण हानी | % | ६.६९% | ६.६९% |
| ३ | उर्जेची गरज पारेषण <> वितरण केंद्रस्थानी | एमयु | ४७०७.७१ | ४७०३.६८ |
| ४ | आंतरराज्या पारेषण हानी | % | ४.२८% | ४.१२७% |
| | उर्जेची गरज निर्मिती पारेषण स्थानी | एमयु | ४९१४.१० | ४९०६.१७ |

३.२ वि.व. २०१२-१३ चा उर्जा खर्च :

३.२.१ बेस्टचा विविध स्रोताकडून करण्यात आलेला प्रत्यक्ष उर्जा खरेदीचा तपशील खालीलप्रमाणे :

तक्ता ५ : वि.व. २०१२-१३ तील ऊर्जा खरेदीचा सारांश

| अनु. क्र. | तपशील | बहुवर्षिय याचिकेच्या आदेशात मान्य केलेल्याप्रमाणे | | | प्रत्यक्ष | | |
|-----------|---------------------------------|---|----------------------|-------------------------|-------------|----------------------|--------------------------|
| | | प्रमाण एमयु | एकूण खर्च (रु. कोटी) | दर (रु. के.डब्ल्यू.एच.) | प्रमाण एमयु | एकूण खर्च (रु. कोटी) | दर (रु. के. डब्ल्यू.एच.) |
| १ | टीपीसी-जी | ५०८३.९७ | २७३९.२१ | ५.३९ | ५०८३.९७ | २७३९.२१ | ५.३९ |
| २ | आरपीएस – सौर शिवाय | १०४.६६ | ५५.४९ | ५.३० | १०४.६६ | ५६.०९ | ५.३६ |
| ३ | आरपीएस - आरईसी | ०.०० | ६६.७८ | - | ०.०० | ६६.७८ | - |
| ४ | आरपीएस सूट | ० | ० | - | ० | (१.७९) | - |
| ५ | बाह्य उर्जा खरेदी | ७६.४४ | ३३.६९ | ४.४१ | ७६.४४ | ३३.६९ | ४.४१ |
| ६ | परवाना बाह्य क्षेत्रातील विक्री | (२.२०) | (१.१३) | ५.१५ | (२.२०) | (१.१३) | ५.१५ |
| ७ | पूल इम्बॅलन्स युनिट | (३५५.९२) | (३१२.१९) | ८.७७ | (३६४.५७) | (३१५.४३) | ८.६५ |

| | | | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| ८ | राखीव उर्जा खरेदी | ७.१६ | ३.२० | ४.४७ | ७.८९ | ३.२० | ४.०६ |
| ९ | टीपीसी-जीला दिलेले विलंब शुल्क व व्याज | - | - | - | - | ४५.८७ | - |
| १० | पारिषण आकार | - | १९३.०८ | - | - | १९३.२१ | - |
| ११ | एसएलडीसी आकार | - | ०.७५ | - | - | ०.७५ | - |
| १२ | राखीव आकार | - | १०७.८५ | - | - | १०७.८५ | - |
| | एकूण ऊर्जा खरेदी | ४९१४.१० | २८८६.७३ | ५.८७ | ४९०६.१७ | २९२८.२९ | ५.९७ |

३.२.२ बेस्ट नमूद करते की प्रत्यक्ष सरासरी वीज खरेदीमध्ये वाढ होऊन ती बहुवर्षीय वीजदर आदेशात मान्य झालेल्या रू. ५.८७ / युनिट ऐवजी रू. ५.९७ युनिट ऐवढी झाली आहे. बेस्ट असे नमूद करते की सततच्या महसूल तूटीमुळे होणाऱ्या रोख रकमेच्या टंचाईमुळे टीपीसीजी ची वीज देयके वेळेत भरू शकलो नाही. म्हणून वि.व. २०१२-१३ बेस्टला रू. ४५.९७ कोटी विलंब शुल्क भरावे लागले. तसेच दि. १८ जुलै २०१२ रोजी भारत सरकारच्या अर्थ खात्याने सुध्दा खेळते भांडवली कर्ज अनुषंगिक हमी असल्याशिवाय न देण्याचे आदेश दिले होते. खेळते भांडवली कर्ज उभारण्यासाठी बेस्टची अनुषंगिक हमी देण्याची परिस्थिती नव्हती, म्हणून बँका बेस्टला अधिकचे खेळते भांडवली कर्ज देण्यास तयार नव्हत्या. याचा बेस्टच्या रोखी प्रवाहावर वाईट परिणाम झाला व वैधानिक देणी थकविण्याबरोबरच कामगारांना विलंबाने पगार देण्याचा पर्याय अमलात आणावा लागला. म्हणून टीपीसीजी ची वीज देयकेपण विलंबाने भरण्याशिवाय पर्याय राहिला नाही व त्यामुळे विलंबशुल्क व व्याजापोटी अधिक भरणा करावा लागला.

३.२.३ तसेच गतवर्षात बेस्टला मिळालेली तत्काळ देयक भरणा सूट उर्जा खरेदी खर्चातून वजा केल्यामुळे तत्काळ वीजदेयक भरणा सूटीचा फायदा बेस्टच्या ग्राहकांना देण्यात आला होता. बेस्ट पुढे असे नमूद करू इच्छिते की सदर तत्काळ वीजदेयक भरणा सूटीचा फायदा बेस्टच्या ग्राहकांना देताना मा. आयोगाने बहुवर्षीय वीजदर विनियम, २०११ च्या (विनियम क्र. १४ च्या नुसार) लाभ व नुकसानीचा विचार केलेला नव्हता. म्हणजेच तत्काळ वीजदेयक भरणा सूटीचा फायदा बेस्टच्या ग्राहकांना देताना मा. आयोगाने विलंब शुल्काचा खर्च हा अनियंत्रित घटक असे समजून टीपीसीजीला वि.व. २०१२-१३ मध्ये भरलेले विलंब शुल्क हे महसूल आवश्यकतेत धरण्यास अनुमती देण्यात यावी अशी विनंती केली आहे.

३.३ संचालन व देखभाल खर्च

३.३.१ मा. आयोगाने मान्यता दिलेले संचालन व देखभाल खर्चाच्या सुधारित मानका नुसारच आधारित ही ग्राहक आणि प्रारंभीचा जीएफए व प्रत्यक्ष विक्री यावर आधारीत आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

तक्ता ६: आ.व. २०१२-१३ च्या कालावधी साठी संचालन व देखभाल खर्च (रू. कोटी)

| अनु क्र. | तपशील | बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे | सुधारित मानकानुसार | प्रत्यक्ष |
|----------|--------------------------|-------------------------------|--------------------|-----------|
| १ | कर्मचारी खर्च | | | १९४.८० |
| २ | सर्व साधारण प्रशासन खर्च | | | ९५.४२ |
| ३ | दुरुस्ती व देखभाल खर्च | | | ४२.७० |

| | | | | |
|---|-----------------------------|--------|--------|--------|
| ४ | निव्वळ संचालन व देखभाल खर्च | ३४८.५२ | ३४८.५२ | ३३३.९२ |
| ५ | वेतन कराराचा परिणाम | ५८.३५ | ५८.३५ | ५७.८३ |
| ६ | एकूण संचालन व देखभाल खर्च | ४०६.८७ | ४०६.८७ | ३९०.७५ |

३.३.२ बेस्ट असे नमूद करते कि, आ.व. २०१२-१३ करिताचा प्रत्यक्ष संचालन व देखभाल खर्च हा आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केलेल्या खर्चापेक्षा कमी आहे.

३.४ घसारा:

३.४.१ बेस्ट असे नमूद करते कि, त्यानी आ.व. २०१२-१३ या कालावधीसाठीचा घसारा हा प्रारंभिक स्थिर मालमत्तेवर सरासरी घसारा दराप्रमाणे गणना केलेला असून, मा. आयोगाने मान्य केलेल्या घसारा खालील प्रमाणे आहे.

तक्ता७:आ.व. २०१२-१३ कालावधी करिता घसारा (रु. कोटी)

| तपशील | बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे | बेस्टने सादर केलेला |
|-------|-------------------------------|---------------------|
| घसारा | ९४.४३ | ९०.५४ |

३.४.२ बेस्ट विनंती करते की, मा. आयोगाने आ.व.२०१२-१३ च्या घसारा खर्चास मान्यता द्यावी.

३.५ भांडवल खर्च आणि भांडवलीकरण

३.५.१ बेस्ट असे नमूद करते कि, बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे मान्य केलेल्या भांडवलीकरणापेक्षा प्रत्यक्ष भांडवलीकरण कमी झाले आहे त्याची कारणे खालील प्रमाणे आहेत.:

- सार्वजनिक मंदीच्या कारणाने व्यवसाय आराखड्याप्रमाणे नविन विकास कामे प्रत्यक्षात पुर्णत्वास न आल्याने त्याचा परिणाम कमी भांडवली खर्चात झाला.
- संग्राही व वितरण केद्रांच्या जागेच्या प्रकरणी अर्जदारानी इमारत हस्तांतर करण्यास उशिर केल्यामुळे.
- मुंबई महानगरपालिका यांच्याकडून यथापूर्वकरण धोरण प्रश्नामुळे, खोदकाम परवानगी देण्यास उशिर झाल्यामुळे तारखंड टाकण्यास उशिर झाला.
- रेल्वे अधिकाऱ्यांनी रेल्वे रुळाखाली तारखंड टाकण्यासाठी लागणाऱ्या डक्टची व्यवस्था करण्यास उशिरा परवानगी दिल्यामुळे.

३.५.२ बेस्टने प्रत्यक्ष रु.१२६.२५ कोटीचे भांडवलीकरण विचारात घेतले आहे. पुढे मा. आयोगाने दिलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात असे तत्व ठरवून दिले की, भांडवली मत्ता योजना ज्या एकाच वर्षा चालू होऊन त्याच वर्षात पुर्ण होणाऱ्या योजनासाठी आयडीसी (IDC) नसेल. आणि त्याप्रमाणे आ.व. २०१०-११ साठी रु.१.७४ कोटीची आयडीसी मान्य केली त्याप्रमाणे बेस्टने आ.व. २०१०-११ ची रु. १.४९ कोटीची आयडीसी आ.व.२०१२-१३ च्या लेखापुस्तकात पुर्वपदावा आणण्यात आली. मा. आयोगाने अंगिकृत केलेल्या तत्वाप्रमाणे याच धरतीवर बेस्ट आ.व. २००९-१० साठीची रु.२.२४ कोटीची आयडीसी आ.व.२०१२-१३ लेखापुस्तकात पुर्वपदावर आणण्यात आली.

३.५.३ वरीलप्रमाणे मा. आयोगाने अंगिकृत केलेल्या तत्वाप्रमाणे बेस्टने आ.व. २०१२-१३ च्या भांडवली करणासाठी रू.०.८३ कोटीची आयडीसी विचारात घेतली आहे.

तक्ता ८: आ.व.२०१२-१३ चे भांडवलीकरण (रू. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे | प्रत्यक्ष |
|----------|---------------------|-------------------------------|-----------|
| १ | आयडीसीसह भांडवलीकरण | २४३.४८ | १२७.०७ |

३.६ दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज:

३.६.१ बेस्टने बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११, च्या नियम क्र. ३३ च्या नुसार दीर्घ मुदतीवरील कर्जाच्या व्याजाची गणना केली आहे. व्याजापोटी खर्च हा वार्षिक सरासरी कर्जावर सरासरी व्याजदर लावून गणना करण्यात आला आहे. बेस्टने मा. आयोगाने मान्य केलेल्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे आ.व.२०१२-१३ साठी मानकानुसारचे वर्षा प्रारंभच्या कर्जाचा विचार केला आहे. व्याजावरील खर्चाचा हिशेब खालील प्रमाणे सादर केला आहे.

तक्ता ९: आ.व. २०१२-१३ मधील कर्जावरील बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे मानकानुसार व्याजाचे विवरण: (रू.कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवार्षिक वीजदर आदेशाप्रमाणे | मानकाप्रमाणे |
|----------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| १ | वर्षाप्रारंभीचे उर्वरित कर्ज | ९७.८२ | ९७.८२ |
| २ | चालू वर्षात काढलेले कर्ज | १६४.९४ | ८३.१० |
| ३ | चालू वर्षामध्ये केलेली फेड | ९४.४३ | ९०.५४ |
| ४ | वर्षाअखेरीस उर्वरित कर्ज | १६८.३२ | ९०.३७ |
| ५ | लागू होणारा व्याजदर (%) | १०.२५% | १०.५८% |
| | व्याजाचा खर्च | १३.६४ | ९.९६ |

३.७ खेळत्या भांडवलावरील व्याज (आयडब्ल्यूसी)

३.७.१ बेस्टने सादर केले आहे की, आ.व.२०१२-१३ या कालावधीत प्रत्याक्षात खेळत्या भांडवलावरील व्याजावर रू.२४.१५ कोटी खर्च केले आहेत. बेस्टने आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या नियम ३५ नुसार मानकाधारीत खेळत्या भांडवलावरील व्याजाची गणना केली आहे. मानकाधारीत व्याजाची गणना खालील प्रमाणे आहे.

३.७.२ बेस्टने मा. आयोगाला नम्रपणे विनंती केली आहे की, त्यांनी आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम , २०११ च्या नुसार आ.व.२०१२-१३ करिता रू.१९.२२ कोटीचे खेळत्या भांडवलावरील मानकाधारीत व्याजास मान्यता द्यावी.

३.८ ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज

३.८.१ ग्राहकांच्या आ.व. २०१२-१३ या कालावधीतील ग्राहकांच्या सुरक्ष ठेवीवरील व्याज खालील प्रमाणे:

तक्ता १०: आ.व. २०१२-१३ मधील ग्राहक ठेवीवरील व्याज (रू. कोटी)

| अनु.क्र | तपशील | आयोगाने केलेली वीजदर आदेश | मान्य बहुवार्षिक | प्रत्यक्ष |
|---------|--|---------------------------|------------------|-----------|
| १ | ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील एकुण व्याज | २१.४१ | | २३.१८ |

३.९ आकस्मिक राखीव योगदान:

३.९.१ बेस्ट नमूद करते की, त्यांनी मा. आयोगाने दि. १२ सप्टेंबर, २०१० रोजी दिलेल्या २००९ चे प्रकरण क्र. ९५ च्या आदेशाप्रमाणे आणि त्यानंतर मा. अपिलीय प्राधिकरणाने २०११ च्या अपील क्र. ८ बाबत २२ मार्च २०१२ रोजी दिलेल्या निकाला नुसार प्रारंभीक एकुण स्थिर मालमत्तेच्या ०.२५% एवढा आकस्मिक राखीव योगदान जमा केले आहे. बेस्टने आ.व.२००८-०९ पासून प्रारंभीक स्थिर मालमत्तेवर ०.५% दराने आकस्मिक राखीव योगदानाची तरतूद केली होती आणि भारतीय विश्वस्त कायद्याप्रमाणे प्रतिभूती मध्ये गुंतवणूक केली. ही गुंतवणूक बेस्टने आकस्मिक निधी सहाय्या मधून हस्तांतरित करून ती त्यांच्या साधारण गुंतवणूक खात्यात दर्शविली आहे.

३.९.२ दि. १६ ऑक्टोबर २०११ रोजी बँकबे ११० केव्ही च्या संग्राही केंद्राला आग लागली होती. त्या वेळेस बेस्टने रू.३.८६ कोटीचा खर्च केला होता. सदर खर्च बेस्टच्या नियंत्रणापलिकडे होता. बेस्ट असे नमूद करते की, या घटनेतील मान्य केलेल्या रू. ३.२५ कोटी एवजी प्रत्यक्षातील खर्च रू.३.८६ कोटी झाला. बेस्टला यामध्ये कुठल्याही प्रकारचे अनुदान वा विम्यापोटी काहीही हिस्सा मिळाला नाही.

तक्ता ११: आ.व. २०१२-१३ करिता आकस्मिक राखीव योगदानातील वाटा. (रू. कोटी)

| अनु.क्र | तपशील | आयोगाने केलेली वीजदर आदेश | मान्य बहुवार्षिक | प्रत्यक्ष |
|---------|--------------------------------|---------------------------|------------------|-----------|
| १ | आकस्मिक राखीव योगदानातील वाटा. | ४.६० | | ४.६२ |

३.१०. इतर खर्च

३.१०.१ बेस्टने आ.व.२०१२-१३ मध्ये मान्य केलेल्या रू.८१.२६ कोटी या रक्कमे च्या तुलनेत प्रत्यक्ष खर्च रू. ७८.३८ कोटी एवढा केला आहे.

३.११ बुडित व अनिशचित येणी यासाठी तरतूद

३.११.१ बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या नियम ७८.६ व ९२.९ नुसार मा. आयोग हे लेखापुस्तकात येणे सदरात दाखविलेल्या रक्कमेच्या १.५% एवढीच रक्कम बुडित व अनिशचित येणी म्हणून दाखविण्याची परवानगी देऊ शकते. बेस्टने आ.व. २०१०-११ च्या लेखापुस्तकानुसार येणे असलेल्या रू.३८०.८२ कोटी रक्कमेवर आ.व.१९९४-९५ ते १९९७-९८ वर्षाकरिता रू.५.६९ कोटी एवढी रक्कम बुडित व अनिशचित येणी म्हणून दाखविली आहेत.

३.१२ आयकर

३.१२.१ मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशानुसार असे मान्य केले आहे की, बेस्ट ही स्थानिक संस्था असल्यामुळे बेस्टला आयकर कायद्याच्या कलम १०(२०) नुसार मुभा देण्यात आली आहे. त्यानुसार बेस्ट कुठलाही आयकर देत नाही. म्हणून आ.व. २०१२-१३ च्या कालावधीसाठी कोणताही आयकर विचारात घेतला नाही.

३.१३ भागभांडवलावरील परतावा

३.१३.१ बेस्ट असे नमूद करते की, मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या नियम ३२ नुसार भागभांडवला वरील परताव्याची गणना केली आहे. आ.व. २०१२-१३ मधील वर्षाच्या सुरुवातीच्या नियामक भागभांडवल काढण्यासाठी, बेस्टने मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केलेल्या आ.व. २०११-१२ च्या वर्षाच्या शेवटीचे नियामक समभाग विचारात घेतले आहेत. बेस्टने मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या नियम ३०.२ नुसार आ.व. २०१२-१३ मधील बदललेल्या मत्ता / वापरून झालेली मत्ता याचा परिणाम म्हणून समभाग ढोबळ स्थिर मालमत्तेच्या ३०% एवढे कमी केले आहे.

तक्ता १२: आ.व.२०१२-१३ मधील समभागावरील परतावा. (रू. कोटी)

| अनु क्र. | तपशील | मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | मानकानुसार |
|----------|---|---|---------------|
| १ | वर्षाच्या सुरुवातीचे नियामक भागभांडवल | ७७५.७७ | ७७५.७७ |
| २ | पात्र भांडवलीकरण रक्कम | २४७.६३ | १२७.०७ |
| ३ | वजा: भांडवली जोडणी शुल्क | १२.०० | ८.३७ |
| ४ | निव्वळ भांडवलीकरणाची पात्र रक्कम (२-३) | २३५.६३ | ११८.७१ |
| ५ | भांडवलीकरणाच्या समभागाचा हिस्सा (३०%*४) | ७०.६९ | ३५.६९ |
| ६ | भागभांडवलातील कपात -वापरून झालेली / बदललेली मत्ता | २.५७ | ३.७२ |
| ७ | वर्षाच्या शेवटीचे नियामक भागभांडवल | ८४३.८९ | ८०७.६७ |
| ८ | वर्षाच्या सुरुवातीच्या नियामक भागभांडवलावर १५.७६% प्रमाणे दिलेला परतावा | १२२.२६ | १२२.२४ |
| ९ | भांडवली खर्चाच्या भागभांडवर १५.७६% प्रमाणे परतावा | ५.३७ | २.५१ |
| | नियामक भागभांडवलवरील एकुण परतावा | १२७.६३ | १२४.७५ |

३.१४ अंतर्गत निधीवरील परतावा:

३.१४.१ बेस्टने नमुद केलेल्या अंतर्गत निधीवरील परतावा खालील प्रमाणे

तक्ता १३ : अंतर्गत निधीवरील परताव्याचे विवरण (रु. कोटी)

| अनु क्र. | तपशील | मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | प्रत्यक्ष |
|----------|-------------------------|---|-----------|
| १ | अंतर्गत निधीवरील परतावा | ५.२८ | ५.२८ |

३.१५. वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न:

३.१५.१ बेस्ट नमुद करते आ.व.२०१२-१३ या कालावधीसाठी रु. ५७.७१ कोटीचे वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न मिळाले आहे.

३.१६ परिवहन विभागाची तूट

३.१६.१ बेस्ट असे नमुद करते की, मा. आयोगाने दि. १६ मार्च २०१२ रोजी २०११ चे प्रकरण क्र. १२५ मध्ये दिलेल्या आदेशात परिवहन तूट (भागभांडवल व अंतर्गत निधी वरील परतावा यांच्या समायोजनानंतरची) मंजूर करण्याची गरज व पध्दतीबाबत सखोल विवेचन केलेले आहे. या पध्दतीनुसार मा. आयोगाने भागभांडवल व अंतर्गत निधी वरील परतावा यांच्या समायोजनानंतरची रु. २७३.०३ कोटी इतकी परिवहन विभागाची तूट या बहुवार्षिक वीजदराच्या आदेशात मंजूर केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०८ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्व भुमिवर परिवहन विभागाची तूट कोणत्या पध्दतीने विचारात घ्यायची यावर सखोल लेखन परिच्छेद १.३ मध्ये केलेला आहे. मा. आयोगाने भागभांडवल व अंतर्गत निधी वरील परतावा वगळून मान्य केलेली परिवहन विभाग तूट बेस्टने विचारात घेतली आहे ती खालील प्रमाणे आहे.

तक्ता १४ : परिवहन विभागाच्या तूटीचे विवरण (रु. कोटी)

| अनु क्र. | तपशील | मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | वर्तमान याचिकेत केलेला दावा |
|----------|---|---|-----------------------------|
| १ | वर्षाकाठीची तूट/आधिक्य | ४०६.७१ | ४०६.७१ |
| २ | वर्षाकाठीचा भागभांडवल व अंतर्गत निधीवरील परतावा | १३२.९१ | १३०.०३ |
| ३ | परिवहन विभागाची तूट (भागभांडवल व अंतर्गत निधीवरील एकुण परतावा वजा करून) | २७३.८० | २७६.६८ |

३.१७ तार आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहन

तार उपलब्धता

३.१७.१ आ.व. २०१२-१३ मध्ये तार उपलब्धता आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ नुसार निश्चित केलेल्या ९५% पेक्षा जास्त ठेवण्यात यश आले आहे. बेस्टने आ.व.२०१२-१३ करिता आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या नियम ८४ नुसार तार उपलब्धतेची गणना केली आहे.

पुरवठा उपलब्धता

३.१७.२ बेस्टने मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११च्या नियम ९७ नुसार तार उपलब्धतेसाठी मिळणाऱ्या प्रोत्साहनाची गणना करताना ९५% वर लक्ष्य केलेली उपलब्धता गृहित धरून केली आहे.

तक्ता १५: आ.व. २०१२-१३ मधील पुरवठ्याची उपलब्धता

| अनु क्र. | तपशील | एकक | आ.व. २०१२-१३ |
|----------|--|-----------|--------------|
| | बेस लोडची उपलब्धता | | |
| १ | प्रत्यक्ष कराराप्रमाणेचा बेस पुरवठा | एमडब्ल्यु | ४२१.३४ |
| २ | वर्षाकाठीचा बेस लोड | एमडब्ल्यु | ४२१.०२ |
| ३ | बेस लोड पुरवठ्याची उपलब्धता | % | १००% |
| | पीक लोड उपलब्धता | | |
| ४ | प्रत्यक्षातील करारा केल्याप्रमाणे पीक वेळेतील उपलब्धता | एमडब्ल्यु | ५३३.८० |
| ५ | वर्षाकाठीचा पीक लोड | एमडब्ल्यु | ४९९.६८ |
| ६ | पीक लोड वेळेतील पुरवठ्याची उपलब्धता | % | १०६.८३% |
| | पुरवठ्याची उपलब्धता (०.७५*३+०.२५*६) | % | १०१.७९% |

तक्ता १६: आ.व. २०१२-१३च्या तार आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन

| अनु क्र. | तपशील | एकक | आ.व. २०१२-१३ |
|----------|--|-----|--------------|
| १ | तार उपलब्धतेचे लक्ष्य | % | ९५.०० |
| २ | प्रत्यक्षातील तार उपलब्धता | % | ९९.९७ |
| ३ | तार उपलब्धता लक्ष्यापेक्षा जास्त प्राप्तता / (लक्ष्या पेक्षा कमी) | % | ४.९७ |
| ४ | पुरवठा उपलब्धतेचे लक्ष्य | % | ९५.०० |
| ५ | प्रत्यक्षातील पुरवठा उपलब्धता | % | १०१.७९ |
| ६ | पुरवठा उपलब्धता लक्ष्यापेक्षा जास्त प्राप्तता / (लक्ष्या पेक्षा कमी) | % | ६.७९ |
| ७ | भागभांडवलावरील परताव्याचा भारीत सरासरी दर | % | १५.७९ |
| ८ | तार व पुरवठा उपलब्धतावर मिळणाऱ्या प्रोत्साहन / (दंड) यांची गणना करण्यासाठी | % | १६.२८ |

| | | | |
|----|---|-----------------|-------------|
| | सुधारीत भारीत सरासरी दर | | |
| ९ | नियामक भागभांडवलावरील परतावा | रु. कोटी | १२४.७५ |
| १० | तार व पुरवठा उपलब्धतेवर प्रोत्साहन / (दंड) | रु. कोटी | १२८.८७ |
| ११ | तार व पुरवठा उपलब्धतेवर प्रोत्साहन /(दंड) | रु. कोटी | ४.१२ |
| १२ | प्रोत्साहन /(दंडा) साठी बेस्टने ठेवलेली रक्कम / (वरील प्रोत्साहन/ (दंड) च्या २/३) | रु. कोटी | २.७५ |
| १३ | बेस्टने ग्राहकांना देऊ केलेली रक्कम (वरील प्रोत्साहन/ (दंड) च्या १/३) | रु. कोटी | १.३७ |

३.१८ वितरणहानी सुधारण्याबद्दल प्रोत्साहन

३.१८.१ बेस्टला मा. आयोगाने मान्या केलेल्या आदेशात मानकाप्रमाणे दिलेल्या ७.५% च्या लक्ष्यापेक्षा ६.६१% एवढी प्रत्यक्ष वितरण हानी रोखण्यात शक्य झाल्यामुळे बेस्टला वितरण हानीसाठीच्या प्रोत्साहनाचा दावा करता आला. बेस्टने आ.व.२०१२-१३ करिता वितरण हानीमध्ये सुधारणा केल्याबद्दल रु.२३.०४ कोटी च्या प्रोत्साहनासाठी दावा केला आहे.

३.१९. संचालन व देखभाल खर्चावरील फायदा किंवा तोट्यामधील हिस्सेदारी

३.१९.१ बेस्ट असे नमुद करते की, बेस्टकडे पुरेशी रोखता गंगाजळी रहावी म्हणून सदर याचिकेत संचालन व देखभाल खर्चाच्या प्रमाणकात सुट मागितली आहे. त्याप्रमाणे बेस्टने आ.व.२०१२-१३ करिता संचालन व देखभाल खर्च नियंत्रणात ठेवल्यामुळे मिळणाऱ्या फायद्याच्या हिश्याचा दावा केलेला नाही.

३.२० खेळत्या भांडवलाच्या व्याजावरील फायदा किंवा तोट्यामधील हिस्सेदारी

३.२०.१ मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियमानुसार खेळत्या भांडवलाची गरज हा नियंत्रित करता येणारा घटक आहे. म्हणून खेळत्या भांडवलाच्या व्याजावरील फायदा किंवा तोटा हा ग्राहकांबरोबर वाटून घेतला पाहिजे. त्याप्रमाणे बेस्ट आ.व.२०१२-१३ साठी खेळत्या भांडवलाच्या प्रत्यक्ष व्याजापोटी रु.२४.१५ कोटी एवढे खर्च केले आहेत. बेस्टने खेळत्या भांडवलाच्या व्याजापोटी फायदा किंवा तोट्याचा केलेला हिशोब खालील प्रमाणे.

तक्ता १७: आ.व. २०१२-१३ च्या खेळत्या भांडवलावर व्याजाच्या बदलामुळे होणारा फायदा किंवा तोटा (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | रु. कोटी |
|----------|--|----------|
| १ | मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११ प्रमाणे खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १९.२२ |
| २ | खेळत्या भांडवलावरील प्रत्यक्ष व्याज | २४.१५ |
| ३ | खेळत्या भांडवलावर बदलणाऱ्या व्याजामुळे होणारा फायदा किंवा (तोटा) | (४.९३) |
| ४ | बेस्टने ठेवलेली रक्कम (२/३ वरील फायदा / नुकसान) | (३.२९) |

| | | |
|---|---|--------|
| ५ | बेस्टने ग्राहकांना परत केलेली रक्कम (१/३ वरील फायदा / नुकसान) | (१.६४) |
| ६ | बेस्टची निव्वळ पात्रता | २०.८६ |

३.२१ वि.व. २०१२-१३ च्या एकूण महसूली आवश्यकतेचे समायोजन

३.२१.१ बेस्ट सादर करते की, वि.व. २०१२-१३ मधील समायोजन हे प्रत्यक्षात केलेला खर्च आणि त्या कालावधीमध्ये मिळणारा महसूल मा. आयोगाने बहुवार्षिक दर आदेशात मान्य केलेली आकडेवारी यांच्या तुलनेवर आधारित आहे. वि.व. २०१२-१३ समायोजनेचा सारांश खालीलप्रमाणे :

तक्ता १८ : वि.व. २०१२-१३ करीता एकूण महसूल आवश्यकता समायोजन (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | एमवायटीच्या आदेशातील मान्यता | प्रत्यक्षात | फायदा / नुकसान घेतल्यानंतरचा निव्वळ लाभ |
|-----------|---|------------------------------|----------------|---|
| १ | उर्जा खरेदी खर्च पारेषण, एसएलडीसी आणि स्टॅंडबाय शुल्कसहित | २८८६.७३ | २९२८.२९ | २९२८.२९ |
| २ | संचलन आणि देखभाल खर्च | ४०६.८७ | ३९०.७५ | ३९०.७५ |
| ३ | घसारा | ९४.४३ | ९०.५४ | ९०.५४ |
| ४ | दिर्घ मुदतीच्या आणि लघु मुदतीच्या कर्जावरील व्याज | १३.६४ | ९.९६ | ९.९६ |
| ५ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | २९.४४ | १९.२२ | २०.८६ |
| ६ | तारण ठेवीवरील व्याज | २१.४१ | २३.१८ | २३.१८ |
| ७ | बुडीत आणि अनिश्चित खर्चाकरीता तरतूद | ०.०० | ५.६९ | ५.६९ |
| ८ | इतर खर्च | ८१.२६ | ७८.३८ | ७८.३८ |
| ९ | आयकर | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १० | आकस्मिक राखीव योगदान | ४.६० | ४.६२ | ४.६२ |
| ११ | वितरण हानीत घट प्राप्त केल्याने प्रोत्साहन | ०.०० | ०.०० | २३.०४ |
| १२ | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन | ०.०० | ०.०० | २.७५ |
| १३ | एकूण महसूल खर्च | ३५३८.३८ | ३५५०.६२ | ३५७८.०५ |
| १४ | भागभांडवलावरील परतावा | १२७.६३ | १२४.७५ | १२४.७५ |
| १५ | अंतर्गत निधीवरील व्याज म्हणून परतावा | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ |
| १६ | एकूण महसूल आवश्यकता | ३६७१.२९ | ३६८०.६५ | ३७०८.०८ |
| १७ | वजा : वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ६२.५१ | ५७.७१ | ५७.७१ |
| १८ | एकूण महसूल आवश्यकता | ३६०८.७८ | ३६२२.९४ | ३६५०.३७ |
| १९ | अधिक : परिवहन विभागातील तूट | २७३.८० | ५०३.४७ | २७६.६८ |
| २० | परिवहन प्रवर्तनाच्या तूटीसहित एकूण महसूल आवश्यकता | ३८८२.५७ | ४१२६.४२ | ३९२७.०५ |

३.२२ वि.व. २०१२-१३ ची महसूल तफावत

३.२२.१ मा. आयोगाने बहुवर्षिय वीजदर आदेशानुसार वि.व. २०१२-१३ साठी रु. २७२ कोटी एवढी तात्पुरती महसूल तफावत मान्य केली आहे. त्याच्या तुलनेत प्रत्यक्षात झालेली महसूल तफावत खालीलप्रमाणे काढली आहे :

तक्ता १९ : वि.व. २०१२-१३ महसूल तफावत (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | समायोजन याचिका |
|-----------|---|--|-----------------|
| १ | परिवहन प्रवर्तनाच्या तूटीसहित एकूण महसूल आवश्यकता | ३८८२.५७ | ३९२७.०५ |
| २ | वजा : प्रचलित वीजदरापासून महसूल | ३६१०.७३ | ३६१०.७३ |
| ३ | वजा : दक्षता विभागाच्या मोहिमेमुळे मिळालेला महसूल | - | ६.९३ |
| ४ | अधिक : विदयुत शुल्क आणि महाराष्ट्र कर यासाठी दिलेली देणी | - | ५.०५ |
| | वि.व. २०१२-१३ मधील निव्वळ महसूल (तफावत) / अतिरिक्त | (२७१.८५) | (३१४.४५) |

४.० वि.व. २०१३-१४ साठी समायोजन

४.१ ऊर्जा विक्री आणि ऊर्जा संतुलन

४.१.१ बेस्ट नमूद करते की, आ.व. २०१२-१३ च्या तुलनेत आ. व. २०१३-१४ च्या विक्रीमध्ये एकूण घसरण झाली आहे. तथापी, बेस्टने मा. आयोगाने वितरण हानी बाबत ७% चे जे लक्ष घालून दिलेले आहे त्यापेक्षा कमी म्हणजे ५.९% वितरण हानी साध्य केली आहे. आ.व. २०१३-१४ चे ऊर्जा संतुलन खालीलप्रमाणे.

तक्ता २० : आ.व. २०१३-१४ चे ऊर्जा संतुलन

| अनु. क्र. | तपशील | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | समायोजन याचिका |
|-----------|---|--|----------------|
| १ | विक्री (एमयू) | ४७५८.३७ | ४३५१.५२ |
| २ | वितरण गळती (%) | ७.००% | ५.९०% |
| ३ | पारेषण - वितरण कक्षेतील ऊर्जा आवश्यकता (एमयू) | ५११६.५३ | ४६२४.२८ |
| ४ | आंतरराज्य पारेषण हानी (%) | ४.२०% | ४.१०९% |
| | निर्मिती - पारेषण कक्षपाशी ऊर्जा आवश्यकता (एमयू) | ५३४०.८५ | ४८२२.०४ |

४.१.२ एमएमएलडीसी ने २०१३ पर्यंत एफबीएसएमच्या विलास अंतिम स्वरूप दिले आहे. एमएमएलडीसीच्या संकेत स्थळावर आजच्या तारखेला दाखविलेला मासिक आंतरराज्य पारेषण नुकसान उपलब्ध असून तो विचारात घेऊन एकूण ऊर्जा आवश्यकता काढली आहे. (जी <> टी) इंटरफेसला असलेली ऊर्जा आवश्यकता प्रत्येक महिन्याची बेरीज करून काढलेली वि.व. २०१३-१४ ची ऊर्जा आवश्यकता ४८२२.०४ एमयू इतकी आहे.

४.२ वि.व. २०१३-१४ चा ऊर्जा खरेदी खर्च

४.२.१ बेस्टने वि.व. २०१३-१४ च्या समायोजनेसाठी आवश्यक म्हणून विविध स्रोतांचा ऊर्जा खरेदीसाठी विचार केला. बेस्टने वि.व. २०१३-१४ च्या लेखा परिक्षित हिशोबाप्रमाणे स्रोतनिहाय ऊर्जा खरेदी खर्च विचारात घेतला आहे. वि.व. २०१३-१४ साठीचा ऊर्जा खरेदी खर्चाचा सारांश खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

तक्ता २१ : वि.व. २०१३-१४ तील ऊर्जा खरेदी खर्च सारांश (रु. कोटी)

| तपशील | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केलेल्याप्रमाणे | | | प्रत्यक्ष | | |
|--------------------------------------|--|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|--------------------|
| | ऊर्जा युनिट (एमयू) | एकूण खर्च (रु. कोटी) | दर (रु. / कि. वॅ.) | ऊर्जा युनिट (एमयू) | एकूण खर्च (रु. कोटी) | दर (रु. / कि. वॅ.) |
| टीपीसी-जी | ३७२२.१४ | १७६१.९४ | ४.७३ | ४०५८.८१ | १८७०.९० | ४.६१ |
| आरपीएस – (स्पार्क ग्रीन) | २१२.८७ | १०१.११ | ४.७५ | - | - | - |
| आरपीएस – सौर | ४५.०० | ३८.५२ | ८.५६ | २४.६० | १९.९८ | ८.१२ |
| आरपीएस – इतर सौर शिवाय | २४१.१० | १४०.०८ | ५.८१ | १९८.९४ | ११६.०३ | ५.८३ |
| आरपीएस – आरएसी प्राप्त केल्यानुसार | - | - | - | - | ३३ | - |
| आरपीएस – द्विपक्षीय आणि टीपीसीजी सूट | - | - | - | - | (५.०५) | - |
| बाहेरील ऊर्जा खरेदी | १११९.७४ | ४९३.५७ | ४.४१ | २५४.४९ | ७८.५९ | ३.०९ |
| पूलमधील असमतोल युनिट्स | - | - | - | २८०.२५ | २९.२१ | १.०४ |

| | | | | | | |
|--|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|-------------|
| स्टँडबाय ऊर्जा खरेदी | - | - | - | ४.९५ | २.५२ | ५.०९ |
| टीपीसीजी विलंब झालेला देणीचे शुल्क आणि व्याज | - | - | - | - | २६.९२ | - |
| पारिषण शुल्क | - | ३४९.५७ | - | - | ३४९.५२ | - |
| एसएलडीसी शुल्क | - | ९.२७ | - | - | ९.२७ | - |
| स्टँडबाय शुल्क | - | ९०९.३३ | - | - | ९९३.२७ | - |
| एकूण ऊर्जा खरेदी | ५३४०.८५ | २९८७.३९ | ५.५९ | ४८२२.०४ | २६२७.३६ | ५.४५ |

४.२.२ ऊर्जा खरेदीचे स्त्रोतनिहाय विवरण तक्त्यात या याचिकेबरोबर सादर केले आहे. मा. आयोगाने बहुवर्षीय वीजदर आदेशात मंजूर केलेला ५.५९/कि. वॅ. मान्य केला होता. त्यापेक्षा कमी म्हणजे रु. ५.४५ / कि.वॅ. या दराने ऊर्जा खरेदी केलेली आहे.

४.२.३ सतत येणाऱ्या महसूली तूटीमुळे रोखीत कमतरतेच्या समस्यांमुळे बेस्ट असे नमूद करते की, टीपीसी-जी च्या देयकाचे प्रदान वेळेत करणे शक्य झाले नाही. म्हणून बेस्टला आ.व.२०१३-१४ मध्ये विलंबशुल्क आकारापोटी रु. २६.९२ कोटी टीपीसी-जीला प्रदान करावे लागले. परंतू यापूर्वी गतकाळामध्ये बेस्टला तात्काळ देयके प्रदाना पोटी मिळालेली सूट ही ऊर्जा खरेदी खर्चातून वजा करण्यात आली असल्यामुळे तत्काळ देयके प्रदानाच्या फायदयाचा अंश ग्राहकांपर्यंत पोहचवता आला होता.

४.३ संचालन व देखभाल खर्च

४.३.१ मा. आयोगाने मान्यता दिलेले संचालन व देखभाल खर्चाच्या सुधारित मानका नुसारच आधारित ही ग्राहक आणि प्रारंभीचा जीएफए व प्रत्यक्ष विक्री यावर आधारित आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

तक्ता २२ : आ.व. २०१३-१४ च्या कालावधीसाठी संचालन व देखभाल खर्च (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेशात मान्य केल्यानुसार | सुधारीत प्रमाणक स्थापक | प्रत्यक्ष |
|-----------|--------------------------------------|--|------------------------|---------------|
| १ | कर्मचारी खर्च | | | २४४.४० |
| २ | सर्वसाधारण प्रशासन खर्च | | | ९००.७५ |
| ३ | दुरुस्ती व देखभाल खर्च | | | ४९.३९ |
| ४ | निव्वळ संचालन आणि देखभाल खर्च | ३८०.९९ | ३६४.८९ | ३८६.४६ |
| ५ | वेतन कराराचा परिणाम | ५४.२८ | ५४.२८ | ७७.७० |
| ६ | एकूण संचालन आणि देखभाल खर्च | ४३४.४० | ४१९.१७ | ४६४.१६ |

४.३.२ बेस्ट नमूद करते की आ.व. २०१३-१४ चा प्रत्यक्षातील संचालन व देखभाल खर्च बहुवर्षीय वीजदर आदेशाच्या मान्य केलेल्या खर्चापेक्षा जास्त आहे. बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ नुसार प्रमाणक स्थापक संचालन व देखभाल खर्च हा ऊर्जा विक्री, ग्राहकांची संख्या आणि प्रारंभिक ढोबळ स्थिर मत्ता

(जीएफए) यांच्याशी संलग्न आहे. आ.व. २०१३-१४ मधील विक्रीची वाढ ०.९५% इतकी नगण्य होती, त्याचा परिणाम सुधारीत प्रमाणक स्थापक संचालन व देखभाल खर्चावर झाला. जरी विक्री कमी झाली असली तरी बेस्टने आपल्या जालव्यूहाची विश्वासार्हता राखली आणि इतर सेवा ग्राहकांना देऊ केल्या. त्यानुसार बेस्टने संचालन व देखभाल खर्च केला (म्हणजेच कर्मचारी खर्च, सर्वसाधारण प्रशासन खर्च आणि दुरुस्ती व देखभाल खर्च).

४.४ घसारा

४.४.१ बेस्टने आ.व. २०१२-१३ च्या समायोजनेत जो आधार घेतला तोच विचारात घेतला आहे. प्रारंभिक ढोबळ स्थिर मत्ता (जीएफए) आणि लेखा परिक्षित घसाऱ्याच्या आधारावर सरासरी घसाऱ्याचा दर ४.९२% काढला आहे. तदनंतर बेस्ट असे सादर करते की, आ.व. २०१३-१४ च्या प्रारंभिक ढोबळ स्थिर मत्ता (जीएफए) वर सरासरी घसार दर लागू केला तो खालीलप्रमाणे.

तक्ता २३ : आ.व. २०१३-१४ च्या कालावधीसाठी घसारा (रु. कोटी)

| तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेश | बेस्टने सादर केलेल्या याचिकेप्रमाणे |
|-------|----------------------|-------------------------------------|
| घसारा | १०५.६१ | ९६.१३ |

४.५ भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

४.५.१ ग्राहकांना अखंडीत व दर्जेदार ऊर्जा पुरविणे, मागणीनुसार पुरवठा बंधनाचे पालन करणे भविष्यातील वीज मागणीचा पुरवठा करणे, माहिती तंत्रज्ञान व स्वयंचलित तंत्रज्ञानाचा वापर करून उत्तम सेवा देणे आणि म.वि.नियामकात कामगिरी बंधनाची जी मानके निर्देशित केली आहेत ती पूर्ण करणे यासाठी बेस्टने भांडवली खर्चाची गुंतवणूक केलेली आहे.

४.५.२ बेस्ट नमूद करते की, आ.व. २०१३-१४ च्या प्रत्यक्षातील भांडवलीकरण हे बहुवर्षीय वीजदर आदेशामधील मान्यतेच्या प्रमाणात कमी होते त्याची कारणे खालीलप्रमाणे.

अ) सार्वजनिक मंदीमुळे, व्यवसाय आराखडयानुसार नवीन विकासाची कामे अनुमानीत केल्यानुसार सुरु झाली नाहीत, त्यामुळे भांडवली खर्च कमी झाला.

ब) इतर काही बाबतीत संग्रही केंद्रे आणि वितरण केंद्राच्या जागांचा ताबा देण्यास अर्जदारांनी विलंब केला.

क) रस्ता पुनर्स्थापन करण्याच्या सुधारीत योजनेमुळे, केबल टाकण्यास मुंबई मनपाकडून खोदकामाची परवानगी प्राप्त करण्यास उशीर झाला.

ड) रेल्वे प्रशासनाकडून रेल्वे रूळाच्याखालून डक्टमध्ये केबल टाकण्यास, रेल्वे प्रशासनाकडून परवानगी प्राप्त करण्यास उशीर झाला.

४.५.३ बेस्टने भांडवलीकरणा संदर्भात खालील प्रमाणे नमूद केले आहे.

तक्ता २४ : आ.व. २०१३-१४ मधील भांडवलीकरण (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेश | प्रत्यक्षात |
|----------|--|----------------------|-------------|
| १ | उभारणी दरम्यानचे व्याजासोबत (IDC) भांडवलीकरण | २९७.२८ | १०१.२७ |

४.६ आ.व. २०१३-१४ मधील दिर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजाचा खर्च

४.६.१. बेस्ट सादर करते की, आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ च्या विनियम ३३ नुसार दिर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याजाची गणना केली आहे. व्याजाच्या खर्चाचा हिशोब हा सरासरी कर्जावर सरासरी व्याजाच्या दराने केला आहे व तो आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ च्या अनुषंगाने आहे. बेस्टने आ.व. २०१३-१४ चे प्रारंभिक कर्ज म्हणून आ.व. २०१२-१३ च्या प्रमाणक स्थापक कर्जाची अंतिम शिल्लक विचारात घेतली आहे. व्याजाच्या खर्चाची गणना खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता २५ : आ.व. २०१३-१४ कर्जावरील प्रमाणक स्थापक व्याजाचे विवरण (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेश | प्रमाणक स्थापक |
|----------|--------------------------------|----------------------|----------------|
| १ | कर्जाची प्रारंभिक शिल्लक | १६६.७५ | ९.३७ |
| २ | चालू वर्षादरम्यान घेतलेले कर्ज | २०२.६० | ६५.१२ |
| ३ | चालू वर्षादरम्यान फेडलेले कर्ज | १०५.६१ | ९६.१३ |
| ४ | कर्जाची अंतिम शिल्लक | २६५.३२ | ५९.३७ |
| ५ | लागू असलेले व्याजदर (%) | १०.७५% | १०.८०% |
| ६ | व्याजाचा खर्च | २३.३१ | ८.०८ |

४.७ खेळत्या भांडवलावरील व्याज (IWC)

४.७.१ बेस्टने एमईआरसी बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ च्या विनियम ३५ मधील प्रमाणक स्थापक आधारेनुसार खेळत्या भांडवलावरील व्याजाचा हिशोब काढला आहे. बेस्ट सादर करते की, आयोगाने मान्य केलेल्या रु. ३१.०२ कोटीच्या तुलनेत बेस्टचे प्रमाणक स्थापक खेळत्या भांडवलावरील व्याज (IWC) रु. ३१.१५ आहे. खेळत्या भांडवलाचा वाढीव खर्च हा संचलन व देखभाल वाढीव खर्चामुळे आणि ऊर्जा विक्रीतून कमी झालेला महसूल आणि ऊर्जा खरेदी खर्च यामुळे वाढला आहे.

४.७.२ बेस्ट सादर करते की, आ.व. २०१३-१४ मध्ये खेळत्या भांडवली खर्चावर (ICW) आलेला व्याजाचा खर्च रु. १३२.४२ कोटी आहे. बेस्टला मा. आयोगाने आ.व.२०११ साठी मंजूर केलेला १४०१.४२ कोटी महसूल तफावतीमुळे (कॅरींग कॉस्टसंहित), रोखीचा प्रचंडप्रमाणात तुटवडा जाणवत आहे. बेस्टने ही कमतरता वित्तीय संस्थांकडून, अल्प मुदतीचे कर्ज घेऊन भरून काढली. तसेच बेस्टने, महानगरपालिकेकडे मुं.म.न.पा. कायदा १८८८ च्या कलम ११५(२) अंतर्गत तात्पुरती आगाऊ रक्कम मागितली आणि त्यानुसार बेस्टला महानगरपालिकेने महाराष्ट्र राज्याच्या मान्यतेने रु. १६००

कोटी १०% दराने मंजूर केले. या रु. १६०० कोटीमधून, बेस्टने मार्च २०१३ मध्ये रु. ४०० कोटी आगाऊ घेतले. बहुवर्षीय वीजदर आदेश वसूली रकमेचा दरवाढ आघात, ग्राहकांना बसु नये या दृष्टीने तो पुढे ढकलण्यात आला. शिवाय बहुवर्षीय वीजदर मा. आयोगाने ऑगस्ट २०१३ च्या महिन्यात बहुवर्षीय वीजदर आदेश काढला आणि आ.व. २०१३-१४ ची सुधारीत वीजदर सूची १ सप्टेंबर २०१३ पासून लागू केली. याचा बेस्टच्या रोख गंगाजळीवर विपरीत परिणाम झाला. त्यामुळे बेस्टला टीपीसी - जी ऊर्जा खर्चाची देयके वेळेत देता आली नाहीत. त्यानुसार बेस्टने आ.व. २०१३-१४ मुं. म.न.पा. कडून मिळालेले हंगामी रक्कम रु. १२०० कोटी घेतले.

४.८ ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज

४.८.१ आ.व. २०१३-१४ च्या ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज खालीलप्रमाणे

तक्ता २६ : आ.व. २०१३-१४ मधील ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेशा प्रमाणे | प्रत्यक्षात |
|----------|------------------------|-------------------------------|-------------|
| १ | सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | २२.०६ | २२.५० |

४.९ आकस्मिक निधी योगदान

४.९.१ बेस्ट असे सादर करते की, मा. आयोगाने २००९ च्या प्रकरण क्र. ९५ मध्ये दि. १२ सप्टेंबर २०१० रोजी आदेश आणि त्यानंतरचे मा. अपिलीय प्राधिकरण विद्युत यांचा २०११ च्या क्र. ८ अपीला बाबत दि. २२ मार्च २०१२ रोजी दिलेल्या निकालानुसार मिळालेल्या निवाड्यात आकस्मिक राखीव योगदान प्रारंभिक ढोबळ मतेवरील ०.२५% योगदान देऊन पालन केले. त्यामुळे बेस्टने आ.व.२००८-०९ च्या प्रारंभिस जीएफए मध्ये ०.५ दराने तरतूद केली आणि इंडियन ट्रस्ट अॅक्टच्या अंतर्गत मान्य केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणूक केली होती आणि ती बेस्टच्या साधारण गुंतवणूक खात्यामध्ये हस्तांतरण केली.

४.९.२ दिनांक १६ ऑक्टोबर, २०११ ला बँकबे ११० केव्ही रिसिक्लींग स्टेशनमध्ये आगीची घटना घडली. त्या संदर्भात बेस्टने ३.८६ कोटी खर्च केले. हा आकस्मिक दिसणारा खर्च बेस्टच्या नियंत्रणा बाहेर होता. हा झालेला खर्च आ.व.२०१३-१४ च्या रु.४.८९ कोटी तरतूदीमध्ये समायोजित करणे आवश्यक होते आणि उर्वरित जादा गुंतवणूकीची रक्कम रु. ०.९७ कोटी, आ.व.२०१४-१५ मध्ये गुंतवणूक करायचा विचार केला. म्हणून बेस्ट सादर करते की, आकस्मिक राखीव निधी रु. ४.८९ कोटी हा लेखापालच्या हिशोबावर आधारित आहे.

तक्ता २७ : आ.व. २०१३-१४ मधील आकस्मित राखिवसाठी योगदान

(रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेशा प्रमाणे | प्रत्यक्षात |
|----------|--------------------------|-------------------------------|-------------|
| १ | आकस्मित राखिवसाठी योगदान | ५.१५ | ४.८९ |

४.१० इतर खर्च

४.१०.१ खर्चाचे खंडीकरण खालीलप्रमाणे

तक्ता २८: आ.व. २०१३-१४ मधील इतर खर्चाचे विवरण (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेशा प्रमाणे | प्रत्यक्षात |
|----------|----------------------|-------------------------------|--------------|
| १ | ऊर्जा घटक प्रोत्साहन | ६९.७५ | ७४.९७ |
| २ | तत्पर प्रदान सूट | ११.१४ | १४.३ |
| ३ | इसीएस सूट | ०.३७ | ०.३९ |
| | एकूण | ८१.२६ | ९०.२१ |

४.११ बुडीत आणि वसूली अनिश्चित कर्जाची तरतूद

४.११.१ बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ च्या नियम ७८.६ आणि ९२.९ च्या नियमानुसार मा. आयोगाने बुडीत आणि वसूली अनिश्चित असलेल्या कर्जाची तरतूद लेखापरिक्षणात येणे म्हणून असलेल्या रक्कमेच्या १.५% एवढी प्रस्तावित केली आहे. बेस्टने रु. ६.५० कोटी एवढी रक्कम बुडीत म्हणून आ.व. १९९८-९९ ते आ.व. १९९९-२००० या कालवधिसाठी लेखापरिक्षण आ.व. २०११-१२ मध्ये येणे असलेल्या रु. ४३२.८२ कोटी रकमेचा विचार करून दाखविली आहे.

४.१२ अंतर्गत निधी व भागभांडवलावर परतावा

४.१२.१ बेस्ट मान्य करते की, त्यांनी बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०११ च्या नियम ३२ नुसार भागभांडवलावरील परताव्याची गणना केली आहे. आ.व. २०१३-१४ मधील मालमत्तेचे तार व पुरवठाव्यवसायासाठी प्रमाण ८७.५५ : १२.४५ आहे. बेस्टने मा. आयोगाने २०११ च्या प्रकरण क्र. १२४ (दि. १५.०१.२०१३) च्या आदेशामध्ये मंजूर केलेल्या पध्दतीनुसार सरासरी भाग भांडवलावरील परताव्याचा दर १५.७५% असा विचारात घेतला आहे. बेस्टचा भागभांडवल परतावा याचा तपशील खालीलप्रमाणे.

तक्ता २९ : आर्थिक वर्ष २०१३-१४ मधील भागभांडवलावरील परतावा.

| अनु.क्र. | तपशील | एमवायटीच्या आदेशातील मान्यता | प्रमाणकरस्थापक |
|----------|------------------------------|------------------------------|----------------|
| १. | वर्षा आरंभी नियामक भागभांडवल | ८४३.८९ | ८०७.६७ |
| २. | अनुज्ञेय भांडवलीकरण | ३०१.४३ | १०१.२७ |
| ३. | (वजा) भांडवली जोडणी शुल्क | १२ | ८.२४ |

| | | | |
|----|---|---------------|---------------|
| ४. | निव्वळ भांडवलीकरणाची अनुज्ञेय रक्कम (२-३) | २८९.४३ | ९३.०३ |
| ५. | भांडवलीकरणातील भागभांडवलाचा हिस्सा (३०%*४) | ८६.८३ | २७.९९ |
| ६. | भागभांडवलात घट - निवृत्ती /बदली केलेली मत्ता | २.५७ | ४.५६ |
| ७. | वर्षा अखेरीस नियामक मत्ता | ९२८.९५ | ८३९.०९ |
| ८. | वर्षा आरंभी नियामक मत्तेवर ९५.७५% दिलेला परतावा | ९३३.०० | ९२७.२० |
| ९. | भांडवली खर्चातील ९५.७५% भागभांडवलावरील हिस्सा | ६.६४ | ९.८४ |
| | नियामक भाग भांडवलावर एकूण परतावा | ९३९.६४ | ९२९.०४ |
| | अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा | ५.२८ | ५.२८ |

४.९३ वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न

४.९३.९ बेस्टने आ.व. २०१३-१४ मध्ये रु. ६९.७९ कोटी उत्पन्न वीजदराव्यतिरिक्त इतर स्रोताद्वारे प्राप्त केले आहे

४.९४ परिवहन विभागातील तूट

४.९४.९ बेस्ट असे नमुद करते की, मा. आयोगाने दि. १६ मार्च २०१२ रोजी २०११ चे प्रकरण क्र. १२५ मध्ये दिलेल्या आदेशात परिवहन तूट (समभाग व अंतर्गत निधी वरील परतावा यांच्या समायोजनानंतरची) मंजूर करण्याची गरज व पध्दतीबाबत सखोल विवेचन केलेले आहे. या पध्दतीनुसार मा. आयोगाने समभाग व अंतर्गत निधी वरील परतावा यांच्या समायोजनानंतरची रु. २६०.९७ कोटी इतकी परिवहन विभागाची तूट या बहुवार्षिक वीजदराच्या आदेशात मंजूर केलेली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दि. ०८ डिसेंबर २०१४ रोजी दिलेल्या अंतरिम आदेशाच्या पार्श्व भुमिवर परिवहन विभागाची तूट कोणत्या पध्दतीने विचारात घ्यायची यावर सखोल लेखन परिच्छेद १.३ मध्ये केलेला आहे. मा. आयोगाने समभाग व अंतर्गत निधी वरील परतावा वगळून मान्य केलेली परिवहन विभाग तूट बेस्टने विचारात घेतली आहे ती खालील प्रमाणे आहे.

तक्ता ३० : आ.व. २०१३ -१४ ची प्रत्यक्ष परिवहन विभागातील तूट (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | बहुवर्षिय वीजदर आदेशाने मान्य केल्याप्रमाणे | वर्तमान याचिकेमध्ये केलेला दावा |
|----------|--|---|---------------------------------|
| १. | चालू वर्षाकरिता तूट / आधिक्य | ४०५.८९ | ४०५.८९ |
| २. | चालू वर्षाकरिता भाग भांडवलावरील परतावा व अंतर्गत निधीवरील परतावा | ९४४.९२ | ९३४.३२ |
| | परिवहन विभागाची तूट (निव्वळ भाग भांडवलावरील परतावा व अंतर्गत निधीवरील परतावा) | २६०.९७ | २७९.५७ |

४.१५ वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहन

वायर उपलब्धता

४.१५.१ आ.व. २०१३-१४ मध्ये वायरची उपलब्धता आयोगाच्या बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०११ च्या निर्देशात लक्ष्याच्या ९५% वर साध्य केली. सदर बेस्टने आयोगाच्या बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०११ च्या नियम ८४ मध्ये निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे बेस्टने लक्ष्यापेक्षा अधिक वायर उपलब्धता साध्य केल्याने प्रोत्साहनास पात्र ठरते.

पुरवठा उपलब्धता

४.१५.२ कंत्राटी मूळ भार पुरवठा व कंत्राटी (पीक) लोड पुरवठ्याची गणना आयोगाने अंमलात आणलेल्या पध्दतीवर आधारीत आहे. बेस्टनी वायर आणि पुरवठ्याचा उपलब्धतेच्या कामगिरीवरील प्रोत्साहनाची गणना केली आहे, ती खालीलप्रमाणे :

तक्ता ३१ : आ.व. २०१३ -१४ च्या वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेकरिता प्रोत्साहन

| अनु.क्र. | तपशील | युनिटस् | आ.व. २०१२-१३ |
|----------|--|----------|-----------------|
| १. | वायर उपलब्धतेचे लक्ष्य | % | ९५.०० |
| २. | प्रत्यक्ष वायर उपलब्धता | % | ९९.९७ |
| ३. | वायर उपलब्धतेत जास्त साध्यता (कमी साध्यता) | % | ४.९७ |
| ४. | पुरवठा उपलब्धतेचे लक्ष्य | % | ९५.०० |
| ५. | प्रत्यक्ष पुरवठा उपलब्धता | % | १०३.५७ |
| ६. | पुरवठा उपलब्धतेत जास्त साध्यता (कमी साध्यता) | % | ८.५७ |
| ७. | भाग भांडवलावरील परताव्याचा (ROE) चा सरासरी दर | % | १५.७५ |
| ८. | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेची गणना (प्रोत्साहन /दंड) भाग भांडवलावरील परतावा (ROE) सुधारित सरासरी दर | % | १६.२९ |
| ९. | नियामक मत्तेवरील परतावा | रु. कोटी | १२९.०४ |
| १०. | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेच्या प्रोत्साहन/दंड समायोजना नंतर नियामक मत्तेच्या वरील परतावा | रु. कोटी | १३३.४८ |
| ११. | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेकरिता प्रोत्साहन /दंड | रु. कोटी | ४.४४ |
| १२. | बेस्टने ठेवलेली रक्कम वरील प्रोत्साहन /दंड च्या २/३ | रु. कोटी | २.९६ |
| १३. | बेस्टनी ग्राहकांना देऊ केलेली रक्कम (वरील प्रोत्साहन /दंड च्या १/३) | रु. कोटी | १.४८ |

४.१६ **वितरण हानी / घट प्राप्त केल्यामुळे प्रोत्साहन**

४.१६.१ आयोगाने बहुवर्षिय वीजदर आदेशात ७% प्रमाणक स्थापक लक्ष्य वितरण हानीसाठी मान्य केले असताना, बेस्टने वितरण हानी प्रत्यक्ष ५.९१% पर्यंत साध्य केली. म्हणून, ते वितरणातील हानी कमी झाल्यामुळे, त्याबाबत प्रोत्साहन मिळण्यास दावेदार आहेत. आ.व. २०१३-१४ कमी झालेल्या वितरणातील हानीमुळे प्रोत्साहन म्हणून रु. ३०.२५ कोटी आहे.

४.१७ **संचालन व परिरक्षण खर्चाकरिता फायदा अथवा नुकसानाची विभागणी**

४.१७.१ बेस्टने आपल्या याचिकेत संचालन व परिरक्षण खर्चाच्या प्रमाणक स्थापकामध्ये शिथिलता मागताना रोखीचे योग्यप्रमाण राखण्यासाठी आ.व. २०१३-१४ करीता संचालन व परिरक्षण खर्चात बदलामुळे फायदा अथवा तोट्याचा हिस्सा गृहीत धरला नाही.

४.१८ **खेळत्या भांडवलावरील व्याजाकरीता फायदा अथवा तोट्याची विभागणी**

४.१८.१ आयोगाच्या बहुवर्षिय वीजदर विनियमानुसार, खेळत्या भांडवलाच्या आवश्यकतेस नियंत्रित घटक म्हटले आहे. बेस्टने आ.व. २०१३-१४ मध्ये प्रत्यक्ष रु १३२.४२ कोटी खेळत्या भांडवलावरील व्याजापोटी खर्च केला आहे. बेस्टने खेळत्या भांडवलाच्या व्याजापोटी फायदा किंवा नुकसानीचा केलेला हिशोब खालीलप्रमाणे :

तक्ता ३२ : आ.व. २०१३ -१४ च्या खेळत्या भांडवलावर बदलणा-या व्याजामुळे होणारा फायदा किंवा नुकसान (रु. कोटी)

| अनु.क्र. | तपशील | युनिट्स |
|----------|--|----------|
| १. | बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०११ च्या तरतूदीनुसार खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ३१.१५ |
| २. | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | १३२.४२ |
| ३. | खेळत्या भांडवलावरील बदलणा-या व्याजामुळे होणारा फायदा/नुकसान | (१०१.२७) |
| ४. | बेस्टने ठेवलेली रक्कम (वरील फायदा/नुकसान २/३) | (६७.५१) |
| ५. | बेस्टने ग्राहकांना वर्ग केलेली रक्कम (वरील फायदा/नुकसान १/३) | (३३.७६) |
| ६. | बेस्टचा निव्वळ पात्रता | ६४.९१ |

४.१९ **आ.व. २०१३-१४ एकूण महसूल आवश्यकतेचे समायोजन:**

४.१९.१ बेस्टने सादर केलेला आ.व. २०१३-१४ एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश (एआरआर) सारांश खालीलप्रमाणे :

तक्ता ३३ : एकूण महसूलच्या आवश्यकतेत केलेली आ.व. २०१३-१४ मधील समायोजन (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | एमवायटीच्या आदेशातील मान्यता | प्रत्यक्षात | फायदा/नुकसान घेतल्यानंतर निव्वळ लाभ |
|-----------|---|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| १. | ऊर्जा खरेदी खर्चात (पारेषण, एसएलडीसी आणि स्टॅंड बाय शुल्कासहीत) | २९८७.३९ | २६२७.३६ | २६२७.३६ |
| २. | संचलन आणि देखभाल खर्च | ४३४.४० | ४६४.१६ | ४६४.१६ |
| ३. | घसारा | १०५.६१ | ९६.१३ | ९६.१३ |
| ४. | दिर्घ मुदतीच्या आणि लघु मुदतीच्या कर्जावरील व्याज | २३.३१ | ८.०८ | ८.०८ |
| ५. | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ३१.०२ | ३१.१५ | ६४.९१ |
| ६. | सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | २२.०६ | २२.५० | २२.५० |
| ७. | बुडीत आणि वसूलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद | ०.०० | ६.५० | ६.५० |
| ८. | इतर खर्च | ८१.२६ | ९०.२१ | ९०.२१ |
| ९. | आयकर | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १०. | आकस्मिक निधीतील अंशदान | ५.१५ | ४.८९ | ४.८९ |
| ११. | वितरणहानीतील घट प्रोत्साहन | ० | ० | ३०.२५ |
| १२. | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन | ० | ० | २.९६ |
| १३. | एकूण महसूल खर्च | ३६९०.१८ | ३३५०.९९ | ३४१७.९५ |
| १४. | भागभांडवलावरील परतावा | १३९.६४ | १२९.०४ | १२९.०४ |
| १५. | अंतर्गत निधीवरील व्याज म्हणून परतावा | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ |
| १६. | एकूण महसूल आवश्यकता | ३८३५.१० | ३४८५.३१ | ३५५२.२७ |
| १७. | वजा: वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न | ६८.५० | ६१.७९ | ६१.७९ |
| १८. | एकूण महसूल आवश्यकता | ३७६६.६० | ३४२३.५२ | ३४९०.४८ |
| १९. | अधिक: परिवहन विभागाची तूट / अधिक्य | २६०.९८ | ६३३.४२ | २७१.५७ |
| २०. | एकूण महसूल आवश्यकता (परिवहन तूटसहित) | ४०२७.५७ | ४०५६.९४ | ३७६२.०६ |

४.२० आ.व. २०१३-१४ महसूलातील तफावत :

४.२०.१ मा.आयोगाने आ.व. २०१३-१४ च्या कालावधीसाठी वीजदर निश्चित करण्याच्या दृष्टिने, मागील काळासाठीच्या महसूलातील रु. ३५०८.९७ कोटी तफावत मान्य करताना आणि ही महसूल तफावत व्याजासहित ३ वर्षात वसूल करण्यासाठी बेस्टला परवानगी दिली. प्रत्यक्षात, आ.व. २०१२-१३ मध्ये मान्य केलेली परिवहन तूट आयोगाने मान्यता दिलेल्या खर्चापेक्षा वेगळी होती. बेस्टनी महसूलातील तफावत निश्चित करताना प्रत्यक्षातील परिवहन तूट विचारात घेतली आहे.

तक्ता ३४ :आ.व. २०१२ -१३ च्या अखेरीस एकूण सुधारित महसूल तफावत (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | दर | बहुवर्षिय वीजदर आदेशातील मान्यतेनुसार | बेस्टने सादर केलेले |
|-----------|---|--------|---------------------------------------|---------------------|
| १. | आ.व. २०१०-११ च्या महसूलातील तफावत | | ५८९.३३ | ५८९.३३ |
| २. | आ.व. २०११-१२ साठी व्याज | १४.३९% | ८४.८० | ८४.८० |
| ३. | आ.व. २०१२-१३ साठी व्याज | १४.६२% | ८६.१६ | ८६.१६ |
| ४. | आ.व. २०१०-११ तील महसूल तफावत (व्याजासहित) | | ७६०.२९ | ७६०.२९ |
| ५. | आ.व. २०११-१२ बेस्टचे (तफावत) / अधिक्क | | ५५९.३४ | ५५९.३४ |
| ६. | आ.व. २०१२-१३ साठी व्याज आ.व. २०११-१२ च्या तफावतीवर | १४.६२% | ८१.७८ | ८१.७८ |
| ७. | आ.व. २०११-१२ तील महसूल तफावत (व्याजासहित) | | ६४१.१२ | ६४१.१२ |
| ८. | दिनांक १६ मे, २०१२ च्या प्रकरण २०११ च्या १७१ क्रमांकाच्या आदेशानुसार नियामक मत्ता | | ३०० | ३००.०० |
| ९. | आ.व. २०१२-१३ साठी व्याज | १४.६२% | ४३.८६ | ४३.८६ |
| १०. | एकूण नियामक मत्ता (व्याजासहित) | | ३४३.८६ | ३४३.८६ |
| ११. | आ.व. २००४-०५ ते आ.व. २००८-०९ ची परिवहन तूट | | ११८७.७१ | ११८७.७१ |
| १२. | आ.व. २०१२-१३ पर्यंत वसूल करण्याजोगी एकूण रक्कम | | २९३२.९८ | २९३२.९८ |
| १३. | आ.व. २०१२-१३ साठी महसूल तफावत | | २७१.८५ | ३१४.४५ |

| | | | | |
|-----|---|--|---------|---------|
| १४. | टीपीसी -जी ची मागील वसूली (व्याजासहित) | | ३०४.१५ | ३०४.१५ |
| १५. | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात विचारात घेतलेली एकूण महसूल तफावत | | ३५०८.९८ | ३५५९.५८ |

४.२०.२ मा.आयोगाने बहुवर्षिय वीजदर आदेशात विद्युत विक्रीच्य रु. ४७४५.४० कोटी एवढ्या महसूलास मंजुरी दिली. तथापि, प्रत्यक्षात मिळालेला महसूल रु. ३८७६.५० कोटी होतो. आ.व. २०१३-१४ मधील महसूलातील तफावत खालीलप्रमाणे :

तक्ता ३५ :आ.व. २०१३ -१४ महसूलामधील तफावत (रु. कोटी)

| अनु. क्र. | तपशील | एमवायटीच्या आदेशातील मान्यता | बेस्टने सादर केलेले |
|-----------|---|------------------------------|---------------------|
| १. | एकूण आवश्यक महसूल परिवहन तूटीसहित | ४०२७.५७ | ३७६२.०६ |
| २. | बेस्टची मागील वसूली (महसूल तफावत व्याजासहित) | १४५८.७३ | १४७७.११ |
| ३. | टीपीसी-जी ची मागील वसूली (व्याजासहित) | १३८.४४ | ३२६.३३ |
| ४. | एकूण महसूल आवश्यकता (मागील वसूलीसहित) | ५६२४.७५ | ५५६५.४९ |
| ५. | वजा : सध्याच्या वीजदरानुसार महसूल | ४७४५.४० | ३८७६.५० |
| ६. | वजा : दक्षता मोहिमेमुळे मिळालेला महसूल | - | ५.८९ |
| ७. | अधिक : विद्युत कर आणि महाराष्ट्र कर देणी | - | ०.९९ |
| ८. | आ.व. २०१३-१४ मधील निव्वळ महसूल (तफावत) / अधिक | (८७९.३४) | (१६८४.०९) |

५ आ.व. २०१४-१५ चे समायोजन

५.१ ऊर्जा विक्री

५.१.१ बेस्ट असे सादर करते की, प्रत्यक्षात आ.व. २०१४-१५ मध्ये वीजेची विक्री रु. ४,४१८.८३ एमयु एवढी झाली.

५.२ वितरणातील हानी आणि ऊर्जा संतुलन

५.२.१ बेस्टची प्रत्यक्ष वितरणातील हानी ६.५३% एवढी आहे. ही मा. आयोगाने बहुवर्षिय वीजदर आदेशामध्ये आ.व. २०१४-१५ च्या कालावधीसाठी निर्धारित केलेल्या हानीच्या लक्ष्यापेक्षा, तुलना करता कमी आहे. त्यानुसार, बेस्टनी वितरणातील हानीत झालेल्या घटीच्या आधारावर प्रोत्साहनाचा दावा केला.

५.२.२ आ.व. २०१४-१५ च्या प्रत्यक्षातील ऊर्जा खरेदी रु. ४,९१९.६८ एमयु एवढी आहे. ऊर्जा संतुलनाचे विवरण खालील तक्त्यात दर्शविले आहे.

तक्ता ३६ :आ.व. २०१४ -१५ चे ऊर्जा संतुलन

| अनु. क्र. | तपशील | गणकाचे घटक | आ.व. २०१४-१५ | | |
|-----------|---|-------------|------------------------------|----------------|------------------|
| | | | बहुवर्षिय वीजदर आदेशाप्रमाणे | प्रत्यक्षात | समायोजन आवश्यकता |
| १. | महाराष्ट्रामधून ऊर्जा खरेदी | | | | |
| १.१ | टीपीसी-जी | एमयु | ४०५३.५९ | ३४११.०२ | ३४११.०२ |
| १.२ | आरपीएस (स्पार्क ग्रीन) | एमयु | २८३.८२ | - | - |
| १.३ | आरपीएस-सौर वेलस्पन | एमयु | ४५ | ३०.०० | ३०.०० |
| १.४ | आरपीएस-इतर सौर | एमयु | | २३.०३ | २३.०३ |
| १.५ | आरपीएस-इतर सौर व्यतिरिक्त | एमयु | २१२.४९ | २४२.६२ | २४२.६२ |
| १.६ | आरइसी खरेदी | एमयु | | - | - |
| १.७ | बाहेरील ऊर्जा खरेदी/(विक्री) | एमयु | १२४४.०७ | ८३८.८३ | ८३८.८३ |
| १.८ | पुलमधील असमतोलपणा | एमयु | | ३३०.२४ | ३३०.२४ |
| १.९ | स्टॅण्ड बाय खरेदी | एमयु | | ४३.९४ | ४३.९४ |
| १.१ | आयइएक्स खरेदी | | | | - |
| | एकूण जी <math>\blacktriangleleft</math> टी कक्षपाशी ऊर्जा खरेदी उपलब्धता | एमयु | ५८३८.९७ | ४९१९.६८ | ४९१९.६८ |
| २ | जी <math>\blacktriangleleft</math> टी कक्षपाशी ऊर्जा आवश्यकता | एमयु | | | |
| २.१ | आंतर राज्य (इंटा स्टेट) पारेषण नुकसान | % | ४.२०% | ३.९०% | ३.९०% |
| २.२ | आंतर राज्य (इंटा स्टेट) पारेषण नुकसान | एमयु | २४५.२३ | १९२.०५ | १९२.०५ |
| | | | | | |
| ३. | एकूण उपलब्ध असलेली ऊर्जाची विक्री ३३ कि.वॅ. | एमयु | ५५९३.७४ | ४७२७.६३ | ४७२७.६३ |
| ३.१ | वितरण हानी | % | ६.७५% | ६.५३% | ६.५३% |
| ३.२ | वितरण हानी | एमयु | ३७७.५८ | ३०८.७९ | ३०८.७९ |
| १६. | एचटी विक्री | एमयु | | | |

| | | | | | |
|------|----------------------------|------|---------|---------|---------|
| १६.१ | स्वतःच्या ग्राहकांस विक्री | एमयु | ६९०.१ | ६८६.२९ | ६८६.२९ |
| १७. | एलटी विक्री | एमयु | | | |
| १७.१ | स्वतःच्या ग्राहकांस विक्री | एमयु | ४५२६.०६ | ३७३२.५४ | ३७३२.५४ |

५.३ आ.व. २०१४-१५ चा ऊर्जा खरेदी खर्च

५.३.१ बेस्टने आ.व. २०१४-१५ साठी समायोजन करताना उर्जा खरेदीचे विविध स्रोत विचारात घेतले आहेत. लेखापालच्या आ.क्र. २०१४-१५ अहवालातील स्रोतनिहाय ऊर्जा खरेदी खर्च विचारात घेतली. आ.व. २०१४-१५ च्या ऊर्जा खरेदी खर्च खालील तक्त्यात दर्शविले आहे.

तक्ता ३७ :आ.व. २०१४ -१५ मधील प्रत्यक्ष ऊर्जा खरेदी

| अनु क्र. | ऊर्जेचा स्रोत | एमवायटी आदेश | | | आ.व.२०१४-१५ (प्रत्यक्षात) | | |
|----------|---|--------------|----------------|-----------|---------------------------|----------------|------------|
| | | एमयु | रु. कोटी | रु./युनिट | एमयु | रु. कोटी | रु./ युनिट |
| १. | टीपीसी-जी | ४०५३.५९ | १९३५.१३ | ४.७७ | ३४११.०२ | १६६४.३४ | ४.८८ |
| २. | आरपीएस (स्पार्क ग्रीन) | २८३.८२ | १४२.२० | ५.०१ | | | |
| ३. | आरपीएस-सौर | ४५.०० | ३८.५२ | ८.५६ | ५३.०३ | ४३.३९ | ८.१८ |
| ४. | आरपीएस-इतर (सौर व्यतिरिक्त) | २१२.४९ | १२३.४६ | ५.८१ | २४२.६२ | १५७.०५ | ६.४७ |
| ५. | आरइसी खरेदी | | | | ०.०० | २६.४० | |
| ६. | बाहेरील ऊर्जा खरेदी/(विक्री) | १२४४.०७ | ५४८.३७ | ४.४१ | ८३८.८३ | २७७.८७ | ३.३१ |
| ७. | पुल असमतोलता | | | | ३३०.२४ | ४८.६१ | १.४७ |
| ८. | स्टॅण्ड बाय खरेदी | | | | ४३.९४ | ११.३९ | २.५९ |
| ९. | स्टॅण्ड बाय शुल्क | | १०९.३३ | | | १०९.३३ | |
| १०. | टीपीसीकडून सूट | | | | | ०.०० | |
| ११. | आरपीएस सूट | | | | | -३.६० | |
| १२. | द्विपक्षीय सूट | | | | | -४.८५ | |
| १३. | टीपीसी-जी ला विलंब देणी आकार आणि व्याज | | | | | ३९.१० | |
| १४. | सुधारित बिलेनुसार मागील कालावधीतील टीपीसी-जी देणी | | | | | ३.७४ | |
| १५. | एप्रिल १४ ते ऑक्टोबर १४ मधील युनिट-८ चे विलंब देणी आकार (डीपीसी) आणि जून १४ ते जुलै १४ मधील युनिट-६ ची विलंब देणी आकार (डीपीसी) | | | | | -६.८२ | |
| १६. | एमएसएलडीसीनुसार मागील देय रक्कम | | | | | २२.७४ | |
| | ऊर्जा खरेदी खर्च | | २८९७.०१ | | | २३८८.६८ | |
| १७. | पारिषण शुल्क | | ३११.३८ | | | ३२७.४८ | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|--|---------|---------|--|
| १८. | एमएसएलडीसी शुल्क | | १.२८ | | | १.६३ | |
| १९. | एकूण ऊर्जा खरेदी खर्च त्यामध्ये पारेषण आणि एसएलडीसी शुल्क समाविष्ट | ५८३८.९७ | ३२०९.६७ | | ४९९९.६८ | २७९७.७९ | |
| २०. | सरासरी ऊर्जा खरेदी खर्च (रु. युनिट) | | ५.५० | | | ५.५२ | |

५.३.२ बेस्ट असे म्हणते की, सातत्याने त्यांच्या महसूल तफावतीमुळे रोख गंगाजळीमध्ये घट झाल्यामुळे टीपीसी-जीचे देयक निर्धारित वेळेत देऊ शकलो नाही. म्हणून बेस्टला टीपीसी-जी आ.व. २०१४-१५ साठी विलंब शुल्क म्हणून रु. ३२.२८ कोटी रक्कम देणे आवश्यक झाले. मागील काही वर्षी बेस्टनी वेळेवर देयक दिल्यामुळे त्यांना मिळालेल्या तत्पर प्रदान सवलत रक्कम त्यांच्या ऊर्जा खरेदी खर्चामधून वळती केली होती. हा फायदा बेस्टने त्यांच्या ग्राहकांना पूर्णपणे दिला होता. बेस्ट यापुढे असे म्हणते की, त्यांच्या ग्राहकांना तत्पर प्रदान सवलतीचा फायदा देताना त्याचा मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण २०११ च्या नियम १४ नुसार लाभ/घट यांचा हिस्सा विचारात घेतला नाही याचाच अर्थ असा की, मा. आयोगाने हा तत्पर प्रदान सवलतीचा लाभ ग्राहकांना देताना सदर खर्च / महसूल नियंत्रित असल्याचे विचारात घेतले नव्हते. तसेच देयके उशिरा दिल्यामुळे त्यावरील विलंब शुल्क देणे अनियंत्रित घटक समजून ते वार्षिक महसूली आवश्यकतेमध्ये समाविष्ट करण्याची अनुमती बेस्टने मा. आयोगाकडे मागितली.

५.४ संचालन व देखभाल खर्च

५.४.१ मा. आयोगाने मान्यता दिलेले संचालन व देखभाल खर्चाच्या सुधारित मानका नुसारच आधारित ही ग्राहक आणि प्रारंभीचा जीएफए व प्रत्यक्ष विक्री यावर आधारित आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

तक्ता ३८ : २०१४-१५ चा संचालन व देखभाल खर्च

| अनु क्र. | तपशील | युनिटस् | आ.व. २०१४-१५ | | |
|----------|---|------------|-----------------------|---|------------------|
| | | | बहुवार्षिक वीजदर आदेश | समायोजन विक्री, ढोभळ स्थिर मत्ता (जीएफए) आणि ग्राहक संख्यानुसार | समायोजन आवश्यकता |
| अ) | संयुक्त संचालन व देखभाल प्रमाणे | | | | |
| १. | विनियमात निर्दिष्ट केल्यानुसार संचालन व देखभाल खर्चाचे प्रमाण | | | | |
| १.१. | प्रवाहीत ऊर्जा | पैसे/कि.वॅ | २०.२६ | २०.२६ | |

| | | | | | |
|-----------|---|-------------------------|---------------|---------------|---------------|
| १.२. | वायर धंद्यातील ग्राहक संख्येसाठी | रु. लाख/ ०.०० ग्राहक | २०.०६ | २०.०६ | |
| १.३. | दुरुस्ती व देखभाल खर्च | जीएफए % | ४.५०% | ४.५०% | |
| २. | संचालन व देखभाल खर्चातील मानक | | | | |
| २.१. | प्रवाहीत ऊर्जा | एमयु | ५२१९.१ ६ | ४४१८.८३ | |
| २.२. | वायर धंद्यातील ग्राहक संख्येसाठी | १००० ग्राहक | १०४४.९ ६ | १०१८.१९३ | |
| २.३. | प्रारंभीचा जीएफए | रु. कोटी | २३२७.८ ७ | २०३७.२४ | |
| ब) | एकूण संचालन व देखभाल खर्च | रु. कोटी | ४२०.०५ | ३८५.४५ | ४६५.०५ |
| | वेतन कराराचा परिणाम | रु. कोटी | ५४.२८ | ४९.१२ | ४९.१२ |
| | वेतन कराराच्या परिणामासहित एकूण संचालन व देखभाल खर्च | रु. कोटी | ४७४.३३ | ४३४.५७ | ५१४.१७ |

५.४.२ आ.व. २०१४-१५ मधील वेतनवाढीचा बोजा रु. ४९.१२ कोटी होता. ह्यामध्ये मूळ वेतनात ०.५४ कोटी, महागाई भत्ता १९.६० कोटी, घरभाडे भत्ता रु. २.५५ कोटी, रजा प्रवास सहाय्य रु. ०.११ कोटी, रजेचे रोख देणी रु. १.७२ कोटी, वैद्यकीय भत्ता उणे रु. ०.०९ कोटी, जादा काम देणी नकारात्मक करुन रु. ४.१० कोटी, भविष्य निधी रु. ३.०८, उपदान रु. १.३८ कोटी इतर घटकांमधील वाढ आणि अंतरिम मदत/वेतन समझोता (थकबाकी) रु. २४.३३ कोटीचा समावेश आहे.

५.४.३ आ.व. २०१४-१५ मध्ये खालील घटकांमुळे कर्मचाऱ्यांवरील खर्च वाढला.

अ एप्रिल २०१४ पासून नवीन वेतन श्रेणीमुळे मूळ पगारामध्ये प्रत्यक्षात वाढ झाली.

ब एप्रिल २०१४ ते मार्च २०१५ या कालावधीत महागाई भत्त्याचा निर्देशांक २८७३६ वरुन ३०४६९ एवढा झाला.

क वेतन करारानुसार घरभाडे भत्त्यात टक्केवारी वाढ २७% वरुन ३०% झाली.

प्रशासकीय आणि सर्वसाधारण खर्च

५.४.४ प्रशासकीय आणि साधारण खर्चात मोठी वाढ खालील कारणांमुळे झाली

अ) भाडे, दर आणि करामध्ये रु. ५.१४ कोटी वाढ झाली. ही वाढ मुख्यतः मुं.म.न.पा. च्य स्वीकारलेल्या सुधारीत धोरणांमुळे दर मालमत्ताकर मालमत्तेच्या मुल्यांकनावर दिनांक ०१.०४.२०१० पासून लागू केला गेला. बेस्टने सुधारित मालमत्ता कराची आ.व. २०१४-१५ मध्ये मिळालेल्या प्रत्यक्ष आधारावरील असलेली देणी अदा केली.

ब) वाढलेल्या परवाना शुल्क आणि इतर संबंधित शुल्कामध्ये सक्षम संस्थांकडून वाढ

केल्यामुळे रु. १.३९ कोटी झाली.

- क) विमा खर्च रु. ०.२३ कोटी वाढला.
- ड) व्यावसायिक आणि कायदा शुल्क वाढल्यामुळे ते रु.०.६१ कोटी झाले.
- इ) सिक्युरिटी वरील खर्च वाढल्याने तो रु. १.३० कोटी त्यामध्ये रिसीव्हिंग सब स्टेशन, महत्त्वाची उपकरणे, सातत्याने धोका भासल्यामुळे त्यांचा संरक्षणावरील खर्च वाढला. मुंबई क्षेत्रात वाढता धोका लक्षात घेता उच्चस्तरीय संरक्षण खर्च वाढला.
- फ) साधारण प्रशासकीय खर्चातील ७.७८ कोटी ही वाढ मागील वेतन कराराच्या थकबाकीच्या परिणामामुळे झाली.

५.४.५ दुरुस्ती व देखभाल (रिपेअर आणि मेन्टेनन्स) वाढ खालील कारणामुळे झाली आहे.

- अ) केबल नेटवर्कचा खंडीत होणा-या प्रवाहामुळे तो पूर्ववत शीघ्रगतीने करण्यासाठी देखभाली खर्च रु. २.४६ कोटी एवढा वाढला.
- ब) मुंबई महानगरपालिकेने पुर्नस्थापनेच्या (Reinstatement) शुल्कामध्ये वाढ केल्यामुळे रु. ८.८१ कोटी एवढी रक्कम वाढली. सदर पुर्नस्थापनेचे दर मुं.म.न.पा. वेळोवेळी ठरवित असते. बेस्टला जमीनीखाली केबल दुरुस्तीकरिता खड्डा करणे, आवश्यक असते, त्यासाठी बेस्टला मुं.म.न.पा. ला सदर आकार द्यावा लागतो.
- क) बीपीएपी (केएलजी) करिता दुरुस्ती व देखभाल खर्च वाढल्याने तो रु. १.१० कोटी झाला. त्याचे दयके बीपीएपीच्या करारान्वये बिलींग अॅक्टीव्हिटीमुळे अदा केला.

५.५ भांडवली खर्च

५.५.१ बहुवर्षिय वीजदराच्या आदेशात मान्य केलेल्या रु.२७९.१० कोटीच्या तुलनेत आ.व. २०१४-१५ मध्ये प्रत्यक्ष लेखा परिक्षित भांडवली खर्च रु. ११०.२५ कोटी आहे.

५.६ घसारा

५.६.१ खालील तक्ता सुरुवातीचा एकूण ब्लॉक आणि त्यानुसार वर्षभर आकारलेला घसारा दर्शवित आहे.

तक्ता ३९ : आ.व. २०१४-१५ घसारा-याचा खर्च

| तपशील | आ.व. २०१४-१५ (मान्यता) | आ.व. २०१४-१५ (प्रत्यक्षात) |
|---|------------------------|----------------------------|
| प्रारंभीक ढोबळ स्थिर मत्ता जीएफए (रु. कोटी) | २३२७.८७ | २०३७.२४ |
| घसारा (रु. कोटी) | ११९.३३ | ९९.५५* |
| घसा-याचा सरासरी दर (%) | ५.१३% | ४.८९% |

* रु. १.५४ कोटी घसारा साधारण प्रशासकीय खर्च आणि तो साधारण प्रशासकीय खर्च म्हणून ए आणि जी च्या सदरात भाग म्हणून दाखवित आहे.

५.७ दीर्घ मुदतीच्या कर्जावरील व्याज

५.७.१ बेस्ट सादर करते की, त्यानी दीर्घ मुदतीवरील व्याजाची गणना मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या विनियम ३३ नुसार केला आहे. व्याजाच्या खर्चाची गणना ही सरासरी व्याजाच्या दर लावून वर्षाच्या सरासरी कर्जावर काढला आहे.

तक्ता ४०: आ.व. २०१४-१५ साठी कर्जावरील प्रमाणस्थापक व्याज

| तपशील | बहुवार्षिक वीजदर | प्रमाणस्थापक |
|----------------------------------|------------------|--------------|
| चालू वर्षाच्या आरंभी कर्ज शिल्लक | २६२.२० | ५९.३७ |
| चालू वर्षभरात घेतलेले कर्ज | २१४.०९ | ९९.८९ |
| वर्षभरातील कर्जाची परतफेड | ११९.३३ | ९९.५५ |
| कर्जाची अंतिम शिल्लक | ३६०.०८ | ५९.७१ |
| लागू होणारा व्याजाचा दर (%) | १०.७५% | १०.३३% |
| व्याजाचा खर्च | ३३.६२ | ६.१५ |

५.८ खेळत्या भांडवली कर्जावरील व्याज

५.८.१ बेस्टने सादर केले की, खेळत्या भांडवलावरील प्रत्यक्ष लेखापरिक्षित व्याज रू.१५५.७२ कोटी एवढे आहे. बेस्टने पुढे असे म्हटले आहे की, सर्वात जास्त व्याज रक्कम मुंबई महानगरपालिकेला द्यावी लागत आहे, जी बेस्टने टीपीसी-जी च्या ऊर्जाखरेदी देयकाची देणी देण्याकरिता घेतली होती. या कर्जावर मान्य केल्याप्रमाणे व्याजाचा दर १०% आकारला जात आहे.

५.८.२ बेस्टने मा. आयोग बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११, नियम ३५ च्या अनुषंगे प्रमाणस्थापकाच्या आधारे खेळत्या भांडवलावरील व्याजाची गणना रू.३३.६२ कोटी एवढी केली आहे.

५.९ ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज:

५.९.१ ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील प्रत्यक्ष व्याजाची गणना बेस्टकडे असलेल्या निव्वळ ठेवीवर निविष्ट ८.७५% दराने केली जाते. आ.व. २०१४-१५ साठी व्याजाची रक्कम ही रू.३०.४७ कोटी एवढी आहे. बेस्टनी आ.व. २०१३-१४ मध्ये देय असलेले ग्राहकांच्या ठेवीवरील व्याज रू.०.०४ कोटी, आ.व. २०१४-१५ मध्ये दिले आहे.

५.१० आकस्मिक निधीसाठी योगदान:

५.१०.१ आ.व.२०१४-१५ साठी आकस्मिक राखीवासाठी योगदान रू.५.०९ कोटी आहे. त्याच्यातुलनेने मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केलेले योगदान रू.५.८२ कोटी एवढे आहे.

५.११ **इतर खर्च:**

५.११.१ बेस्टने आ.व. २०१४-१५ इतर खर्च रु.११५.४० कोटी केला, त्याच्यातुलनेने आयोगाने मान्य केलेली रक्कम रु.८१.२६ कोटी होती. इतर खर्चाचा तपशील खालीलप्रमाणे.

तक्ता क्र. ४१ आ.व. २०१४-१५चा इतर खर्च

| अनु.क्र. | तपशील | आ.व.२०१४-१५ | |
|----------|---|--|---------------|
| | | बहुवार्षिक वीजदराच्या आदेशात मान्यकेलेले | लेखपरिक्षित |
| १ | तत्पर प्रदानावर सुट | ११.१४ | १७.८६ |
| २ | पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन | ६९.७५ | ८४.५४ |
| ३ | इसीएस सूट | ०.३७ | ०.५० |
| ४ | भार घटक प्रोत्साहन | ०.०० | २.९२ |
| ५ | जमा झालेल्या इंधन समायोजन आकारावर ग्राहकांना दिलेले व्याज | ०.०० | ९.५८ |
| | एकुण | ८१.२६ | ११५.४० |

५.१२ **बुडीत आणि वसुलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जासाठी तरतुदी :**

५.१२.१ बेस्ट सादर करते की, त्यानी बुडीत आणि वसुलीची अनिश्चितता असलेल्या येणी १.५% दराने केलेली एकुण तरतुद, व्यवसायातील येणे किंवा वीजवहन आकारातुन मिळणाऱ्या आणि विद्युत विक्रीतुन येणे या रक्कमेवर दर्शविली आहे. आ.व. २०१४-१५ ची अंतिम शिल्लक दाखवताना एकुण बुडीत आणि वसुलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्ज विचारात घेतले आहे. आ.व.२०१४-१५ साठी बुडीत आणि वसुलीची अनिश्चितता असलेल्या येणी रु.७.८३ कोटी ची तरतुद केली आहे.

५.१३ **भागभांडवलावरील परतावा:**

५.१३.१ बेस्ट सादर करते की, मा. आयोग बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११च्या विनियम ३२ विचारात घेऊन भागभांडवलावरील परतावाची गणना केली आहे. आ.व. २०१४-१५ च्या सुरुवातीची नियामक भागभांडवल काढण्याच्या हेतुने बेस्टने आ.व. २०१३-१४ चे अंतिम भागभांडवल जो मध्यवर्ती पुनर्विलोकन याचिकेतील आ.व.२०१३-१४ च्या समायोजनेस सादर केला ते विचारात घेतला आहे. आ.व. २०१४-१५ च्या मत्तेतील बदल / निवृत्तीचा परिणाम म्हणून बेस्टने मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११ च्या विनियम ३२.२ नुसार निवृत्त झालेल्या मत्तेतील ढोबळ स्थिर मत्तेच्या ३०% भाग कमी केला.

तक्ता क्र. ४२ आ.व. २०१४-१५ भागभांडवलावरील परतावा.

| अनु. क्र. | तपशील | आ.व.२०१४-१५ | | |
|-----------|--|---|------------------------------|-----------------------|
| | | बहुवार्षिक वीजदरात मान्य केल्या प्रमाणे | एप्रिल-मार्च (लेखा परिक्षित) | समायोजनासाठी आवश्यकता |
| १ | वर्षाच्या प्रारंभी नियामक भागभांडवल | ९२८.१५ | ८३१.०१ | ८३१.०१ |
| २ | वर्षाभरातील भांडवलीकरण | ३०५.८५ | १५२.५० | १५२.५० |
| ३ | वर्षभरात भांडवलीकरणासाठी ग्राहकांचा योगदान आणि अनुदान | | ९.८० | ९.८० |
| ४ | वर्षभरातील भांडवलीकरणावरील भाग भांडवलाचा भाग | ९१.७५ | ४२.८१ | ४२.८१ |
| ५ | मालमत्तेत बदल /निवृत्तीमुळे कमी झालेली भांडवली करणातील भागभांडवल | २.५७ | २.६० | २.६० |
| ६. | वर्षाच्या अखेरिस नियामक भागभांडवल | १,०१७.३३ | ८७१.२२ | ८७१.२२ |
| | भागभांडवलावरील परताव्याची गणना | | | |
| ७ | वर्षाच्या प्रारंभी नियामक भागभांडवल परतावा | १४६.२८ | १३०.४७ | १३०.४७ |
| ८ | वर्षभरातील नियामक भागभांडवल वाढीमुळे परतावा | ७.०३ | ३.१४ | ३.१४ |
| ९ | भागभांडवलावरील एकुण परतावा | १५३.३० | १३३.६१ | १३३.६१ |

५.१३.२ अंतर्गत निधीवरील व्याजाचा परतावा आ.व. २०१४-१५ कालावधीत रु. ५.२८ कोटी आहे.

५.१४ वीजदरा व्यतिरिक्त उत्पन्न:

५.१४.१ बेस्ट सादर करते की, आ.व. २०१४-१५ मध्ये वीज दराव्यतिरिक्त उत्पन्न रु. ६१.५४ कोटी आहे.

५.१५ परिवहन विभागातील तूट

५.१५.१ बेस्ट सादर करते परिवहन विभागातील व्यवहारात आ.व.२०१४-१५ मध्ये रु.८५८.२ कोटी तूट आली आहे. मा. आयोगाने रितसर अभिनिर्णय आणि निश्चित पध्दत अवलंबून आणि गरज असल्यास भागभांडवलावरील परतावा आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा याचे समायोजन करून परिवहन तूट मान्य करण्याचे ठरविले आहे. त्यानुसार दि. ०८ डिसेंबर २०१४ च्या मा. सर्वोच्च न्यायालयाचा अंतरिम आदेश लक्षात घेऊन परिवहन विभागाच्या तूटीच्या मांडणीच्या संबंधीत याचिकेतील कलम १.३ मध्ये चर्चा केल्याप्रमाणे आहे. आयोगाने मान्य केलेली परिवहन विभागाची तूट (प्रत्यक्षातील निव्वळ RoE आणि RoIF) रु.२४८.५५ कोटी बेस्टने विचारात घेतले आहे.

५.१६ वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवर प्रोत्साहन

५.१६.१ बेस्टनी वायर पुरवठा मध्ये ९९.९८% आणि ९६.६१% एवढी उपलब्धता आ.व. २०१४-१५ कालावधीत प्राप्त केली ती विनियमात निर्दिष्ट केलेल्या लक्ष असलेल्या ९५% लक्ष्यापेक्षा बरीच अधिक होती. बेस्टने मा. आयोगानी स्विकारलेली पध्दत अवलंबून कंत्राटी मुळ भार (contracted based load) आणि शिखर कंत्राटी भार (peak based load) विचारात घेतले तदनंतर बेस्टने आ.व. २०१४-१५ मधील मुळ भार आणि शिखर भाराचे वहन विचारात घेतले त्यानुसार बेस्टने गणना केलेला प्रोत्साहन खालील प्रमाणे.

तक्ता ४३: वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन

| तपशील | वायरची उपलब्धता | पुरवठा उपलब्धता |
|--|-----------------|-----------------|
| वायर आणि पुरवठ्याची विचारात परतावा दर | १६.००% | १८.४१% |
| वर्षाच्या प्रारंभी नियामक भागभाडंवल | ७४७.९१ | ८३.१० |
| वर्षाच्या प्रारंभी नियामक भागभाडंवलावरील परतावा | ११९.६५ | १५.३० |
| वर्षाभरातील भाडवली खर्चातील भागभाडंवलावरील परताव्याचाभाग | ३.०२ | ०.१९ |
| वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेवरील प्रोत्साहन /(दंड) समायोजनानंतरचा नियामक भागभाडंवलावरील परतावा | १२२.६७ | १५.४९ |
| भाग भाडवला परताव्यावर प्रोत्साहन /(दंड) | ३.८२ | ०.७७ |
| बेस्टनी ठेवलेली रक्कम (वरील प्रोत्साहन /तूटीच्या २/३) | २.५५ | ०.५१ |
| बेस्टने ग्राहकांना दिलेली रक्कम (वरील प्रोत्साहन/(तूटीच्या १/३) | १.२७ | ०.२६ |

५.१७ वितरण हानीत घट झाल्यामुळे प्रोत्साहन

५.१७.१ मा. आयोगाने त्याच्या बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केलेल्या प्रमाणकस्थापक ६.७५% लक्षाच्या तुलनेत बेस्टने प्रत्यक्ष वितरण हानीत ६.५३% एवढे साध्य केले आहे. म्हणूनच वितरण हानीत घट झाल्याने ते प्रोत्साहन मिळण्यास पात्र आहे. वितरण हानीत घट झाल्यामुळे आ.व. २०१४-१५ मध्ये रू.७.०६ कोटी एवढे प्रोत्साहन आहे.

५.१८ खेळत्या भाडवलावरील फायदा किंवा तोट्याची विभागणी

५.१८.१ बहुवार्षिक वीजदर विनियमामध्ये खेळत्या भाडवलाची आवश्यकता नियंत्रित घटक म्हणून मानले आहे. म्हणून खेळत्या भाडवलावरील व्याजातील बदलाचा फायदा किंवा तोट्यामध्ये ग्राहकांना भागिदार केले पाहिजे. मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियमाच्या तरतुदीनुसार आ.व. २०१४-१५ च्या खेळत्या भाडवलावरील व्याजास मान्यता दिली त्यानुसार बेस्ट खेळत्या भाडवलावरील व्याजाची गणना आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०११च्या विनियम ३५ मध्ये दिलेल्या प्रमाणकस्थापक आधारभुत करून काढण्यात आले, तसेच प्रत्यक्ष खेळत्या भाडवलावरील व्याज रू. १५५.७२ कोटी एवढे आहे.

तक्ता क्र. ४४: आ.व. २०१४-१५ च्या खेळत्या भाडवलावरील व्याजाच्या फायदा किंवा तोट्याची भागीदारी

| अनु.क्र. | तपशील | रक्कम (रू.कोटी) |
|----------|--|-----------------|
| १ | मा. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या तरतूदी प्रमाणे खेळत्या भाडवलावरील व्याज | ३३.१८ |
| २ | खेळत्या भाडवलावरील प्रत्यक्षातील व्याज | १५५.७२ |

| | | |
|---|---|----------|
| ३ | खेळत्या भांडवलावरील व्याजाचा बदलामुळे होणारा नफा/ (तोटा) | (१२२.५४) |
| ४ | बेस्टने ठेवलेली रक्कम (नफा/तोट्याच्या २/३) | (८९.६९) |
| ५ | बेस्टनी ग्राहकांना पुढेदेवू केलेली रक्कम (नफा/तोट्याच्या १/३) | (४०.८५) |
| ६ | बेस्टला मिळणारा निव्वळ खेळत्या भांडवलावर व्याजाची पात्रता | ७४.०३ |

५.१९ मागील महसूली तफावर

५.१९.१ मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशात आ.व. २०१२-१३ पर्यंत रु.३५०८.९८ कोटी एवढ्या तात्पुरत्या महसूल तफावतीला मान्यता दिली होती. बेस्टने सादर केलेली मागील महसूली तूटीची सुधारीत गणना खालील प्रमाणे:

तक्ता क्र. ४५: मागील महसूली तूट

| अनु.क्र. | तपशील | एकक | आ.व.२०१३-१४ | आ.व.२०१४-१५ | आ.व.२०१५-१६ |
|----------|--|----------|-------------|-------------|-------------|
| | मागील महसूल तफावतीची वसुली रु. ३०४.१४ कोटी वगळून (अ) | | | | |
| १ | प्रारंभी शिल्लक रु. ३०४.१४ कोटी वगळून | रु. कोटी | ३२४७.४३ | २९६४.९५ | १०८२.४८ |
| २ | वसुली | रु. कोटी | १०८२.४८ | १०८२.४८ | १०८२.४८ |
| ३ | अंतिम शिल्लक | रु. कोटी | २९६४.९५ | १०८२.४८ | ०.०० |
| ४ | सरासरी शिल्लक | रु. कोटी | २७०६.१९ | १६२३.७१ | ५४९.२४ |
| ५ | आ.व. २०१२-१३ साठी व्याजाचा दर | रु. कोटी | १४.५८% | १४.७५% | १४.७५% |
| ६ | कॅरिंग कॉस्ट | रु. कोटी | ३९४.६३ | २३९.५० | ७९.८३ |
| ७ | कॅरिंग कॉस्ट संहित करून वसुली | रु. कोटी | १४७७.११ | १३२९.९७ | ११६२.३१ |
| ८ | | | | | |
| ९ | कॅरिंग कॉस्ट संहित टीपीसी-जी ची मागील वसुली (ब) | | | | |
| १० | प्रारंभी शिल्लक | रु. कोटी | ३०४.१५ | ० | ० |
| ११ | वसुली | रु. कोटी | ३०४.१५ | | |
| १२ | अंतिम शिल्लक | रु. कोटी | ०.०० | | |
| १३ | सरासरी शिल्लक | रु. कोटी | १५२.०८ | | |
| १४ | आ.व. २०१२-१३ साठी व्याजाचा दर | रु. कोटी | १४.५८% | | |
| १५ | कॅरिंग कॉस्ट | रु. कोटी | २२.१८ | | |
| १६ | कॅरिंग कॉस्ट संहित वसुली | रु. कोटी | ३२६.३३ | ० | ० |
| १७ | | | | | |
| १८ | एकुण (अ + ब) | | १८०३.४३ | १३२९.९७ | ११६२.३१ |

५.२० प्रचलित वीजदरापासून महसूल

५.२०.१ प्रचलित वीजदरापासून मिळणारा महसूल हा लेखा परिक्षणा नंतर आणि मा. आयोगाच्या आ.व. २०१४-१५ च्या वीजदर आदेश विचारात घेऊन केला आहे. लेखा परिक्षित प्रमाणे आ.व. २०१४-१५ साठी

महसूल रु.४५३१.७३ कोटी एवढा आहे गणना पण प्रत्यक्षात बहुवार्षिक वीजदरात मान्य झालेली रक्कम रु. ५७०२.५५ एवढी आहे.

५.२१ **आ.व.२०१४-१५ साठी एकूण महसूली आवश्यकतेचे समायोजन**

५.२१.१ बेस्टनी आ.व. २०१४-१५ च्या समायोजन हे प्रत्यक्षात केलेला खर्च आणि वर्षातील महसूल यांची मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदराच्या आदेशाद्वारे मंजूर केलेल्या आकडेवारीची तुलना करुन त्या आधारे केला आहे. आ.व. २०१४-१५ च्या समायोजनाचा सारांश खालील प्रमाणे:

तक्ता ४६: आ.व.२०१४-१५ साठी एकूण महसूली आवश्यकतेचे समायोजन

| अनु. क्र. | तपशिल | बहुवार्षिक वीजदर आदेश | प्रत्यक्षात | बदल | फायदा / (तोटा) घेतल्यानंतरच निव्वळ लाभ |
|-----------|---|-----------------------|-----------------|-----------------|--|
| १ | ऊर्जा खरेदी खर्च (आंतरराज्य पारिषण आकारा संहित) | ३२०९.६७ | २७१७.७९ | (४९१.८८) | २७१७.७९ |
| २ | प्रवर्तन व परिरक्षण खर्च | ४७४.३४ | ५१४.१७ | ३९.८३ | ५१४.१७ |
| ३ | घसारा | ११९.३३ | ९८.०१ | (२१.३२) | ९८.०१ |
| ४ | भांडवल कर्जावरील व्याज | ३३.६२ | ६.१५ | (२७.४७) | ६.१५ |
| ५ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ३४.१७ | ३३.६२ | (०.५५) | ३३.६२ |
| ६ | वीज ग्राहकांच्या सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | २२.७२ | ३०.५१ | ७.७९ | ३०.५१ |
| ७ | बुडित आणि वसुलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद | ० | ७.८३ | ७.८३ | ७.८३ |
| ८ | आकस्मिक निधीसाठी योगदान | ५.८२ | ५.०९ | (०.७३) | ५.०९ |
| ९ | आयकर | | | - | - |
| १० | इतर खर्च | ८१.२६ | ११५.४० | ३४.१४ | ११५.४० |
| ११ | विद्युत शुल्क आणि महाराष्ट्र कर, देयके | | ०.७६ | ०.७६ | ०.७६ |
| १२ | एकूण महसूली खर्च | ३९८०.९३ | ३५२९.३३ | (४५१.६०) | ३,५२९.३३ |
| १३ | अधिक भागभांडवला वरील परतावा | १५८.५८ | १३३.६१ | (२४.९७) | १३३.६१ |
| १४ | अंतर्गत निधीवरील परतावा | | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ |
| १५ | वितरण हानीत घट प्रोत्साहन | | ७.०६ | ७.०६ | ७.०६ |
| १६ | वायर आणि पुरवठ्याच्या उपलब्धतेसाठी प्रोत्साहन | | ३.०६ | ३.०६ | ३.०६ |
| १७ | खेळते भांडवलावरील व्याजाचा लाभ आणि तूट याची वाटणी | | ४०.७० | ४०.७० | ४०.७० |
| १८ | एकूण महसूली आवश्यकता | ४,१३९.५१ | ३,७१९.०३ | (४२०.४८) | ३,७१९.०३ |
| १९ | वजा: वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ७५.११ | ६१.५४ | (१३.५७) | ६१.५४ |
| २० | वजा: इतर व्यवसायापासून उत्पन्न | | | - | |
| २१ | वजा: क्रॉस-सबसिडी अधिभार मुळे मिळालेली रक्कम | | | - | |
| २२ | वजा: अतिरिक्त अधिभारामुळे मिळालेली रक्कम जर असेल तर | | | - | |
| २३ | एकूण महसूली आवश्यकता | ४,०६४.४० | ३,६५७.४९ | (४०६.९१) | ३,६५७.४९ |
| २४ | अधिक: परिवहन प्रवर्तनाची तूट | २२८.८५ | ७१९.१३ | ४९०.२८ | २४८.५५ |
| २५ | एकूण महसूली आवश्यकता | ४,२९३.२५ | ४,३७६.६३ | ८३.३८ | ३,९०६.०५ |

| | | | | | |
|----|---|----------|----------|------------|----------|
| २६ | कॅरिंग कॉस्टसह आ.व. २०१२-१३ मधील बेस्टची महसूल तूट समाविष्ट करून बेस्टची मागील थकबाकी | १,४२६.१७ | १,३२१.९७ | (१०४.२०) | १,३२१.९७ |
| ए | किरकोळ वीजदरापासून एकुण महसूली आवश्यकता | ५,७१९.४२ | ५,६९८.६० | (२०.८२) | ५,२२८.०२ |
| बी | महसूल | | | | |
| २७ | वीज विक्रीपासून महसूल | ५,७०२.५५ | ४,५३१.७३ | (१,१७०.८२) | ४,५३१.७३ |
| सी | एकूण महसूली तूट/ (शिल्लक) | १६.८७ | १,१६६.८७ | १,१५०.०० | ६९६.२९ |

६. आ.व. २०१५-१६ चे समायोजन

६.१ ऊर्जा विक्री

६.१.१ बेस्ट सादर करते की, आ.व. २०१५-१६ ची अंतरिम विक्री रु.४५५८.९६ एमयू एवढी गणना केली आहे. प्रत्यक्षातील विक्रीची तूलना केल्यानंतर त्यात काही बदल असल्यास ते अंतिम समायोजनात आणले जाईल.

६.२ वितरण हानी आणि ऊर्जा संतुलन:

६.२.१ बहुवार्षिक वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे आ.व. २०१५-१६ अनुमान करण्याकरिता वितरण हानी लक्ष्य ६.५% विचारात घेतली आहे.

६.२.२ आ.व.२०१५-१६ करिता बेस्टने जी<>टी कक्षेपाशी ५०७३.२४ एमयू ऊर्जा आवश्यकतेची अंदाजित करताना, ६.५०% मान्य वितरण हानी आणि ३.८९% प्रत्यक्ष पारेक्षण हानीचा आधार घेतला आहे. आ.व. २०१५-१६ साठीची ऊर्जा संतुलन खालील प्रमाणे.

तक्ता ४७ : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ ची उर्जा संतुलन

| अनु. क्र. | तपशील | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ | | |
|-----------|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------------------------|
| | | एमवायटी आदेश | एप्रिल - मार्च (अंदाजे) | तात्पुरती वास्तविक आवश्यकता |
| १ | महाराष्ट्रातून उर्जा खरेदी | | | |
| १.१ | टीपीसी-जी | ५,५८९.९७ | ३,५४६.१९ | ३,५४६.१९ |
| १.२ | नवीनतम उर्जास्त्रोत (स्पार्क ग्रीन) | २८३.८२ | - | - |
| १.३ | नवीनतम उर्जास्त्रोत – सौर वेलस्पन | ४५.०० | ३१.५० | ३३३.२८ |
| १.५ | नवीनतम उर्जास्त्रोत – सौर | | १.६४ | |

| | | | | |
|------|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| १.६ | नवीनतम उर्जास्त्रोत – इतर सौर व्यतिरिक्त | २६०.३७ | ३००.१४ | - |
| १.६ | आरईसी प्राप्त केलेली | | - | - |
| १.७ | बाहेरील उर्जा खरेदी / (विक्री) | २२३.०६ | ६०६.०१ | ६०६.०१ |
| १.८ | पूल असंतुलन | | ५५४.९१ | ५५४.९१ |
| १.९ | स्टॅन्डबाय खरेदी | | ६.११ | ६.११ |
| १.१० | आइइक्स खरेदी | | २६.७३ | २६.७३ |
| | एकूण जी< >टी च्या कक्षपाशी ऊर्जा खरेदी उपलब्धता | ६,४०२.२२ | ५,०७३.२४ | ५,०७३.२४ |
| | | | - | - |
| २ | जी< >टी कक्षपाशी उर्जा आवश्यकता | | - | - |
| २.१ | आंतर-राज्य पारेषण हानी | ४.२०% | ३.८९% | ३.८९% |
| २.२ | आंतर-राज्य पारेषण हानी | २६८.८९ | १९७.३५ | १९७.३५ |
| | | | - | - |
| ३ | ३३ कि.वॅ. मधील विक्रीसाठी उपलब्ध असलेली एकूण ऊर्जा | ६,१३३.३२ | ४,८७५.९० | ४,८७५.९० |
| ३.१ | वितरण हानी | ६.५०% | ६.५०% | ६.५०% |
| ३.२ | वितरण हानी | ३९८.६७ | ३१६.९३ | ३१६.९३ |
| ४ | एचटी विक्री | | - | - |
| ४.१ | ग्राहक पुरवठा विक्री | ७४९.२२ | ७११.१२ | ७११.१२ |
| ५ | एलटी विक्री | | - | - |
| ५.१ | पुरवठा ग्राहकांना विक्री | ४,९८५.४४ | ३,८४७.८४ | ३,८४७.८४ |

६.३ आ.व. २०१५-१६ साठी ऊर्जा खरेदी खर्च

६.३.१ बेस्टने प्रत्यक्षात जानेवारी २०१६ मधील ऊर्जा खरेदी युनिट्सचा विचार केला आणि त्यावरून आ.व. २०१५-१६ च्या शेवटच्या दोन महिन्यांचा अंदाजे ऊर्जा खरेदी युनिट्सचा हिशोब काढला. हा अंदाज आ.व. २०१४-१५ च्या शेवटच्या दोन महिन्यातील ऊर्जा खरेदी युनिट्सच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीच्या आधारे काढला आहे.

तक्ता ४८ : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ अंदाजे उर्जा खरेदी

| अनु. क्र. | ऊर्जेचा स्रोत | एमवायटी आदेश | | | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (तात्पुरती) | | |
|-----------|--|----------------|----------------|-------------|----------------------------------|----------------|-------------|
| | | एमयु | रु.कोटी | रु./कि.व. | एमयु | रु.कोटी | रु./कि.व. |
| १. | टीपीसी-जी | ५५८९.९७ | २५४२.३० | ४.५५ | ३५४६.१९ | १५३३.८९ | ४.३३ |
| २. | नवीनतम उर्जा खरेदी (स्पार्क ग्रीन) | २८३.८२ | १५०.१४ | ५.२९ | | | |
| ३. | वेलस्पन ऊर्जा | | | | ३१.५० | २६.९६ | ८.५६ |
| ४. | नवीनतम उर्जा खरेदी - सौर | ४५.०० | ३८.५२ | ८.५६ | १.६४ | १.२६ | ७.६९ |
| ५. | नवीनतम उर्जा खरेदी - इतर सौर व्यतिरिक्त | २६०.३७ | १५१.२७ | ५.८१ | ३००.१४ | २०८.०० | ६.९३ |
| ६. | आरईसी प्राप्त | | | | | १८.७५ | |
| ७. | द्विपक्षीय बाहेरील उर्जा खरेदी / (विक्री) | २२३.०६ | ९८.३२ | ४.४१ | ५०२.८१ | १८२.६१ | ३.६३ |
| ८. | करार केलेली द्विपक्षीय खरेदी (फेब्रु.१६ ते मार्च १६) | | | | १०३.२० | ३१.६३ | ३.०७ |
| ९. | आयइएक्स (ऊर्जा बदल्यात) | | | | २६.७३ | ८.१६ | ३.०५ |
| १०. | एमएसइडीसीएल साठी राखीव आधार | | | | ६.११ | ३.१६ | ५.१८ |
| ११. | पूल असमतोलता | | | | ५५४.९१ | १६७.४६ | ३.०२ |
| १२. | औष्णिक प्रोत्साहन | | | | | १.४८ | |
| १३. | राखीव आकार | | १०९.३३ | | | १०७.२२ | |
| १४. | अगोदरच्या कालावधीतील देणी | | | | | १६९.१५ | |
| १५. | ऊर्जांच्या खरेदी बिलावरील सूट | | | | | -६.८५ | |
| १६. | उशिरा देणी दिल्याचे शुल्क | | | | | १३.४० | |
| | ऊर्जा खरेदी खर्च | ६४०२.२२ | ३०८९.८८ | ४.८३ | ५०७३.२४ | २४६६.३० | ४.८६ |
| १७. | पारिषण शुल्क | | ३६१.६१ | | | २२७.०२ | |
| १८. | एमएसएलडीसी शुल्क | | १.२८ | | | १.२४ | |

| | | | | | | | |
|-----|--|---------|---------|------|---------|---------|------|
| १९. | एकूण ऊर्जा खरेदी खर्च त्यामध्ये पारेषण आणि एसएलडीसी शुल्क समाविष्ट | ६४०२.२२ | ३४५२.७७ | ५.३९ | ५०७३.२४ | २६९४.५६ | ५.३९ |
|-----|--|---------|---------|------|---------|---------|------|

६.३.२ बेस्ट नमूद करते की, रोखीच्या कमतरतेमुळे व सततच्या महसुली तफावतीमुळे टीपीसी-जी ची बिले अदा करण्यास उशीर झाला म्हणून बेस्टने उशिरा देणी दिल्यामुळे रु.१३.४० कोटी शुल्क वित्तीय वर्ष २०१५-१६ मध्ये विलंब आकार म्हणून टीपीसी-जी ला द्यावा लागणार आहे. बेस्टनी मा. आयोगाला टीपीसी-जी ला वित्तीय वर्ष २०१५-१६ मध्ये रु.१३.४० कोटी उशिरा देणी अदा करण्याची परवानगी मागितली त्याचे स्पष्टीकरण आ.व. २०१४-१५ च्या ऊर्जा खरेदीमध्ये दिलेल्या समर्थनाला अनुसरून आहे.

६.४ संचालन व देखभाल खर्च

६.४.१ मा. आयोगाने मान्यता दिलेले संचालन व देखभाल खर्चाच्या सुधारित मानका नुसारच आधारित ही ग्राहक आणि प्रारंभीचा जीएफए व प्रत्यक्ष विक्री यावर आधारित आणि प्रत्यक्षात झालेला खर्च खालील तक्त्यात दर्शविला आहे.

तक्ता ४९ : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ संचालन व देखभाल खर्च

| अनु. क्र. | तपशील | युनिट | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ | | |
|-----------|---|--------------------|----------------------|-------------------|--------|
| | | | एमवायटी आदेश | सुधारित नमुन्याने | अंदाजे |
| अ) | संयुक्त संचालन व देखभाल नमुना | | | | |
| १. | संचालन व देखभाल परिणाम विनियम निर्दिष्ट केल्याप्रमाणे | | | | |
| १.१ | पुरवट्या व्यवसायातील विक्री | पैसे/कि.वॅ. | २१.४२ | २१.४२ | |
| १.२ | पुरवठ्या व्यवसायातील ग्राहकांची संख्या | रु.लाख/'००० ग्राहक | २१.२१ | २१.२१ | |
| १.३ | दुरुस्ती व देखभाल खर्चासाठी | जीएफचा % | ४.५०% | ४.५०% | |
| २. | संचालन व देखभाल खर्चातील घटक | | | | |
| २.१ | विक्री | एमयु | ५,७३४.६६ | ४,५५८.९६ | |
| २.२ | पुरवठा व्यवसायातील ग्राहकांची संख्या | '००० ग्राहक | १,०५५.४१ | १,०२२.०७ | |

| | | | | | |
|-----|---|----------|----------|----------|--------|
| २.३ | प्रारंभिक जीएफए | रु. कोटी | २,६१२.७२ | २,१७९.७१ | |
| | | | | | |
| ब) | एकूण संचालन व देखभाल खर्च | रु. कोटी | ४६४.२६ | ४१२.५२ | ५१०.६० |
| | वेतन कराराचा परिणाम | रु. कोटी | ५४.२८ | ५४.२८ | ५४.२८ |
| | एकूण संचालन व देखभाल खर्चात वेतन कराराचा परिणाम समाविष्ट | रु. कोटी | ५१८.५४ | ४६६.८० | ५६४.८९ |

६.४.२ वित्तीय वर्ष २०१५-१६ चा अनुमानित सर्वसाधारण प्रशासन खर्च हा वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या प्रत्यक्ष लेखापरीक्षित मूल्याच्या तुलनेत रु. २९.५५ कोटीने वाढला आहे. हा प्रामुख्याने खालील कारणांमुळे वाढला आहे.

ए) वेतन करारानुसार थकबाकी दिल्यामुळे सामान्य प्रशासकीय खर्च वाढला आहे.

बी) भाडे, दर आणि करामध्ये वाढ : हे प्रामुख्याने बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे लादलेल्या ०१.०४.२०१० पासून मूळ शुल्काऐवजी भांडवल शुल्कावर लागू मालमत्ता करामुळे आहे आणि त्यानंतर ०१.०४.२०१५ पासून नविन वाढ. परंतु बेस्टला वित्तीय वर्ष २०१४-१५ पासून सुधारित करचलन भांडवल मूल्यावर मिळण्यास सुरु झाले आहे. बेस्टला वित्तीय वर्ष २०१५-१६ च्या दरम्यान या सुधारित मालमत्ता कराचे प्रत्यक्षरित्या भुगतान करणे आहे.

६.४.३ देखभाल व दुरुस्ती खर्चात वाढ प्रामुख्याने खालील खर्चांमुळे झाली आहे :-

ए) सबस्टेशन आणि महत्त्वाच्या संयंत्रासाठी उच्च पातळीचे सुरक्षा व्यवस्थापन पुरवण्यासाठी वाढलेला खर्च.

बी) भूमिगत तारांच्या दुरुस्तीचा वाढता खर्च हे काम मुंबई विभागात व्यत्यय दरम्यान निरंतर वीज पुरवठा करण्यासाठी महत्त्वाचे असते.

सी) बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे भूमिगत तारांच्या दुरुस्तीसाठी उत्खनन केलेल्या जागेच्या दुरुस्तीसाठी वर्षदरम्यान आकारण्यात आलेल्या खर्चात वाढ.

६.४.४ बेस्ट माननीय आयोगास दांचालन व देखभाल प्रत्यक्ष खर्च रु. ५६४.८९ कोटी मान्य करण्याची विनंती करते.

६.५ भांडवली खर्च

६.५.१ बहुवार्षिक वीजदर मान्य केलेल्या रु.३००.३४ कोटीच्या तुलनेत आ.व. २०१५-१६ साठी बेस्टचा अनुमानित अंतरिम भांडवली खर्च हा रु.१७९.९७ कोटी एवढा होता. आ.व. २०१५-१६ करिता बहुवार्षिक वीजदर मान्य केलेल्या रु.३०७.९५ कोटीच्या तुलनेत अंतरिम भांडवलीकरण रु.१७०.२३ कोटी इतका आहे. बेस्टने आ.व. २०१५-१६ च्या पहिल्या सहामाहीत प्रत्यक्ष झालेला भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण याआधारे आ.व. २०१५-१६ च्या उर्वरित कालावधीसाठी अंतरिम भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण गृहीत धरला आहे.

६.५.२ बेस्ट सादर करते की वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण हे एमवायटी आदेशात मान्य केलेल्या रकमेपेक्षा कमी आहे. वडाळा टर्मिनल, मिलची जागा, धारावीचे पुनर्रचना येथील विकास विचारात घेऊन माननीय आयोगाने वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठीचे भांडवल खर्च आणि भांडवलीकरण मंजूर केले होते. पण प्रत्यक्षत या विकास कामाची प्रगती अपेक्षापेक्षा खूप कमी आहे आणि म्हणूनच वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी भांडवली खर्च व भांडवल अपेक्षापेक्षा कमी आहे.

६.६ घसारा

६.६.१ बेस्टला हे सादर करायला आवडेल की वार्षिक लेखापरीक्षणात नमूद असल्याप्रमाणे वित्तीय वर्ष २०१५-१६ चा प्रारंभिक जीएफए हा वित्तीय वर्ष २०१४-१५ च्या अंतिम जीएफएच्या अनुसरून आहे. बेस्टने मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०११ च्या मान्य दरानुसार घसाऱ्याचे अनुमान लावले आहे आणि म्हणून नियमांना अनुसरून असल्यामुळे बेस्ट माननीय आयोगास आ.व.२०१५-१६ च्या घसाऱ्याचे अनुमान मान्य करण्याची विनंती करते.

तक्ता ५० : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ चा घसारा खर्च

| तपशील | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (मान्य) | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (अंतरिम) |
|---------------------------|------------------------------|-------------------------------|
| प्रारंभिक जीएफए (रु.कोटी) | २६२९.१४ | २९७९.७९ |
| घसारा (रु. कोटी) | १३३.६९ | १०२.८८ |
| घसाऱ्याची सरासरी दर (%) | ५.१०% | ४.७२% |

६.७ दीर्घकालीन कर्जावरील व्याज

६.७.१ बेस्ट सादर करते की, तिने दीर्घकालीन कर्जावरील व्याजाची गणना ही मा. आयोग बहुवार्षिक विजदर विनियम २०११ च्या नियम ३३ च्या अनुषंगाने केली आहे. व्याज खर्च गणना ही वर्षाच्या सरासरी कर्जावरील आकारलेले सरासरी व्याजदर गृहीत धरून केली जाते.

तक्ता ५१ : वित्तीय वर्ष २०१५-१६ साठी कर्जावर प्रमाणस्थापक व्याज

| तपशील | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (मान्य) | वित्तीय वर्ष २०१५-१६ (तात्पुरते) |
|--------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| प्रारंभिक शेष कर्ज | ३५५.४३ | ५९.७९ |
| वर्षदरम्यान काढलेले कर्ज | २९०.०७ | ११३.२४ |
| वर्षदरम्यान कर्जफेड | १३३.६९ | १०२.८८ |
| अंतिम शेष कर्ज | ४३६.४६ | ७०.०६ |
| लागू व्याजदर (%) | १०.७५% | १०.५०% |
| व्याज खर्च | ४२.८९ | ६.८९ |

६.८ खेळत्या भांडवल कर्जावरील व्याज

- ६.८.१. बेस्ट सादर करते की, खेळत्या भांडवलावरील व्याज प्रत्यक्ष स्वरूपात रु. १२९.६२ कोटी एवढे होते. तसेच, बेस्ट सादर करते की, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडून प्राप्त झालेल्या कर्जाची रक्कम सर्वात जास्त असून हे कर्ज बेस्टद्वारे प्राप्त एमसीजीएम कर्ज हे टीपीसी-जी ची वीज खरेदी शुल्क फेडण्यासाठी वापरले आहे. या कर्जासाठी मान्य केलेला व्याज दर १०% आहे.
- ६.८.२ बेस्टने आयोगाच्या बहुवर्षीय विनियम, २०११ च्या नियम ३५ नुसार प्रमाणक स्थापक तत्वावर खेळत्या भांडवलावरील व्याजाची गणना केली आहे. खेळत्या भांडवलावर व्याजाची साधारणतः गणना खालीलप्रमाणे आहे :

तक्ता ५२ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (रु. कोटी) खेळत्या भांडवलावर प्रमाणकस्थापक व्याज

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (मान्यते प्रमाणे) | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (प्रमाणक स्थापक) |
|---|---|--|
| संचालन व देखभाल खर्चाच्या रकमेचा बारावा (१/१२) हिस्सा | ४३.२१ | ४७.०७ |
| आर्थिक वर्षाच्या प्रत्येक महिन्याच्या अखेरीस भांडार, सामग्री आणि इंधनासहित पुरवठ्याच्या पुस्तकी मुल्याचा बारावा (१/१२) हिस्सा | १.४० | १.८० |
| वीज विक्रीच्या प्रचलित वीजदरापासून दोन महिन्यांचे अपेक्षित महसूल | ७२६.८५ | ८०२.१९ |
| वजात : सुरक्षा ठेव म्हणून राखीव रक्कम | २६०.०० | ३५८.५५ |
| वजात : एका महिन्याचा उर्जा खरेदीचा खर्च | २८७.७३ | २२३.४३ |
| एकूण खेळत्या भांडवल आवश्यकता | २२३.७३ | २६८.९८ |
| व्याजदर (% प्रतिवर्ष) | १४.४५% | १४.४५% |
| खेळत्या भांडवलावर व्याज | ३२.३३ | ३८.८७ |

६.९ ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज

- ६.९.१ आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी ग्राहक ठेवीवर व्याज हे रु. २७.८० कोटी एवढे आहे.

६.१० आकस्मिक निधी योगदान

- ६.१०.१ आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी आकस्मिक निधी योगदान हे रु. ५.४४ कोटी एवढे आहे. तर, मा. आयोगाद्वारे बहुवर्षीय वीजदर आदेशामध्ये रु. ६.५५ कोटी मान्य करण्यात आले होते.

६.११ इतर खर्च

- ६.११.१ बेस्ट नमूद करते की, मंजूर रक्कम रु. ८१.२६ कोटीच्या तुलनेत आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी अंतरिम इतर खर्च रु. १४४.६८ कोटी एवढा आहे. त्याचे विवरण खालीलप्रमाणे आहे :

तक्ता ५३ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी इतर खर्च

| अनु क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | |
|----------|---|--|---------------|
| | | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | सुधारित अंदाज |
| १ | तत्पर प्रदान सवलत | ११.१४ | २०.०० |
| २ | पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन | ६९.७५ | ९५.०० |
| ३ | ईसीएस सवलत | ०.३७ | ०.७५ |
| ४ | लोड फॅक्टर प्रोत्साहन | ०.०० | ५.०० |
| ५ | इंधन समायोजन आकाराच्या परताव्यावर ग्राहकांना दिलेले व्याज | ०.०० | २३.९३ |
| | एकूण | ८१.२६ | १४४.६८ |

६.१२ बुडित आणि वसूलीची अनिश्चितता असलेले कर्ज

६.१२.१ बेस्टने १.५% दराने वीज वहन आकारणी आणि वीज विक्रीच्या येणे रकमेवर बुडित आणि वसूली अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद गृहित धरली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी बुडित आणि अनिश्चितता असलेले कर्जाच्या वसूलीच्या रकमेची तरतूद रु. ७.२४ कोटी आहे.

६.१३ भाग भांडवलावरील परतावा

६.१३.१ बेस्ट सादर करते की, आयोगाच्या बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०११ च्या नियम ३२ नुसार भाग भांडवलावरील परताव्याची गणना केली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी नियामक भाग भांडवलाची गणना करण्यासाठी बेस्टने आर्थिक वर्ष २०१५ या वर्षाच्या समायोजनात नमूद, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चे अंतिम भाग भांडवल गृहित धरले आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी निवृत्ती आणि मालमत्तेच्या बदलाचा परिणाम म्हणून बेस्टने आयोगाच्या बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०११ च्या नियम ३०.२ नुसार मालमत्तेच्या ढोबळ स्थिर आकार (जीएफए) च्या ३० टक्के घट केली आहे.

तक्ता ५४ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी भाग भांडवल परतावा

| अनु क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | |
|----------|--|--|---------------|
| | | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | सुधारित अंदाज |
| १ | वर्षारंभी नियामक भाग भांडवल | १०१७.३३ | ८७१.२२ |
| २ | वर्षादरम्यान भांडवलीकरण | ३००.१० | १७१.५७ |
| ३ | वर्षात भांडवलासाठी वापरलेले ग्राहक योगदान आणि अनुदान | | ९.८० |
| ४ | वर्षाच्या भांडवलीकरणाचे भांडवली हिस्सा | ९०.०३ | ४८.५३ |
| ५ | निवृत्ती/मालमत्तेची अदलाबदलीमुळे भाग भांडवलात घट | २.५७ | २.६० |
| ६ | वर्षाच्या अखेरीस नियामक भाग भांडवल | ११०४.७९ | ९१७.१५ |
| | | | |
| | भाग भांडवल परताव्याची गणना | | |
| ७ | वर्षाच्या सुरुवातीस नियामक भाग भांडवल परतावा | १६०.३३ | १३६.७४ |
| ८ | वर्षादरम्यान नियामक भाग भांडवल वृद्धीवरील परतावा | ६.८९ | ३.६० |
| ९ | एकूण भाग भांडवल परतावा | १६७.२२ | १४०.३४ |

६.१३.२ आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या आंतरिक निधीचे परतावा म्हणून व्याज हे रु. ५.२८ कोटी एवढे आहे.

६.१४ वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न

६.१४.१ बेस्ट सादर करते की, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी वीज विक्री व्यतिरिक्त उत्पन्न हे रु. ६४.४१ कोटी एवढे आहे.

६.१५ परिवहन विभागाची तूट

६.१५.१ बेस्ट सादर करते की, आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी परिवहन विभागाची तूट ही रु. १,०५७.८४ कोटी एवढी आहे. मा. आयोगाने भाग भांडवल परतावा आणि अंतर्गत जमा रकमेवरील परतावा वळता करून परिवहन तूट मान्य करण्याची पध्दत अवलंबिली आहे. त्यानुसार, याचिकेच्या परिच्छेद क्र. ३ नुसार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. ८ डिसेंबर, २०१४ च्या अंतरिम आदेशान्वये बेस्टने मंजूर परिवहन विभाग तूट विचारात घेतली आहे. ती खालीलप्रमाणे आहे :

तक्ता ५५ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी परिवहन विभागाची तूट

| अनु क्र. | घटक | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | |
|----------|---|--|-----------|
| | | बहुवर्षिय वीजदर आदेशात मान्य केल्याप्रमाणे | प्रत्यक्ष |
| १ | वर्षासाठी परिवहन घट / (अतिरिक्त) | १५२.१६ | १५२.१६ |
| २ | वर्षासाठी भाग भांडवलावरील परतावा (ROE) आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा (ROIF) | १७२.५० | १४५.६२ |
| ३ | परिवहन विभाग तूट (निव्वळ भाग भांडवलावरील परतावा (ROE) आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा (ROIF)) | (२०.३४) | ६.५४ |

६.१६ मागील महसूलातील तफावत

६.१६.१ मा. आयोगाने आर्थिक वर्ष २०१२-१३ पर्यंत आदेशात अंतरिम स्वरूपात महसूल तफावत रु. ३५०८.९८ कोटी मान्य केला होता. याच्या विपरीत प्रत्यक्ष महसूलात फरक हा रु. ३५५१.५८ कोटी एवढा आहे. बेस्टद्वारे सादर महसूलातील सुधारित फरक खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे :

तक्ता ५६ : मागील महसूलातील फरक

| अनु क्र. | तपशील | एकक | आ.व. २०१३-१४ | आ.व. २०१४-१५ | आ.व. २०१५-१६ |
|----------|---|----------|----------------|----------------|----------------|
| | रु. ३०४.१४ कोटी वगळून मागील महसूलातील फरकाची वसुली (ए) | | | | |
| १ | रु. ३०४.१५ कोटी वगळून सुरुवातीस शेष | रु. कोटी | ३२४७.४३ | २१६४.९५ | १०८२.४८ |
| २ | वसुली | रु. कोटी | १०८२.४८ | १०८२.४८ | १०८२.४८ |
| ३ | अंतिम शेष | रु. कोटी | २१६४.९५ | १०८२.४८ | ०.०० |
| ४ | सरासरी शेष | रु. कोटी | २७०६.१९ | १६२३.७१ | ५४१.२४ |
| ५ | आर्थिक वर्ष २०१२-१३ साठी व्याजदर | रु. कोटी | १४.५८% | १४.७५% | १४.७५% |
| ६ | कॅरीग कॉस्ट | रु. कोटी | ३९४.६३ | २३९.५० | ७९.८३ |
| ७ | कॅरीग कॉस्टसहित वसूली | रु. कोटी | १४७७.११ | १३२१.९७ | ११६२.३१ |
| ८ | | | | | |
| ९ | कॅरीग कॉस्टसहित TPC-G ची मागील वसूली (बी) | | - | - | - |
| १० | प्रारंभिक शिल्लक | रु. कोटी | ३०४.१५ | ० | ० |
| ११ | वसूली | रु. कोटी | ३०४.१५ | | |
| १२ | अंतिम शिल्लक | रु. कोटी | ०.०० | | |
| १३ | सरासरी शिल्लक | रु. कोटी | १५२.०८ | | |
| १४ | आर्थिक वर्ष २०१२-१३ साठी व्याजदर | रु. कोटी | १४.५८% | | |
| १५ | कॅरीग कॉस्ट | रु. कोटी | २२.१८ | | |
| १६ | कॅरीग कॉस्टसहित वसूली | रु. कोटी | ३२६.३३ | ० | ० |
| १७ | | | | | |
| १८ | एकूण (ए + बी) | | १८०३.४३ | १३२१.९७ | ११६२.३१ |

६.१७

अपिलीय प्राधिकरण विद्युत च्या २०१२ च्या याचिका क्र. २६५ बाबतच्या निर्णयाचा परिणाम

६.१७.१

२०११ च्या प्रकरण क्र. १२५ च्या १६ मार्च २०१२ च्या आदेशानुसार मा. आयोगाने नवीनतम ऊर्जा खरेदी खर्च फेटाळून लावला असे बेस्टने सादर केले. मा. आयोगाच्या वरील आदेशाने अंशतः पीडीत झाल्यामुळे बेस्टने अपील प्राधिकरणासमोर २०१२ ची याचिका क्र. २६५ सादर केली. त्यानंतर अपिलीय प्राधिकरण विद्युत ने २०१२ च्या याचिका क्रं २६५ मधील दि. १४ नोव्हेंबर २०१३ च्या निर्णयानुसार असे प्रतिपादन केले की मा. आयोगाने अंगिकारलेला दृष्टिकोन अयोग्य होता.

६.१७.२

वरील निर्णयानुसार अमान्य केलेल्या नवीनतम ऊर्जा खर्च व्याजासहित आ.व. २०१५-१६ च्या महसूल आवश्यकतेमध्ये समाविष्ट करून बेस्टने सादर केले.

६.१८

बहुवर्षीय वीजदर आदेशाच्या आढाव्याचा परिणाम (२०१३ चे प्रकरण क्र. १६६)

६.१८.१

२०१३ मधील प्रकरण क्र. १६६ च्या दि. ९ जानेवारी २०१४ च्या बहुवर्षीय वीजदर आदेशाच्या आढाव्याच्या आदेशानुसार मा. आयोगाने रु.१३.४८ कोटी बेस्टद्वारे वसूल करण्याचे मान्य केले. हि वसुली आ.व.२०१५-१६ च्या सुधारीत दरामधून केली जाणार असल्यामुळे बेस्टने ही रक्कम आ.व.२०१५-१६ च्या वार्षिक महसूल आवश्यकतेमध्ये वहन खर्चासहित गृहित धरली आहे.

६.१९

प्रचलित वीजदरानुसार महसूल

६.१९.१

आ.व. २०१५-१६ करिता बहुवार्षिक वीजदर आदेशानुसार प्रचलित वीजदरानुसार महसूल हे सुधारित अंदाजानुसार आणि आयोगाने मान्य केलेल्या दरानुसार गृहित धरले आहे. आ.व. २०१५-१६ करिता अंतरिम महसूल रु. ४८१३.१४ कोटी एवढा आहे.

६.२०

आ.व.२०१५-१६ करिता एकूण महसूल आवश्यकता अंतरिम समायोजन

६.२०.१

आ.व. २०१५-१६ करिता सनायोजन हा आलेल्या खर्चाचा सुधारित अंदाज आणि वर्षादरम्यान प्राप्त झालेला महसूल हा मा. आयोगाने मान्य केलेल्या बहुवर्षीय वीजदराच्या आदेशानुसार आधारित आहे. आ.व.२०१५-१६ करिता समायोजनाचा सारांश खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता ५७ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचा तात्पुरते समायोजन

| अनु क्र. | तपशील | बहुवर्षीय वीजदर आदेश | अनुमानित | विचलन | नफा / (नुकसानाची) विभागणी केल्यावर निव्वळ हक्क |
|----------|---|----------------------|----------|----------|--|
| १ | ऊर्जा खरेदी खर्च (अंतरराज्य पारेषण आकारासहित) | ३४५२.७७ | २६९४.५५ | (७५८.२२) | २६९४.५५ |
| २ | संचालन आणि देखभाल | ५१८.५५ | ५६४.८१ | ४६.२६ | ५६४.८१ |

| | | | | | |
|----|--|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| | खर्च | | | | |
| ३ | घसारा | १३३.६९ | १०२.८८ | (३०.८१) | १०२.८८ |
| ४ | कर्ज भांडवलावर व्याज | ४२.८१ | ६.८१ | (३६.००) | ६.८१ |
| ५ | खेळत्या भांडवलावर व्याज | ३२.३३ | ३८.८७ | ६.५४ | ३८.८७ |
| ६ | ग्राहक सुरक्षा ठेवीवर व्याज | २३.४० | २७.८० | ४.४० | २७.८० |
| ७ | बुडीत आणि वसुलीची अनिश्चितता असणा-या कर्जाची तरतूद | ०.०० | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ |
| ८ | आकस्मिक निधी योगदान | ६.५३ | ५.४४ | (१.०९) | ५.४४ |
| ९ | आयकर | | | | |
| १० | इतर खर्च | ८१.२६ | १४४.६८ | ६३.४२ | १४४.६८ |
| ११ | विद्युतशुल्क व महाराष्ट्र कर देय | | - | - | - |
| १२ | एकूण महसूल खर्च | ४२९१.३५ | ३५९३.०८ | (६९८.२६) | ३५९३.०८ |
| १३ | अधिक : भागभांडवलावरील परतावा | १६७.२२ | १४०.३४ | (२६.८८) | १४०.३४ |
| १३ | अंतर्गत निधीवरील परतावा | ५.२८ | ५.२८ | - | ५.२८ |
| १४ | वितरण हानीत घट करण्यासाठी प्रोत्साहन | | - | - | - |
| १५ | वायर आणि पुरवठा उपलब्धतेकरीता प्रोत्साहन | | - | - | - |
| १६ | एकूण महसूल आवश्यकता | ४४६३.८४ | ३७३८.७० | (७२५.१४) | ३७३८.७० |
| १७ | वजा : वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ८२.३९ | ६४.४१ | (१७.९८) | ६४.४१ |
| १८ | वजा : इतर व्यवसायातून उत्पन्न | | | - | |
| १९ | वजा : क्रॉस सबसिडी अधिभारापासून मिळकत | | | - | |
| २० | वजा : अतिरिक्त अधिभारापासून मिळकत, जर असेल तर | | | - | |
| २१ | एकूण महसूल आवश्यकता | ४३८१.४५ | ३६७४.२९ | (७०७.१६) | ३६७४.२९ |
| २२ | अधिक : परिवहन प्रवर्तनाची तूट | (२०.३४) | ९१२.२२ | ९३२.५६ | ६.५४ |
| २३ | एकूण महसूल आवश्यकता | ४३६१.११ | ४५८६.५१ | २२५.४० | ३६८०.८३ |
| २४ | बेस्टच्या मागील | १२५५.१६ | ११६२.३१ | (९२.८५) | ११६२.३१ |

| | | | | | |
|----|---|-----------|---------|-----------|---------|
| | वसूलीसहित कॅरीग कॉस्टधरुन आ.व. २०१२-१३ ची महसूल तूट | | | | |
| २५ | ATE ची नवीनतम ऊर्जा खरेदी अमान्य करण्याबाबतचा निवाड्याचा परिणाम | - | १३०.३६ | १३०.३६ | १३०.३६ |
| २६ | दि. १/१/२०१४ रोजीच्या बहुवर्षिय वीजदर पुनर्विलोकन आदेशाचा परिणाम | - | १३.४८ | १३.४८ | १३.४८ |
| ए | किरकोळ वीजदरापासून एकूण महसूल आवश्यकता | ५६१६.२७ | ५८९२.६६ | २७६.३९ | ४९८६.९८ |
| बी | महसूल | - | - | - | - |
| २७ | वीजविक्रीपासून महसूल | ६८४९.७६ | ४८१३.१४ | (२०३६.६२) | ४८१३.१४ |
| सी | एकूण महसूली तूट / (अधिक्य) | (१२३३.४९) | १०७९.५२ | २३१३.०१ | १७३.८४ |

७. आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी बहूवर्षिय वीज दर याचिका

७.१ ऊर्जाविक्री :

७.१.१ बेस्टने तृतीय बहूवर्षिय वीज दर नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी श्रेणीवार विक्रीचे अनुमान काढण्यासाठी ४ वर्षांचा सीएजीआर गृहित धरला आहे. ज्या श्रेणीसाठी ४ वर्षांचा सीएजीआर उणे आढळला त्यासाठी शून्य वाढ गृहित धरण्यात आली आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (फेब्र. ते मार्च २०१६) च्या उर्वरित कालावधीसाठी श्रेणीवार विक्री विचारात घेताना मागील वर्षाच्या त्याच महिन्याच्या एकूण विक्री प्रमाणे गृहित धरण्यात आली आहे.

७.१.२ तसेच बेस्ट नमूद करते की माननीय आयोगाने आर्थिक वर्ष २०११-१२ च्या दिनांक १६ मे २०१२ रोजी जारी केलेला दर आदेशात इस्पितळ आणि शैक्षणिक इमारतीसाठी नवीन श्रेणी एलटी IX (ए) आणि (बी) आणि एचटी (V) तयार केली आहे. बेस्ट सादर करते की या श्रेणी एलटी II(ए) आणि एच टी II वित्तीय श्रेणीपासून बनविल्या आहेत. या श्रेणीसाठी आधीची आकडेवारी नसल्यामुळे विक्री वाढीचे अनुमान काढण्यासाठी बेस्टने सदर श्रेणी वित्तीय श्रेणी बरोबर सीएजीआरची गणना केली आहे.

७.१.३ विक्री दर्शविण्यासाठी श्रेणीवार सीएजीआर वाढ दर खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहेत :

तक्ता ५८ : आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६पर्यंत प्रती श्रेणी ऊर्जा विक्री (एमयुज) आणि सीएजीआर

| क्र. | दरवर्ग | आर्थिक वर्ष २०११-१२ | आर्थिक वर्ष २०१२-१३ | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ | आर्थिक वर्ष २०१४-१५ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | ३ वर्षांचा सीएजीआर | ४वर्षांचा सीएजीआर | सीएजीआर गृहित |
|------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|-------------------|---------------|
| १ | बीपीएल | ०.२३ | ०.३९ | ०.०७ | ०.०५ | ०.२१ | -१८.२८% | -२.५२% | ०.००% |
| २ | एलटी - I निवासी | १७३१.०६ | १८००.२७ | १७९५.९३ | १८४६.५१ | १९२७.५१ | २.३०% | २.७२% | २.७२% |
| ३ | एलटी - II (ए) वित्तीय आणि एलटी - IX (ए) इस्पितळ आणि शैक्षणिक संस्था | ८९६.८२ | ९३३.५० | ९०४.९७ | ८९९.६६ | ९१४.१६ | -०.७०% | ०.४८% | ०.४८% |
| ४ | एलटी - II (बी) आणि (सी) वित्तीय आणि एलटी - IX (बी) इस्पितळ आणि शैक्षणिक संस्था | ८१९.२६ | ८१३.११ | ७७८.०५ | ७७१.४९ | ७८७.११ | -१.०८% | -१.००% | ०.००% |
| ५ | एलटी - III Industrial | ५०.५२ | ४८.२५ | ४५.१९ | ४३.६२ | ४३.१७ | -३.६४% | -३.८५% | ०.००% |
| ६ | एलटी - IV (ए) आणि (बी) औद्योगिक | १०३.०२ | १०३.७८ | ९९.९६ | ९९.८० | १००.५२ | -१.०६% | -०.६१% | ०.००% |
| ७ | एलटी -V जाहिरात आणि फलक | ३.२१ | २.६६ | १.८१ | १.६० | १.६३ | -१५.०८% | -१५.५८% | ०.००% |
| ८ | एलटी -VI रस्त्यावरील दिवे | २९.९० | ३०.१७ | ३०.९९ | २९.९९ | २९.९६ | -०.२२% | ०.०५% | ०.०५% |
| ९ | एलटी -VII (ए) आणि (बी) स्थायी धार्मिक | ४०.८४ | ३८.२० | ४१.०३ | ३८.६४ | ४२.३२ | ३.४७% | ०.८९% | ०.८९% |
| १० | एलटी -VIII स्मशानभूमीत | १.२६ | १.२४ | १.४१ | १.२० | १.२४ | -०.०१% | -०.४६% | ०.००% |
| ११ | एचटी - I औद्योगिक | १४९.१४ | १६९.४० | १७८.७७ | १८५.४० | १९७.१८ | ५.१९% | ७.२३% | ७.२३% |
| १२ | एचटी -II वित्तीय + एचटी - V इस्पितळ आणि शैक्षणिक संस्था | ४२३.९९ | ४१५.७० | ४३२.६८ | ४५६.३३ | ४७३.८९ | ४.४६% | २.८२% | २.८२% |
| १३ | एचटी - III निवासी संकुल | ३१.७६ | ३२.२७ | ३२.८२ | ३३.१९ | ३२.३८ | ०.११% | ०.४८% | ०.४८% |

| | | | | | | | | | |
|----|--------------------|---------|---------|---------|---------|----------|--------|--------|--------|
| १४ | एचटी तात्पुरता -IV | ५.०२ | ४.०१ | ७.८४ | ११.३७ | ७.६७ | २४.१५% | ११.१५% | ११.१५% |
| | एकूण | ४२८६.०५ | ४३९२.९५ | ४३५१.५२ | ४४१८.८३ | ४,५१८.९६ | १.२४% | १.५६% | |

७.१.४ बहुवार्षिक वीजदर कालावधीत बेस्ट परिसरात समांतर परवानाधारकांमुळे गृहित धरण्यात आलेली विक्री खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे आहे.

तक्ता ५९: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी समांतर परवानाधारकांमुळे वीज विक्रीवरील परिणाम (एमयुज)

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| निवासी | १.९७ | ३.९३ | १२.४८ | २२.३९ |
| वाणिज्य | ३.१४ | ६.२८ | १२.५५ | २३.०५ |
| एकूण | ५.११ | १०.२१ | २५.०३ | ४५.४४ |

७.१.५ तसेच बेस्टने वीज मागणी व्यवस्थापन (डी. एस. एम.) निवासी आणि वाणिज्य श्रेणीतील मागणी कमी करण्यासाठी काही उपक्रम हाती घेतले आहेत. बहुवार्षिक वीजदर कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी वीज मागणी व्यवस्थापन (डी. एस. एम.) अंतर्गत उपक्रमाची विक्रीतील घट खालील तक्त्यात दाखविण्यात आली आहे.

तक्ता ६०: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० (एमयुएस) साठी डीएसएम उपाय परिणाम

| वीज मागणी व्यवस्थापन (डीएसएम) चा परिणाम | | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| डीएसएमचा परिणाम | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| निवासी बचत (एम.यु.) | १४.१८ | २७.६९ | २७.६९ | २७.६९ |
| वाणिज्य बचत (एम.यु.) | ०.२४ | ०.३४ | ०.३४ | ०.३४ |
| वीज मागणी व्यवस्थापनामुळे एकूण बचत (एम.यु.) | १४.४२ | २८.०३ | २८.०३ | २८.०३ |

७.२ ऊर्जा संतुलन

७.२.१ बेस्ट तिच्या दक्षता अभियानामुळे आणि केपेक्स योजनेद्वारा वितरण हानी ही सध्याच्याच पातळीवर ठेवण्यासाठी प्रयत्नशील असेल, त्यामुळे बेस्टने माननीय आयोगाला बहुवार्षिक वीजदर कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी वितरण हानी ही ६.५०% टक्के मान्य करण्याची विनंती केली आहे.

७.२.२ तृतीय बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी ऊर्जा संतुलनाचे अनुमान करताना एमएसएलडीसीद्वारा त्यांच्या संकेतस्थळावरील नोव्हेंबर २०१५ मध्ये प्रत्यक्ष घोषित अंतरराज्य वितरण हानी ३.८९% चा आधार बेस्टने घेतलेला आहे.

७.२.३ खालील तक्ता एमवायटी कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ऊर्जा संतुलन दर्शवितो :

तक्ता ६१ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ऊर्जा संतुलन

| क्र. | तपशील | एकक | आगामी वर्ष | | | |
|------|--|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| १ | महाराष्ट्रातून वीज खरेदी | | | | | |
| १.१ | टीपीसी - जी | एमयु | ३६७४.२० | ३६१४.९२ | ३७०९.५१ | ३७३६.४७ |
| १.२ | आरपीएस - सौर | एमयु | ५१.४७ | १०४.५० | १४६.०५ | १८८.८० |
| १.३ | आरपीएस - सौर व्यतिरीक्त | एमयु | ५१४.७१ | ५४८.६५ | ५८४.२२ | ६२०.३४ |
| १.४ | आरईसी खरेदी | एमयु | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १.५ | विनिमय समावेश द्विपक्षीय खरेदी | एमयु | | | | |
| | | | ९०६.७४ | ९५७.१३ | ८७१.२८ | ८४८.६७ |
| १.६ | पूल असंतुलन | एमयु | | | | |
| | | | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| १.७ | स्टॅन्डबाय खरेदी | एमयु | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| | एकूण वीज खरेदी उपलब्धता जी <> टी कक्षपाशी | एमयु | ५१४७.१३ | ५२२५.२० | ५३११.०५ | ५३९४.२८ |
| २ | जी <> टी कक्षपाशी उर्जा आवश्यकता | एमयु | ५१४७.१३ | ५२२५.२० | ५३११.०५ | ५३९४.२८ |
| २.१ | आंतर-राज्य वितरणातील हानी | टक्केवारी | ३.८९% | ३.८९% | ३.८९% | ३.८९% |
| २.२ | आंतर-राज्य वितरणातील हानी | एमयु | २००.२२ | २०३.२६ | २०६.६० | २०९.८४ |
| | | | | | | |
| ३ | ३३ केव्ही पातळीला विक्रीसाठी एकूण उपलब्ध उर्जा | एमयु | ४९४६.९० | ५०२१.९४ | ५१०४.४५ | ५१८४.४५ |

| | | | | | | |
|-----|--|-------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| ३.१ | वितरण हानी | टक्केवारी | ६.५% | ६.५% | ६.५% | ६.५% |
| ३.२ | वितरण हानी | एमयु | ३२१.५५ | ३२६.४३ | ३३१.७९ | ३३६.९९ |
| ४ | एचटी विक्री | एमयु | ७२१.४८ | ७३२.४२ | ७४४.४५ | ७५६.९२ |
| ४.१ | स्वतःच्या ग्राहकांकरीता विक्री | एमयु | ७२१.४८ | ७३२.४२ | ७४४.४५ | ७५६.९२ |
| ४.२ | इतर परवानाधारक नेटवर्कच्या ग्राहकास परवानाधारकाद्वारे विक्री | एमयु | ० | ० | ० | ० |
| ४.३ | इतर परवानाधारक नेटवर्कच्या ग्राहकास इतर परवानाधारकाद्वारे विक्री | एमयु | ० | ० | ० | ० |
| ४.४ | प्रवेश खुल्या (OA) ग्राहकांना विक्री | एमयु | ० | ० | ० | ० |
| ५ | एलटी विक्री | एमयु | ३९०३.८७ | ३९६३.०९ | ४०२८.२० | ४०९९.३३ |
| | | | ७ | ४ | ९ | ७ |
| ५.१ | स्वतःच्या ग्राहकांकरीता विक्री | एमयु | ३,९०३.८८ | ३९६३.०९ | ४०२८.२१ | ४०९९.३४ |

७.३ वीजखरेदी खर्च

७.३.१ ऊर्जा संतुलन आणि अनुमानित वितरण आणि प्रसारण हानीच्या आधारावर बेस्टने बहुवार्षिक वीजदर कालावधीत आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ऊर्जा आवश्यकतेचा अनुमान केले आहे. बेस्टने आपली ऊर्जा आवश्यकता पूर्ण करण्यासाठी विविध स्रोतांद्वारे वीज खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. त्यानुसार वीज खरेदी खर्च खालीलप्रमाणे आहे :

- ए) टीपीसी-जीपासून वीज खरेदी.
- बी) नवीनतम ऊर्जा स्रोतापासून खरेदी
- सी) बाह्यस्रोत (ऊर्जा एक्सचेंज) पासून वीज खरेदी
- डी) पारेषण शुल्क, एमएसएलडीसी शुल्क आणि स्टॅण्डबाय शुल्क

टीपीसी-जीकडून वीज खरेदी

७.३.२ टीपीसी - जी द्वारे मिळविलेल्या अनुमानित निव्वळ निर्मितीच्या माहितीच्या आधारावर बेस्टने प्रत्येक टीपीसी-जी युनिटचे निव्वळ निर्मितीमुल्य गृहित धरली आहे. उर्जा विक्री करारानुसार (पी.पी.ए.) प्रत्येक संचामधुन उरलेल्या टक्केवारीने बेस्टकरिता जे निव्वळ निर्मिती होईल त्याप्रमाणे एकूण निव्वळ निर्मिती विचारात घेतली आहे.

७.३.३ टीपीसी-जी अंदाजानुसार बेस्टने संच ६ कडून कोणतीही खरेदी गृहीत धरलेली नाही. परंतु बेस्टने पीपीए नुसार संच ६ चे स्थिर आकार विचारात घेतले आहे.

तक्ता ६२ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० टीपीसी-जीद्वारे निर्मिती (एमयुज)

| ऊर्जा प्रकल्प/ एजन्सी | स्त्रोत प्रकार | क्षमता (एमडब्ल्यू) | बेस्टची करारबद्ध क्षमता (मेगावॉट) | निव्वळ निर्मिती (एमयुएस) | | | | बेस्ट करीता निर्मितीचे निव्वळ वाटप (एम.यु.) | | | |
|---------------------------|----------------|--------------------|-----------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| टीपीसी-जी हायड्रो | हायड्रो | ४४७ | २२८ | १,४२० | १,४२० | १,४२० | १,४२० | ७२७ | ७२७ | ७२७ | ७२७ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.५ | औष्णिक | ५०० | २५६ | ३,४३१ | ३,४५० | ३,५०० | ३,६२५ | १,७५६ | १,७६५ | १,७९१ | १,८५५ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.६ | औष्णिक | ५०० | २५६ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.७ | औष्णिक | १८० | ९२ | ८८४ | ८५० | ८८४ | ८५० | ४५२ | ४३५ | ४५२ | ४३५ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.८ | औष्णिक | २५० | १०० | १,८४९ | १,७२० | १,८४९ | १,८०० | ७४० | ६८८ | ७४० | ७२० |
| एकूण टाटा पावरची निर्मिती | | | | ७,५८४ | ७,४४० | ७,६५३ | ७,६९५ | ३,६७४ | ३,६९५ | ३,७९० | ३,७३६ |

तक्ता ६३ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० टीपीसी-जी अंदाजे अस्थिर खर्च

| ऊर्जा प्रकल्प/ एजन्सी | स्त्रोत प्रकार | अस्थिर खर्च (रु./केडब्ल्यूएच) | | | | अस्थिर खर्च (रु.कोटी) | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| टीपीसी-जी हायड्रो | हायड्रो | १.३९ | १.३९ | १.३९ | १.३९ | १०१.०० | १०१.०० | १०१.०० | १०१.०० |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.५ | औष्णिक | ३.०४ | ३.०४ | ३.०४ | ३.०४ | ५३३.७२ | ५३६.६७ | ५४४.४५ | ५६३.८९ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.६ | औष्णिक | | | | | | | | |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.७ | औष्णिक | २.५३ | २.५३ | २.५३ | २.५३ | ११४.४४ | ११०.०४ | ११४.४४ | ११०.०४ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.८ | औष्णिक | ३.०१ | ३.०१ | ३.०१ | ३.०१ | २२२.६२ | २०७.०९ | २२२.६२ | २१६.७२ |
| एकूण टाटा पावर निर्मिती | | | | | | ९७१.७८ | ९५४.८० | ९८२.५१ | ९९१.६५ |

तक्ता ६४ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० मधील टीपीसी-जीचा अनुमानित स्थिर आणि एकूण खर्च

| ऊर्जा प्रकल्प/एजन्सी | स्त्रोत प्रकार | स्थिर खर्च (रु.कोटी) | | | | एकूण खर्च (रु.कोटी) | | | |
|-------------------------|----------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| टीपीसी-जी हायड्रो | हायड्रो | ८५.४६ | ८५.४६ | ८५.४६ | ८५.४६ | १८६.४६ | १८६.४६ | १८६.४६ | १८६.४६ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.५ | औष्णिक | २११.४४ | २११.४४ | २११.४४ | २११.४४ | ७४५.१६ | ७४८.१२ | ७५५.८९ | ७७५.३४ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.६ | औष्णिक | ६७.८१ | ६७.८१ | - | - | ६७.८१ | ६७.८१ | - | - |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.७ | औष्णिक | १०३.०५ | १०३.०५ | १०३.०५ | १०३.०५ | २१७.४९ | २१३.०९ | २१७.४९ | २१३.०९ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.८ | औष्णिक | १०३.९९ | १०३.९९ | १०३.९९ | १०३.९९ | ३२६.६१ | ३११.०८ | ३२६.६१ | ३२०.७१ |
| एकूण टाटा पॉवर निर्मिती | | ५७१.७५ | ५७१.७५ | ५०३.९४ | ५०३.९४ | १,५४३.५३ | १,५२६.५५ | १,४८६.४ | १,४९५.६० |

नवीनतम ऊर्जा स्त्रोतापासून खरेदी

७.३.४ बेस्ट सादर करते की त्यांनी आयोगाच्या (नवीनतम ऊर्जा खरेदी बंधन, त्याचे पालन आणि आरईसी प्रेमवर्क अंमलबजावणी) नियमावली, २०१० नुसार आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या आरपीओ लक्ष्य आणि आरईसी खरेदीद्वारा कोणत्याही तुटीची भरपाई करण्यासाठी पूर्तता केली आहे, त्याचा खर्च आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या अंतरिम समायोजन करताना विचारात घेतला आहे.

७.३.५ बहुवर्षिय वीजदर कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० करीता बेस्टने आयोगाच्या नवीनतम वीजदर (नवीकरणीय खरेदी बंधन, त्याचे पालन आणि आरईसी प्रेमवर्क अंमलबजावणी) नियमावली, २०१६ नुसार वीज खरेदी चे प्रमाण ठरविले आहे. एकूण विज खरेदी ची गरज आणि आरपीओ लक्ष्य यावर आधारित बेस्टचे एमवायटी कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० नवीनतम बंधनात्मक वीजखरेदीचे प्रमाण खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता ६५ : नवीनतम खरेदी खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे आहे.

| तंत्रज्ञान | नवीकरणीय खरेदी बंधन (एमयुज) | | | |
|------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| एकूण सौर दायित्व | ५१.४७ | १०४.५० | १४६.०५ | १८८.८० |

| | | | | |
|----------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| एकूण सौर व्यतिरीक्त दायित्व | ५१३.६९ | ५४७.५५ | ५८३.०५ | ६१९.१० |
| एकूण लघु सूक्ष्म हायड्रो दायित्व | १.०३ | १.१० | १.१७ | १.२४ |

७.३.६ बेस्टने वेलस्पन एनर्जी महाराष्ट्र मर्यादितद्वारे सौर ऊर्जा आणि स्पार्क ग्रीन एनर्जी सातारा मर्यादितद्वारे बायोमास ऊर्जा खरेदी करण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. परंतु सध्याचे करार हे आरपीओ आवश्यकता पूर्ती करण्यासाठी पुरेसे नसतील आणि म्हणून बेस्टने आरपीओ आवश्यकतांची पूर्ती करण्यासाठी अतिरिक्त ऊर्जा ही सोलर आणि सोलर व्यतिरीक्त स्रोतापासून विकत घेण्याचे ठरविले आहे, याचे विवरण खालील तक्त्यात दिलेले आहे.

तक्ता ६६: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी स्रोतनिहाय नवीनतम उर्जा खरेदी

| तंत्रज्ञान | स्रोतनिहाय नवीनतम उर्जा खरेदी (एमयुज) | | | |
|--|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| वेलस्पन एनर्जी महाराष्ट्र मर्यादित | ३१.५० | ३१.५० | ३१.५० | ३१.५० |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी अहमदनगर मर्यादित | ७१.२८ | १४२.५६ | १४२.५६ | १४२.५६ |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी सातारा मर्यादित | ७१.२८ | १४२.५६ | १४२.५६ | १४२.५६ |
| सोलर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | १९.९७ | ७३.०० | ११४.५५ | १५७.३० |
| नोन सोलर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | ३७१.१३ | २६२.४३ | २९७.९३ | ३३३.९८ |
| लघु सूक्ष्म हायड्रोसाठी अतिरिक्त खरेदी | १.०३ | १.१० | १.१७ | १.२४ |

७.३.७ सध्याच्या नवीनतम उर्जा स्रोताचा वीजदर हा प्रचलित खरेदी करारानुसार घेण्यात आला आहे. अतिरिक्त सौर आणि सौर व्यतिरीक्त उर्जा खरेदी करताना २०१५च्या प्रकरण क्र.१३५ मध्ये दिलेल्या आदेश नुसार सोलर पीव्ही आणि बायोमास नवीनतम प्रकल्पासाठीचे दर गृहित धरला आहे. त्यानुसार गणना केलेला ऊर्जा खरेदी दर खालीलप्रमाणे आहे :

तक्ता ६७: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी स्त्रोतवार अक्षय ऊर्जा खरेदी खर्च एमयुज

| तंत्रज्ञान | स्त्रोतनिहाय नवीनतम ऊर्जा खरेदीचा दर (रु./ युनिट) | | | | स्त्रोतनिहाय नवीनतम ऊर्जा खरेदीचा खर्च (रु.कोटी) | | | |
|---|--|------------------------|------------------------|------------------------|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| वेलस्पन एनर्जी महाराष्ट्र मर्यादित (सौर) | ८.५६ | ८.५६ | ८.५६ | ८.५६ | २६.९६ | २६.९६ | २६.९६ | २६.९६ |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी अहमदनगर मर्यादित (बायोमास) | ७.५० | ७.५० | ७.५० | ७.५० | ५३.४६ | १०६.९२ | १०६.९२ | १०६.९२ |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी सातारा मर्यादित (बायोमास) | ७.५० | ७.५० | ७.५० | ७.५० | ५३.४६ | १०६.९२ | १०६.९२ | १०६.९२ |
| सौर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | ७.०८ | ७.०८ | ७.०८ | ७.०८ | १४.१४ | ५१.६९ | ८१.१० | ११.३७ |
| सौर व्यतिरिक्त सोलर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | ७.५० | ७.५० | ७.५० | ७.५० | २७८.३४ | १९६.८२ | २२३.४५ | २५०.४९ |
| लघु सूक्ष्म हायड्रोसाठी अतिरिक्त खरेदी | ५.६२ | ५.६२ | ५.६२ | ५.६२ | ०.५६ | ०.६२ | ०.६६ | ०.७० |
| एकूण | | | | | ४२६.९५ | ४८९.९३ | ५४६.०१ | ६०३.३६ |

बाहयस्त्रोताकडून वीज खरेदी (द्विपक्षीय आणि विनिमय)

७.३.८ टीपीसी-जी आणि आरपीओ पासून उपलब्ध होणारी ऊर्जा गृहीत धरून बेस्टने बाहयस्त्रोताकडून आवश्यक असलेल्या वीज खरेदीचे अनुमान केले आहे, जे बाहय द्विपक्षीय /ऊर्जा विनिमय द्वारे पूर्ण केले जाईल, पण बेस्टने बाहय स्त्रोताकडून रु.३.६४/प्रति युनिट दराने वीज खरेदी करण्याचे ठरविले आहे जो आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या जानेवारी पर्यंतचा बाहय वीज खरेदीचा प्रत्यक्ष दर होता.

तक्ता ६८ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी बाह्य स्रोतपासून ऊर्जा खरेदी

| | द्विपक्षीय गृहित धरून बाह्य स्रोतपासून खरेदी | | | |
|--|--|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| बाह्यस्रोतपासून वीज खरेदी एमयुज | २८३.१० | ९५७.१३ | ८७१.२८ | ८४८.६७ |
| दर - रु/युनिट | ३.६३ | ३.६३ | ३.६३ | ३.६३ |
| खर्च -रु.कोटी | १०२.७२ | ३४७.२९ | ३१६.१४ | ३०७.९३ |
| द्विपक्षीय कराराप्रमाणे द्विपक्षीय स्रोताकडून केलेली खरेदी (फेब्रु-१६ ते मार्च-१६) | ६२३.६५ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| दर रु/केडब्ल्यूएचमध्ये | ३.१२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| खर्च रु.कोटीमध्ये | १९४.४२ | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| एकूण द्विपक्षीय खरेदी (एमयु) | ९०६.७४ | ९५७.१३ | ८७१.२८ | ८४८.६७ |
| एकूण द्विपक्षीय खरेदी खर्च (रु.कोटी) | २९७.१४ | ३४७.२९ | ३१६.१४ | ३०७.९३ |

पारेषणशुल्क, एमएसएलडीसी शुल्क आणि राखीव शुल्क

७.३.९ तृतीय एमवायटी नियंत्रण कालावधीसाठी अनुमानित पारेषण शुल्क, एमएसएलडीसी शुल्क आणि राखीव शुल्क खालीलप्रमाणे आहेत :

तक्ता ६९ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी पारेषण शुल्क, एमएसएलडीसी शुल्क आणि राखीव शुल्क

| रु.कोटीमध्ये मूल्य | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| पारेषण शुल्क | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| एसएलडीसी शुल्क | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ |
| राखीव शुल्क | १०६.८० | १०६.८० | १०६.८० | १०६.८० |

७.३.१० एमवायटी कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी वीज खरेदी सारांशचा तक्ता खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता ७० : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ऊर्जा खरेदी सारांश

| स्त्रोत | स्त्रोतवार ऊर्जा खरेदी एमयु | | | | स्त्रोतवार ऊर्जा खरेदी खर्च रु.कोटी | | | |
|--|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| टीपीसी-जी हायड्रो | ७२६.६१ | ७२६.६१ | ७२६.६१ | ७२६.६१ | १८६.४६ | १८६.४६ | १८६.४६ | १८६.४६ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.५ | १,७५५.६४ | १,७६५.३७ | १,७९०.९५ | १,८५४.९१ | ७४५.१६ | ७४८.१२ | ७५५.८९ | ७७५.३४ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.६ | - | - | - | - | ६७.८१ | ६७.८१ | - | - |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.७ | ४५२.३४ | ४३४.९५ | ४५२.३४ | ४३४.९५ | २१७.४९ | २१३.०९ | २१७.४९ | २१३.०९ |
| टीपीसी-जी युनिट क्र.८ | ७३९.६० | ६८८.०० | ७३९.६० | ७२०.०० | ३२६.६१ | ३११.०८ | ३२६.६१ | ३२०.७१ |
| एकूण टाटा पॉवर निर्मिती | ३,६७४.२० | ३,६१४.९२ | ३,७०९.५१ | ३,७३६.४७ | १,५४३.५३ | १,५२६.५५ | १,४८६.४५ | १,४९५.६० |
| वेलस्पन एनर्जी महाराष्ट्र मर्यादित | ३१.५० | ३१.५० | ३१.५० | ३१.५० | २६.९६ | २६.९६ | २६.९६ | २६.९६ |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी अहमदनगर मर्यादित | ७१.२८ | १४२.५६ | १४२.५६ | १४२.५६ | ५३.४६ | १०६.९२ | १०६.९२ | १०६.९२ |
| स्पार्क ग्रीन एनर्जी सातारा मर्यादित | ७१.२८ | १४२.५६ | १४२.५६ | १४२.५६ | ५३.४६ | १०६.९२ | १०६.९२ | १०६.९२ |
| सोलर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | १९.९७ | ७३.०० | ११४.५५ | १५७.३० | १४.१४ | ५१.६९ | ८१.१० | १११.३७ |
| नॉन सोलर आरपीओसाठी अतिरिक्त खरेदी | ३७१.१३ | २६२.४३ | २९७.९३ | ३३३.९८ | २७८.३४ | १९६.८२ | २२३.४५ | २५०.४९ |
| लघु सूक्ष्म हायड्रोसाठी अतिरिक्त खरेदी | १.०३ | १.१० | १.१७ | १.२४ | ०.५८ | ०.६२ | ०.६६ | ०.७० |
| एकूण नविनतम ऊर्जा खरेदी | ५६६.१८ | ६५३.१५ | ७३०.२७ | ८०९.१४ | ४२६.९५ | ४८९.९३ | ५४६.०१ | ६०३.३६ |

| | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| बाह्य स्त्रोतापासून वीज खरेदी | ९०६.७४ | ९५७.९३ | ८७९.२८ | ८४८.६७ | २९७.९४ | ३४७.२९ | ३९६.९४ | ३०७.९३ |
| एकूण वीज खरेदी | ५९४७.९३ | ५२२५.२० | ५३९९.०५ | ५३९४.२८ | २२६७.६९ | २३६३.७६ | २३४८.६० | २४०६.८९ |
| पारिषण शुल्क | | | | | ९९८.०० | ९९८.०० | ९९८.०० | ९९८.०० |
| एसएलडीसी शुल्क | | | | | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ |
| राखीव शुल्क | | | | | ९०६.८० | ९०६.८० | ९०६.८० | ९०६.८० |
| एकूण वीज खरेदी खर्च | | | | | २५७३.२६ | २६६९.४९ | २६५४.२५ | २७९२.५३ |

७.४ संचालन व देखभाल खर्च

७.४.१ बेस्ट असे नमूद करते की, मा. आयोगाचे विनियम २०१५चे विनियम ७२ हा बेस्टच्या वायर व्यवसायाकरिता तर नियम ८१ हा बेस्टच्या पुरवठा विभागाकरिता संचालन व देखभाल प्रमाण निर्देशित करतो. बेस्ट सादर करते की तार व्यवसाय आणि पुरवठा व्यवसाय याचे विभाजन एमईआरसी बहुवर्षिय वीजदर विनियम २०१५ च्या नियम ६८ नुसार करण्यात आले आहे.

७.४.२ वीज कायदा २००३ कलम ४२ (३) नुसार बेस्ट स्थानिक संस्था असल्याने तिला मुक्त प्रवेश वापरकर्त्याला विजेच्या व्हीलिंगसाठी तिचे जाळे पुरवण्यापासून सूट प्रदान करण्यात आली आहे. माननीय आयोगाने बनविलेल्या वितरण खुला प्रवेश नियमावली विनियमातून बेस्टला सूट प्रदान करण्यात आली आहे.

बेस्ट स्थानिक संस्था असल्यामुळे व्हीलिंग आकार ठरविण्याची गरज नाही. त्यामुळे बेस्टला आपला तार आणि पुरवठा व्यवसाय अशा वर्गीकरणाची गरज नाही.

बेस्टने आपल्या तार आणि पुरवठा व्यवसायाचे वर्गीकरण हे याचिकेसाठी आवश्यक आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम, २०१५ च्या नियम ६८ नुसार केवळ अर्ज दाखल करण्याच्या पूर्ततेसाठी केले आहे.

७.४.३ तसेच, आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०१५ च्या नियम ७२ आणि ८१ नुसार बेस्टने प्रमाणस्थापक संचालन व देखभाल खर्च याची मोजणी केली आहे. आगामी वर्षाचा संचालन व देखभाल खर्च दर्शविण्यासाठी आर्थिक व्यवहार कार्यालयाद्वारे जारी डब्ल्युपीआय निर्देशांक आणि श्रम आणि रोजगार मंत्रालय, भारत सरकारद्वारा जारी सीपीआय निर्देशांक यामध्ये ६० टक्के आणि ४० टक्के प्रमाणात १ टक्का कार्यक्षमतेत घट गृहीत धरून त्यासंबंधी चलन फुगवटीचा घटक लक्षात घेऊन दर वर्षामागे ३.७५ टक्क्यांची वाढ बेस्टने सादर केली आहे.

| | सरासरी सीपीआय निर्देशांक वाढ % | सरासरी डब्ल्युपीआय निर्देशांक वाढ % | ६०% डब्ल्युपीआय आणि ४०% सीपीआयसकट वृद्धीदर | १% कार्यक्षमता घटक गृहीत धरून वृद्धीत वाढ |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| आर्थिक वर्ष २०१४-१५ | ६.३०% | २.०५% | ३.७५% | २.७५% |

- ७.४.४ बेस्ट नमूद करते की आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आर्थिक वर्ष २०१४-१५ या कालावधीसाठी संचालन व देखभाल खर्चात उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. आयोगाच्या बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०१५ च्या तरतुदी नुसार प्रत्यक्ष संचालन व देखभाल खर्चात झालेल्या या वाढीची भरपाई करण्यासाठी पुरेशा नसतील. बेस्ट सादर करते की, संचालन व देखभाल खर्चातील ही वाढ खाली अधोरेखित केल्याप्रमाणे अनियंत्रित घटकांमुळे झाली आहे :-
- ए) महागाई भत्ता वाढ (डीए) : बेस्ट सादर करते की, महागाई भत्ता वाढ (डीए) हा कर्मचारी खर्चाचा सर्वात मोठा भार आहे. दुस-या नियंत्रण कालावधीदरम्यान डीएच्या निर्देशांकांमध्ये आर्थिक वर्ष २०१२-१३, आर्थिक वर्ष २०१३-१४, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ (डिसेंबरपर्यंत) साठी २५३०, २९००, २३४२ आणि १९९८ अनुक्रमे अशी उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. दर महिन्याच्या वाढीव महागाई भत्त्यामुळे भविष्य निर्वाह निधी, ग्रॅच्युइटी, जादा कामाचा मेहनताना, रजेचे रोखीत रुपांतर यातही वाढ झाली आहे.
- बी) वेतन खर्चात वाढ : सुधारित वेतन अंमलबाजावणीमुळे मूळ पगारावरचे प्रत्यक्ष ओझे वाढले आहे.
- सी) घरभाडे भत्ता : या व्यतिरिक्त, वेतन करारानुसार घरभाडे भत्त्याच्या प्रदानात देखील वाढ होऊन ते २५ टक्क्यांवरून ३० टक्के करण्यात आले आहे.
- डी) वैधानिक सर्वसाधारण प्रशासन खर्चात वाढ
- बृहन्मुंबई महानगरपालिका द्वारे ०१.०४.२०१० पासून मालमत्ता कर हा आकारणी मूल्यावर आकारता भांडवल मूल्यावर आकारला जाणारा असल्याने आणि त्यानंतर ०१.०४.२०१५ पासून त्यात झालेल्या वाढीमुळे भाडे दर वाढले आहे. पण बेस्टला आर्थिक वर्ष २०१४-१५ पासून भांडवल मूल्यावर मालमत्ता आकारणी चे सुधारित देयक प्राप्त होऊ लागली आहे.
 - परवाना शुल्क आणि स्थानिक प्राधिकरणाच्या अनुषंगाने इतर शुल्कात वर्षानुवर्षे वाढ होत आहे.
 - विमा खर्चात वाढ.
- इ) मुंबई प्रदेशात सतत धोक्याच्या दडपणाखाली असल्यामुळे वितरण प्रणालीच्या सबस्टेशन व महत्त्वाच्या उभारण्यांसाठी उच्च पातळीच्या सुरक्षा व्यवस्थापनाची गरज असल्यामुळे सुरक्षा व्यवस्थापनाच्या खर्चात वाढ.
- एफ) भूमिगत आणि जमिनीवरिल तारांच्या जाळ्यांच्या खर्चात वाढ, मुंबईला निरंतर आणि विश्वसनीय पुरवठा करण्यासाठी भूमिगत तारांच्या दुरुस्तीच्या कामाचा येणारा खर्च.
- जी) भूमिगत तारांच्या दुरुस्तीसाठी उत्खनन केलेले रस्ते पुन्हा त्याच स्वरूपात आणण्यासाठी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारा वाढता आकार. रस्त्याच्या पुर्नस्थापनेसाठी आकारला जाणारा शुल्क हा वेळोवेळी बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारा वाढविला जातो व तो बेस्टच्या नियंत्रणाबाहेर असतो.
- एच) सर्वसाधारण प्रशासन खर्चात वाढ :
सर्वसाधारण प्रशासन खर्चात, सामान्य प्रशासन खात्याचा पूर्ण संचालन व देखभाल खर्च सामील असतो व कर्मचारी खर्च, ए एंड जी खर्च आणि आर एंड एम खर्च यांच्यावर वर नमूद कारणास्तव वाढीमुळे वाढत आहे.

- ७.४.५ अशाप्रकारे, तृतीय नियंत्रण कालावधीच्या प्रवर्तन व परिरक्षणाच्या तपशीलवार खर्चाच्या प्रस्तुतीकरणासाठी ३ वर्षांच्या साधारण सरासरीत प्रमाणकानुसार विचारात घेतला असता (बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०१५ नुसार) वर दर्शविलेल्या नियंत्रणाबाहेर असणा-या घटकांचा परिणाम गृहीत धरता येणार नाही. बेस्ट असे सादर करते की, संचालन व देखभाल खर्च यावर अशा प्रमाणकानुसार मांडणी केल्यास प्रवर्तन व परिरक्षण खर्च आणि मान्य खर्च यातील फरक अजून वाढेल. यामुळे अगोदरच खालावलेली बेस्टच्या रोख प्रवाहाची स्थिति आणखीनच खालावेल, संचालन व देखभाल खर्च प्रमाणक स्थापक खर्चाच्या मर्यादेतच मंजूर केल्यास त्याचा अयोग्य परिणाम पुरवठ्याचा दर्जा आणि विश्वसनीयतेवर होईल. मा. आयोगाने हे समजून घेतले पाहिजे की कामगिरी आधारित नियमनाचा हेतू हा पुरवठ्याचा दर्जा आणि विश्वसनीयता वेठीस धरून खर्च कपातीवर भर देणारा असू शकत नाही. मा. आयोग, बहुवार्षिक विनियम, २०१५ चे मुळ उद्देश हे योग्य लक्ष्ये ठरविणे आहे जेणेकरून उपक्रम मूळ कार्यक्षमता लक्षात घेऊन नवकल्पना राबवून पुरवठ्याच्या गुणवत्ता आणि विश्वसनीयतेत उच्च पातळी गाठू शकेल असा आहे.
- ७.४.६ तसेच, बेस्ट नमूद करते की, मा. आयोग, बहुवार्षिक विनियम, २०१५ च्या नियम १०२ च्या खंड 'के' नुसार माननीय आयोगास अडचणी दूर करण्याचे अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. नियमन १०२ पुन्हा इथे देत आहोत :-

"102 Power to remove difficulties

If any difficulty arises in giving effect to the provisions of these Regulations, the Commission may, by general or specific order, make such provisions not inconsistent with the provisions of the Act, as may appear to be necessary for removing the difficulty.

- ७.४.७ बेस्ट मा. आयोग, बहुवार्षिक विनियम, २०१५ च्या नियम १०२ अंतर्गत संचालन व देखभालाच्या खर्चाचे नियम शिथिल करण्याची विनंती केली आहे. त्यानुसार तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीच्या आ.व. २०१६-१७ ते आ.व.२०१९-२० साठी संचालन व देखभालाच्या खर्चासाठी प्रत्यक्ष बेस्टने दांचालन व देखभाल खर्च विचारात घेण्याची विनंती केली आहे. बेस्ट संचालन व देखभालाचा खर्च हा बेस्टच्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या अनुमानित संचालन व देखभाल खर्चात झालेली वाढ गृहीत धरून कामगाराचा खर्च, प्रशासकीय आणि इतर सर्वसाधारण खर्च, दुरुस्ती आणि देखभाल खर्चाचा प्रत्यक्ष कल विचारात घेऊन सादर करत आहे. वृद्धीचा दर हा ४ वर्षांच्या सीएजीआर (आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आर्थिक वर्ष २०१४-१५) च्या संबंधित खर्चानुसार गृहीत धरण्यात आला आहे.

तक्ता ७१ : संचालन व देखभाल वृद्धी अनुमानित %

| | २०१०-११ | २०११-१२ | २०१२-१३ | २०१३-१४ | २०१४-१५ | ४ वर्ष सीएजीआर |
|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|----------------|
| कर्मचारी खर्च | १९९.३२ | २२०.७५ | २५२.६३ | ३२२.१ | ३४७.३३ | १४.८९% |
| प्रशासकीय व सर्वसाधारण खर्च | ८२.७५ | ८५.०९ | ९५.४२ | १००.७५ | ११४.०९ | ८.३६% |
| दुरुस्ती व देखभाल खर्च | ३४.७२ | ३५.८४ | ४२.७ | ४१.३१ | ५२.७५ | ११.०२% |
| एकूण संचालन व देखभाल खर्च | ३१६.७९ | ३४१.६८ | ३९०.७५ | ४६४.१६ | ५१४.१७ | १२.८७% |

- ७.४.८ आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या संचालन व देखभाल खर्चातील वाढीचा सीएजीआर गृहीत धरून, अनियंत्रित घटकांचा प्रभाव देखील गृहीत धरण्यात येईल.
- ७.४.९ खालील तक्ता तृतीय बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी अनुमानित संचालन व देखभाल खर्च दर्शवितो.

तक्ता ७२ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी संचालन व देखभाल खर्चाचा सारांश

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|------|-----------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | साधारण | प्रमाणित | प्रमाणित | प्रमाणित |
| १ | संचालन व देखभाल खर्च | | | | | | | | |
| २ | कर्मचारी खर्च | ४१३.५३ | ४७५.१२ | ५४५.८८ | ६२७.१९ | | | | |
| ३ | प्रशासकिय व सर्वसाधारण खर्च | १५५.६५ | १६८.६६ | १८२.७६ | १९८.०४ | ५०३.६२ | ५१७.४७ | ५३१.७० | ५४६.३२ |
| ४ | दुरुस्ती व देखभाल खर्च | ६८.०० | ७५.५० | ८३.८२ | ९३.०६ | | | | |
| ५ | एकूण संचालन व देखभाल खर्च | ६३७.१८ | ७१९.२८ | ८१२.४६ | ९१८.२९ | ५०३.६२ | ५१७.४७ | ५३१.७० | ५४६.३२ |

टीप २ : तृतीय नियंत्रण कालावधीचा अनुमानित संचालन व देखभाल खर्च हा आर्थिक वर्ष २०१२-१३ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ दरम्यान वेगळे झालेल्या कर्मचारी / अधिकारी यांना देय रक्कम वगळून आहे. या प्रदान केलेल्या रकमेचा दावा मध्यवर्ती पुनर्विलोकनात केला जाईल.

७.५ वेतन वाढीचा परिणाम

७.५.१ बेस्ट नमूद करते की, बेस्टने प्रत्यक्ष वेतनवाढीच्या परिणामाचा दावा समायोजनेत सादर केलेला आहे परंतु मागील वेतन करारात मंजूर केलेल्या व देय असलेल्या १० हप्त्यांची रक्कम रु. १४.०० कोटी देणे बाकी आहे. तसेच, कर्मचा-यांसोबत चालू वेतन करार हा ३१ मार्च, २०१६ ला संपेल आणि जरी नवीन वेतन कराराची प्रक्रिया अजुन सुरु व्हायची असली तरी बेस्टला आपल्या कर्मचा-यांसोबत नवीन वेतन करार करावा लागेल व तो आर्थिक वर्ष २०१६-१७ पासून लागू असेल. त्यानुसार वार्षिक वेतन परिणाम खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे असेल :-

तक्ता ७३ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी सुधारीत वेतन परिणाम

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| १ | वेतन सुधारणा परिणाम | ४१.०३ | २७.०३ | २७.०३ | २७.०३ |

७.५.२ * मागील वेतन सुधारणेमुळे थकबाकीपोटी द्यावयाचे १० हप्त्यांचे देय रु.१४.०० कोटी समाविष्ट.

७.५.३ बेस्टच्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या उपक्रमांच्या सुधारित अंदाजानुसार आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या अनुमानित कर्मचारी खर्चात सादर वाढीव कर्मचारी खर्च गृहीत धरून वाढीव कर्मचारी खर्चाचा दावा केला आहे. ४ वर्षांच्या सीएजीआर (आर्थिक वर्ष २०१०-११ ते आर्थिक वर्ष २०१४-१५) वृद्धीदरानुसार सादर वृद्धीसाठी गृहीत धरण्यात आला आहे. आर्थिक वर्ष २०१५-१६च्या अनुमानित कर्मचारी खर्च आणि ४ वर्षांचा सीएजीआर हे वेतन सुधारणेचा परिणाम धरून आहे, हे गृहीत धरल्याने त्याचा वेगळा दावा करण्यात आलेला नाही.

७.६ भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

७.६.१ बेस्टने एमवायटी नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी भांडवली खर्च आणि भांडवल याची गणना मान्य [डीपीआर आणि माननीय आयोगास, सादर करावयाच्यानुसार मंजूर तसेच माननीय आयोगाच्या मान्यतेसाठी सादर करावयाच्या तपशीलवार प्रकल्प अहवाल विचारात घेऊन केली आहे]. एमवायटी नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी अनुमानित भांडवली खर्च आणि भांडवल खाली दिलेल्या तक्त्यानुसार असेल :-

तक्ता ७४ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी भांडवली खर्च आणि भांडवलीकरण

| क्र. | तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|------|--------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| १ | भांडवली खर्च | २३८.५८ | २३७.०३ | २३७.२८ | २४२.२३ |
| २. | भांडवलीकरण | २३४.५९ | २३३.६४ | २४०.९१ | २४१.१९ |

७.७ घसारा

७.७.१ बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या प्रत्येक वर्षाच्या सुरुवातीच्या जीएफएवर आर्थिक वर्ष २०१५-१६ चा सरासरी घसारा दर गृहीत धरून घसाराची गणना केली आहे त्याचा तपशील खालीलप्रमाणे.

तक्ता ७५ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी घसारा

| तपशील | आगामी वर्ष | | | | |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | सुधारित अंदाज | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| सुरुवातीचे जीएफए (रु. कोटी) | २,१७९.७१ | २,३४१.२५ | २,५६७.१६ | २,७९२.१२ | ३,०२४.३५ |
| सरासरी घसारा दर (%) | ४.७२% | ४.७२% | ४.७२% | ४.७२% | ४.७२% |
| घसारा (रु.कोटी) | १०२.८८ | ११०.५० | १२१.१५ | १३१.७७ | १४२.७३ |

७.८ दीर्घ मुदतीच्या कर्जावर व्याज

- ७.८.१ येत्या वर्षात लागणा-या भांडवलीकरणासाठी बेस्टने दीर्घ मुदत कर्ज घेण्याचा विचार केला आहे. बहुवार्षिक विजदर विनियम २०१५ च्या नियम २९ नुसार बेस्टने या कर्जावर व्याजाची गणना केली आहे.
- ७.८.२ बेस्ट नम्रपणे सादर करते की, माननीय आयोगाने (२०१३ च्या प्रकरण क्र. २६) मध्यवर्ती पुनर्विलोकन याचिका आदेशांद्वारे प्रामुख्याने भांडवल वाढीसाठी अल्पकालीन कर्ज घेण्याच्या तत्वास मान्यता दिली आहे.
- ७.८.३ पात्र विद्युत व्यवसायास व्याज सवलत देण्यासाठी 'आरईसी' मर्यादित भारत शासनाद्वारे नियुक्त आहे. त्यानुसार बेस्टने सुरुवातीला एमईआरसीला आणि त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाद्वारा २८ जून २०१२ च्या जीआर क्र. २०१२ नुसार नेमलेल्या वितरण विकास बैठकीस ०३.०४.२०१४ च्या पत्र क्र. डीओ/जीएम/डीजीएम(ईएस)/१८२४०/२०१३ नुसार अनेक प्रकल्पाचे विकास अहवाल (डीपीआर) सादर केला आहे.
- ७.८.४ आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ दरम्यान बेस्टने आरईसीद्वारा करारनुसार कर्ज घेण्याचा विचार केला आहे. व्याजदर साधारण ११.७५% आहे. पण आर्थिक वर्ष २०१६-१७ नंतरचे कर्ज वित्तीय संस्थाद्वारे अल्पकालीन कर्ज म्हणून १०.५% व्याजदरावर घेण्यात येईल. या कर्जावर आधारित अनुमानित व्याजदर लावण्यात आला आहे.
- ७.८.५ खालील त०ता तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी अनुमानित केलेल्या कर्जावरील व्याज दर्शवितो.

तक्ता ७६ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी प्रमाणक स्थापक कर्जावरील व्याज.

| क्र. | कर्जाचे स्रोत | आगामी वर्ष (अनुमानित) | | | |
|------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| १ | ढोबळ प्रमाणक स्थापक कर्जाची प्रारंभिक शिल्लक | ७०.०६ | १२३.७८ | १६६.१८ | २०३.०४ |
| २ | आ.व. पर्यंत संकलित परतफेड | - | - | - | - |
| ३ | निव्वळ प्रमाणक स्थापक कर्जाची प्रारंभिक शिल्लक | ७०.०६ | १२३.७८ | १६६.१८ | २०३.०४ |
| ४ | वजा : निवृत्ती किंवा मालमत्तेच्या बदलीमुळे प्रमाणक स्थापक कर्जात घट | - | - | - | - |
| ५ | वर्षादरम्यान भांडवलीकरणामुळे प्रमाणक स्थापक कर्जात वृद्धी | १६४.२१ | १६३.५५ | १६८.६४ | १६८.८३ |
| ६ | वर्षादरम्यान प्रमाणक स्थापक कर्जाची परतफेड | ११०.५० | १२१.१५ | १३१.७७ | १४२.७३ |

| | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| ७ | निव्वळ प्रमाणक स्थापक कर्जाची अंतिम शिल्लक | १२३.७८ | १६६.१८ | २०३.०४ | २२९.१५ |
| ८ | ढोबळ प्रमाणक स्थापक कर्जाची अंतिम शिल्लक | १२३.७८ | १६६.१८ | २०३.०४ | २२९.१५ |
| ९ | निव्वळ साधारण कर्ज सरासरी शिल्लक | ९६.९२ | १४४.९८ | १८४.६१ | २१६.०९ |
| १० | प्रत्यक्ष कर्जावरील (%) सरासरी व्याजदर | १०.४८% | १०.४७% | १०.४५% | १०.१३% |
| ११ | व्याज खर्च | १०.१६ | १५.१८ | १९.३० | २२.५४ |
| १२ | वित्त आकार | | | | |
| १३ | एकूण व्याज आणि वित्तीय आकार | १०.१६ | १५.१८ | १९.३० | २२.५४ |

७.९ खेळत्या भांडवल कर्जावरील व्याज :

७.९.१ बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ मध्ये निर्दिष्ट नियम ३१ नुसार बेस्टने खेळत्या भांडवल कर्जावर व्याजाची गणना केली आहे.

७.९.२ विनियमाच्या निर्देशानुसार खेळत्या भांडवल रकमेवर व्याजदर जे मूळदर अधिक मूळ १५० गुणांक असे गणण्यात आले आहे.

तक्ता ७७ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी खेळत्या भांडवलावर प्रमाणकस्थापक व्याज.

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|------|--|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| १ | मासिक संचालन आणि देखभाल खर्च | ५३.१० | ५९.९४ | ६७.७१ | ७६.५२ |
| २ | प्रारंभिक एकूण स्थिर मत्तेच्या १% देखभालीसाठी सुटे भाग | २३.४१ | २५.६७ | २७.९२ | ३०.२४ |
| ३ | क्रॉस सबसिडी सरचार्ज आणि अतिरिक्त अधिभाराचा महसूलासहित वीज विक्रीचा दीड महिन्याबरोबरीचा महसूल. | ५३४.९६ | ५५४.८१ | ५६२.०१ | ५८०.०१ |
| ४ | वजा : सुरक्षा ठेव म्हणून राखीव रक्कम | ३६९.४१ | ३८०.४९ | ३९१.९१ | ४०३.६६ |
| ५ | वजा : एक महिन्याबरोबरीचा पारेषण आकार आणि एमएसएलडीसी आकार खर्च | २१४.४४ | २२२.४५ | २२१.१९ | २२६.०४ |
| ६ | एकूण खेळते भांडवल आवश्यकता | २७.६२ | ३७.४८ | ४४.५४ | ५७.०७ |

| | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|--------|
| ७ | खेळते भांडवल व्याज गणना | | | | |
| ८ | व्याजदर (%) - एसबीआय आधार दर + १५० आधारित गुण | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| ९ | खेळत्या भांडवलावरील व्याज | २.९८ | ४.०५ | ४.८१ | ६.१६ |

७.१० ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज

७.१०.१ आर्थिक वर्ष २०१४-२०१५ दरम्यान प्रत्यक्ष ग्राहक सुरक्षा ठेव रु.३४८.२० कोटी एवढी होती आणि असे अनुमान आहे की ग्राहक सुरक्षा ठेव आर्थिक वर्ष २०१५-२०१६ दरम्यान रु. ३५८.६५ कोटी एवढी असेल म्हणजेच आर्थिक वर्ष २०१४-२०१५ च्या तुलनेत ३% वाढ. त्यानुसार भविष्यातील अनुमानासाठी ३% वाढ गृहीत धरण्यात आली आहे. बेस्ट सादर करते की एमवायटी नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-२०१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२०२० साठी ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज खालील तक्त्यात नमूद करण्यात आला आहे.

तक्ता ७८: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज.

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| सुरक्षा ठेव म्हणून राखून ठेवलेली रक्कम | ३६९.४१ | ३८०.४९ | ३९१.९१ | ४०३.६६ |
| व्याजदर (%) - एसबीआय आधार दर + १५० आधारित गुण | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ३९.९० | ४१.०९ | ४२.३३ | ४३.६० |

७.११ आकस्मिक निधी योगदान

७.११.१ बेस्ट सादर करते की आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ नुसार प्रारंभिक ढोबळ स्थिर मत्ता (जीएफच्या) ०.२५% योगदान आकस्मिक राखीव म्हणून करावयाचे गृहीत धरले आहे. त्याबद्दल सविस्तर माहिती खालील तक्त्याप्रमाणे.

तक्ता ७९: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी आकस्मिक राखीव योगदान

| क्र. | तपशील | आगामी वर्ष | | | | |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | | सुधारीत अंदाज | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| | प्रारंभिक ढोबळ स्थिर मालमत्ता (जमीन वगळून) | २१७७.४१ | २३३८.९५ | २५६४.८६ | २७८९.८२ | ३०२२.०५ |
| | प्रारंभिक जीएफएच्या % प्रमाणे - आकस्मिक निधीची प्रारंभिक शिल्लक | ०.२५% | ०.२५% | ०.२५% | ०.२५% | ०.२५% |
| | वर्षादरम्यान आकस्मिक राखीवात योगदान | ५.४४ | ५.८५ | ६.४१ | ६.९७ | ७.५६ |

७.१२ इतर खर्च

७.१२.१ आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी इतर खर्चाच्या सुधारित अंदाजासाठी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० पर्यंतच्या बहुवर्षीय वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी बेस्टने इतर खर्चात दरवर्षी ३% वाढ गृहित धरली आहे. २०१४ च्या आदेश क्र. ८८ नुसार ग्राहकांना इंधन समायोजन आकाराच्या परताव्यावर दिल्या गेलेल्या व्याजाची रक्कम यातून वगळण्यात आली आहे.

तक्ता ८०: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० करीता इतर खर्च

| क्र. | तपशील | आगामी वर्ष | | | | |
|------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१५- १६ | आर्थिक वर्ष २०१६- १७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | | सुधारीत अंदाज | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| १ | तत्वर प्रदान सवलत | २०.०० | २०.६० | २१.२२ | २१.८५ | २२.५१ |

| | | | | | | |
|---|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| २ | पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन | ९५.०० | ९७.८५ | १००.७९ | १०३.८१ | १०६.९२ |
| ३ | ईसीएस सवलत | ०.७५ | ०.७७ | ०.८० | ०.८२ | ०.८४ |
| ४ | भारघटक प्रोत्साहन | ५.०० | ५.१५ | ५.३० | ५.४६ | ५.६३ |
| ५ | इंधन समायोजन आकाराच्या परताव्यावर ग्राहकास दिले गेलेले व्याज | २३.९३ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| ६ | एकूण | १४४.६८ | १२४.३७ | १२८.१० | १३१.९५ | १३५.९१ |

७.१३ बुडीत आणि वसूल होण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या कर्जासाठी तरतूद

७.१३.१ आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या बहुवर्षीय वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी बुडीत आणि वसूल होण्याची कमी शक्यता असणाऱ्या कर्जासाठी तरतूद म्हणून येणे असलेल्या रकमेच्या आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या प्रारंभिक शिल्लकीच्या १.५% रक्कम ही आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ च्या नियम ८२ नुसार गृहीत धरण्यात येईल. त्याबद्दल विस्तारीत स्वरूपात माहिती खालील तक्त्यात दिली आहे.

तक्ता ८१: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी बुडीत आणि वसूल न होणाऱ्या कर्जासाठी तरतूद

| क्र. | तपशील | आगामी वर्ष | | | | |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | | सुधारीत अंदाज | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| १ | बुडीत आणि वसूल होण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या कर्जाच्या तरतूदीची प्रारंभिक शिल्लक | ०.०६ | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |
| २ | वर्षातील येणी | ४८२.७४ | ४८२.७४ | ४८२.७४ | ४८२.७४ | ४८२.७४ |
| ३ | बुडीत आणि वसूल होण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या कर्जाच्या तरतूदीची प्रारंभिक शिल्लकीच्या येणाऱ्या रकमेच्या तुलनेत टक्केवारी | १.५% | १.५% | १.५% | १.५% | १.५% |
| ४ | वर्षादरम्यान बुडीत आणि वसूल होण्याची शक्यता कमी असणाऱ्या कर्जासाठीची तरतूद | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ |

| | | | | | | |
|---|---|------|------|------|------|------|
| ५ | प्रत्यक्ष बुडीत आणि अनिश्चित येणी निलेखीत | ७.३० | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ |
| ६ | प्रत्यक्ष बुडीत आणि अनिश्चित येणीच्या तरतूदीची अंतिम शिल्लक | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० | ०.०० |

७.१४ भागभांडवलावरील परतावा

७.१४.१ आयोगाच्या बहुवर्षीय वीजदर विनियम २०१५ च्या नियम २८ नुसार बेस्टने भागभांडवलावर परताव्याची गणना केली आहे. वर्षाच्या प्रारंभिक नियामक भागभांडवलासाठी बेस्टने मागील वर्षाचे अंतिम भागभांडवल गृहीत धरले. निवृत्ती आणि मालमत्तेच्या अदलाबदलीचा परिणाम म्हणून एमईआरसी एमवायटी नियमावली २०१५ च्या नियम २६.२ नुसार जीएफए मालमत्तेच्या ३०% मालमत्ता अनुमानित निवृत्ती गृहीत धरण्यात आली आहे. त्याचा तपशील खाली दिला आहे.

तक्ता ८२: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी भागभांडवलावरील परतावा

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|---|------------------------|-------------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| वर्षाच्या प्रारंभी नियामक भागभांडवल | ९१७.१५ | ९८१.९८ | १०४६.५३ | १११३.२६ |
| वर्षातील भांडवलीकरण | २३४.५९ | २३३.६४ | २४०.९१ | २४१.१९ |
| भांडवलीकरणाच्या वर्षात वापर केलेले ग्राहक योगदान आणि अनुदान | ९.८० | ९.८० | ९.८० | ९.८० |
| वर्षातील भांडवलीकरणाच्या भागभांडवलाचा हिस्सा | ६७.४४ | ६७.१५ | ६९.३३ | ६९.४२ |
| निवृत्ती / मालमत्तेच्या बदलामुळे भागभांडवलात घट | २.६० | २.६० | २.६० | २.६० |
| वर्षाच्या अखेरीस नियामक भागभांडवल | ९८१.९८ | १०४६.५३ | १११३.२६ | ११८०.०७ |
| भागभांडवल परताव्याची गणना | | | | |
| वर्षाच्या सुरवातीस नियामक मत्ता परतावा | १४३.९४ | १५४.१५ | १६४.३० | १७४.७८ |
| वर्षादरम्यान नियामक मत्तेतील वृद्धीवर परतावा | ५.१० | ५.०८ | ५.२४ | ५.२६ |

| | | | | |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|
| भागभांडवलावर एकूण परतावा | १४९.०४ | १५९.२२ | १६९.५४ | १८०.०४ |
|--------------------------|--------|--------|--------|--------|

७.१५ अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा

७.१५.१ बेस्टने अंतर्गत निधीवरील व्याज खालीलप्रमाणे सादर केले आहे.

तक्ता ८३: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा.

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| अंतर्गत निधीवर परतावा. | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ |

७.१६ वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न

७.१६.१ आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० या बहुवर्षीय वीजदर नियंत्रण कालावधीच्या वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्नाची गणना करताना बेस्टने आर्थिक वर्ष २०१४-१५ चे प्रत्यक्ष परिक्षित उत्पन्न गृहीत धरले आहे आणि आर्थिक वर्ष २०१४-१५ च्या प्रत्यक्ष घटकनिहाय उत्पन्नावर नाममात्र ५% वाढ गृहीत धरली आहे.

तक्ता ८४: आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|-------------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| एकूण वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ३०.५५ | ३१.८६ | ३३.२३ | ३४.६८ |

७.१७**परिवहन विभागाची तूट**

७.१७.१

बहुवर्षिय नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी परिवहन तूट ही परिवहन विभागाच्या महसूल आणि खर्चाशी निगडीत काही विशिष्ट घटकांवर जसे बसच्या भाड्यात सुधारणा, वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न, दैनंदिन वाहन वापर, प्रवर्तित किलोमीटर आणि आस्थापना खर्च, भांडवल गुंतवणूक, व्याज खर्चाच्या अनुमानावर आधारित आहे. नियंत्रण कालावधीसाठी अनुमानित भत्तावाढीचा परिणाम रु. ३२१.१६ कोटी एवढा गृहीत धरण्यात आला आहे आणि त्याचे चार वर्षांत विभाजन व एकूण महसूल आवश्यकतेत गणना करण्यात आली आहे.

७.१७.२

अनुमानित परिवहन तूटीबद्दल तपशील खालीलप्रमाणे देण्यात आला आहे.

तक्ता ८५ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० परिवहन विभागाची तूट

| क्र. | घटक | आगामी वर्ष | | | |
|------|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| १ | वर्षातील परिवहन तूट / (अधिक) | १०५६.४४ | १२४०.७९ | १३४९.७२ | १५८१.८८ |
| २ | वर्षातील भागभांडवलावरील परतावा आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा | १५४.३२ | १६४.५० | १७४.८२ | १८५.३१ |
| ३ | परिवहन विभाग तूट (निव्वळ भागभांडवलावरील परतावा आणि अंतर्गत निधीवरील व्याज | ९०२.१२ | १०७६.२९ | ११७४.९० | १३९६.५७ |

७.१७.३

तृतीय नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी बेस्टने वार्षिक महसूल आवश्यकता (एआरआर) आणि दर आखणीवेळेस परिवहन तूट गृहीत धरली नाही.

७.१८ आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या मागील महसूल तफावतीची वसूली

७.१८.१

बेस्टने याचिकेमध्ये आर्थिक वर्ष २०१३-१४, आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी समायोजन आणि आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी अंतरिम समायोजन सादर केले आहे. बहुवर्षिय नियंत्रण कालावधी आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० च्या वार्षिक महसूल आवश्यकता (एआरआर) मध्ये बेस्टने खाली दिलेल्या तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे महसूल तूट व कॅरिंग कॉस्ट गृहीत धरली आहे.

तक्ता ८६ : आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या महसूल तूटीची मागील वसुली.

| क्र. | तपशील | | दर | एकूण सुधारीत अंदाज | सुधारीत अंदाज वीज व्यवसाय | सुधारीत अंदाज परिवहन व्यवसाय |
|------|--|------------------------|--------|--------------------|---------------------------|------------------------------|
| १ | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ महसूल तफावत | | | १६८४.०१ | १०९१.२३ | ५९२.७८ |
| | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.५८% | १२२.७८७ | ७९.५६५ | ४३.२२ |
| | आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.७५% | २४८.३९२ | १६०.९५६ | ८७.४३६ |
| | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.४५% | २४३.३४० | १५७.६८३ | ८५.६५७ |
| | आर्थिक वर्ष २०१३-१४ साठी कॅरिंग कॉस्ट सहित महसुली तूट | ए | | २२९८.५३ | १४८९.४३ | ८०९.१० |
| २ | आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी महसुली तफावत | | | ६९६.२९ | २३७.२५ | ४५९.०४ |
| | आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.७५% | ५१.३५ | १७.५० | ३३.८५ |
| | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.४५% | १००.६१ | ३४.२८ | ६६.३३ |
| | आर्थिक वर्ष २०१४-१५ साठी कॅरिंग कॉस्ट सहित महसुली तूट | बी | | ८४८.२६ | २८९.०३ | ५५९.२३ |
| ३ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी महसुली तूट | | | १७३.८४ | ८५.९६ | ८७.८९ |
| | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी कॅरिंग कॉस्ट | | १४.४५% | १२.५६ | ६.२१ | ६.३५ |
| | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी कॅरिंग कॉस्ट सहित महसुली तूट | सी | | १८६.४० | ९२.१७ | ९४.२४ |
| ४ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत एकत्रीत महसुली तूट | डी= ए + बी + सी | | ३३३३.१९ | १८७०.६३ | १४६२.५६ |

तक्ता ८७ : आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या महसूली तूटीच्या मागील वसुलीचा सरासरी परिणाम.

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७- १८ | आर्थिक वर्ष २०१८- १९ | आर्थिक वर्ष २०१९- २० |
|---|---|------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| १ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वीज व्यवसाय महसूली तूट (रु. १८७०.३६ कोटी/४) | ४६७.६६ | ४६७.६६ | ४६७.६६ | ४६७.६६ |
| २ | कॅरिंग कॉस्ट साठी लागू असलेले व्याजदर | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| ३ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१६-१७ करिता कॅरिंग कॉस्ट | २५.२५ | | | |
| ४ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता कॅरिंग कॉस्ट | ५०.५१ | २५.२५ | | |
| ५ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता कॅरिंग कॉस्ट | ५०.५१ | ५०.५१ | २५.२५ | |
| ६ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१९-२० करिता कॅरिंग कॉस्ट | ५०.५१ | ५०.५१ | ५०.५१ | २५.२५ |
| ७= १+३+४+५ +६ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वसूल करावयाचा कॅरिंग कॉस्टसहित एकूण वीज व्यवसायाची महसूली तूट | ६४४.४३ | ५९३.९२ | ५४३.४२ | ४९२.९१ |
| ८ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत प्रत्यक्ष परिवहन व्यवसायाची तूट (मान्य केलेले परिवहन तूट प्रत्यक्ष निव्वळ भागभांडवलावरील परतावा आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा वळता कल्यावर) (रु. १४६२.५६ कोटी/४) | ३६५.६४ | ३६५.६४ | ३६५.६४ | ३६५.६४ |
| ९ | व्याजदर | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| १० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | १९.७४ | | | |
| ११ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | १९.७४ | | |
| १२ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | ३९.४९ | १९.७४ | |
| १३ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | ३९.४९ | ३९.४९ | १९.७४ |
| १४= ८+१०+११ +१२+१३ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वसूलीसाठी शिल्लक रकमेची कॅरिंग कॉस्टसहित एकूण परिवहन व्यवसायाची तूट | ५०३.८५ | ४६४.३६ | ४२४.८८ | ३८५.३९ |

तक्ता ८८ : आर्थिक वर्ष २०१३-१४ ते आर्थिक वर्ष २०१५-१६ साठी महसूल तफावतीतील मागील वसुलीचा सरासरी परिणाम.

| तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|-----------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| प्रारंभिक शिल्लक (रु. कोटी) | ३३३३.१९ | २४९९.९० | १६६६.६० | ८३३.३० |
| वसुली (रु. कोटी) | ८३३.३० | ८३३.३० | ८३३.३० | ८३३.३० |

| | | | | |
|-------------------------------|----------|---------|---------|---------|
| अंतिम शिल्लक (रु. कोटी) | २४९९.९० | १६६६.६० | ८३३.३० | ०.०० |
| सरासरी शिल्लक (रु. कोटी) | २९.१६.५४ | २०८३.२५ | १२४९.९५ | ४१६.६५ |
| व्याजदर (%) | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| कॅरिंग कॉस्ट (रु. कोटी) | ३१४.९९ | २२४.९९ | १३४.९९ | ४५.०० |
| एकूण वसूली (रु. कोटी) | ११४८.२९ | १०५८.२९ | ९६८.२९ | ८७८.३० |
| पुरवठा | ६४४.४३ | ५९३.९२ | ५४३.४२ | ४९२.९१ |
| परिवहन | ५०३.८५ | ४६४.३६ | ४२४.८८ | ३८५.३९ |
| विक्री (एमयू) | ४६२५.३५ | ४६९५.५१ | ४७७२.६६ | ४८४७.४६ |
| सरासरी खर्च (रु./केडब्ल्यूएच) | २.४८ | २.२५ | २.०३ | १.८१ |

७.१९ आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी एकूण महसूली आवश्यकतेचा सारांश

७.१९.१ बहुवर्षीय वीजदर नियंत्रण कालावधीतील आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी प्रस्तावित एकूण महसूल आवश्यकता खालील तक्त्यात दिल्याप्रमाणे आहे.

तक्ता ८९ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश.

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| उर्जा खरेदी खर्च (स्टॅंडबायशुल्का सहित) | २३७४.४१ | २४७०.५६ | २४५५.४० | २५१३.६९ |
| संचालन व देखभाल खर्च | ६३७.१८ | ७१९.२८ | ८१२.४६ | ९१८.२९ |
| घसारा | ११०.५० | १२१.१५ | १३१.७७ | १४२.७३ |
| भांडवल कर्जावरील व्याज | १०.१६ | १५.१८ | १९.३० | २२.५४ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | २.९८ | ४.०५ | ४.८१ | ६.१६ |
| ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ३९.९० | ४१.०९ | ४२.३३ | ४३.६० |
| बुडीत आणि वसूलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ | ७.२४ |
| आकस्मिक निधीसाठी योगदान | ५.८५ | ६.४१ | ६.९७ | ७.५६ |
| आंतरराज्य पारेषण आकार | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि आकार | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ |
| आयकर | | | | |
| इतर खर्च | १२४.३७ | १२८.१० | १३१.९५ | १३५.९१ |
| वीज शुल्क व महाराष्ट्र कर देणी | | | | |
| एकूण महसूल खर्च | ३५११.४४ | ३७११.९१ | ३८११.०७ | ३९९६.५५ |
| अधिक : भागभांडवलावरील परतावा | १४९.०४ | १५९.२२ | १६९.५४ | १८०.०४ |

| | | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| अधिक : अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ | ५.२८ |
| एकूण महसूल आवश्यकता | ३६६५.७६ | ३८७६.४९ | ३९८.८९ | ४९८९.८६ |
| वजा : वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | ३०.५५ | ३९.८६ | ३३.२३ | ३४.६८ |
| वायर आणि किरकोळ पुरवठ्यापासून एकूण महसूल आवश्यकता | ३६३५.२१ | ३८४४.५५ | ३९५२.६६ | ४९४७.९८ |
| ढोबळ एकूण महसूल आवश्यकता | ३६३५.२१ | ३८४४.५५ | ३९५२.६६ | ४९४७.९८ |
| अधिक : परिवहन तूट | | | | |
| परिवहन तूटसहित वितरण वायर आणि पुरवठा एकूण महसूल आवश्यकता | ३६३५.२१ | ३८४४.५५ | ३९५२.६६ | ४९४७.९८ |
| अधिक : तिसऱ्या नियंत्रित कालावधीत वसूल केला जाणारा आ. व. २०१३-१४ ते आ.व.२०१५-१६ मागील महसूल तूट वसूली | ६४४.४३ | ५९३.९२ | ५४३.४२ | ४९२.९९ |
| परिवहन तूट आणि कॅरिंग कॉस्टसहित आ.व. २०१५-१६ पर्यंत मागील महसूल तूट धरून एकूण महसूल आवश्यकता | ४२७९.६४ | ४४३८.४७ | ४४९६.०८ | ४६४०.९० |
| वजा : प्रचलित वीजदरापासून महसूल | ५२९०.९९ | ५३६७.७९ | ५४५२.९९ | ५५३५.५७ |
| | | | | |
| महसूल तूट / अधिक | (१०१०.४७) | (९२९.२४) | (९५६.८४) | (८९५.४७) |

तक्ता ९० : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी तार वितरण व्यवसायासाठी एकूण आवश्यक महसूल (मागील वसूली वगळून)

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|---|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| संचालन व देखभाल खर्च | ४१४.१७ | ४६७.५३ | ५२८.१९ | ५९६.८९ |
| घसारा | ९५.९० | १०५.१६ | ११४.३८ | १२३.८७ |
| भांडवल कर्जावरील व्याज | ९.७३ | १४.०३ | १७.७९ | २०.६२ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | ०.३० | ०.४० | ०.४८ | ०.६२ |
| ग्राहक आणि वितरण प्रणाली उपभोक्त्यांच्या ठेवीवरील व्याज | ३.९९ | ४.१९ | ४.२३ | ४.३६ |
| बुडीत आणि वसूलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद | ०.७२ | ०.७२ | ०.७२ | ०.७२ |
| आकस्मिक निधीसाठी योगदान | ५.२५ | ५.७५ | ६.२५ | ६.७७ |
| आयकर | - | - | - | - |

| | | | | |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| एकूण महसूली खर्च | ५३०.०६ | ५९७.७१ | ६७१.८७ | ७५३.८५ |
| अधिक : भागभांडवलावरील परतावा | १३२.७७ | १४१.६१ | १५०.६७ | १५९.८९ |
| अधिक : अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा | ४.७५ | ४.७५ | ४.७५ | ४.७५ |
| अधिक : तार उपलब्धतेसाठी प्रोत्साहन | - | - | - | - |
| अधिक : वितरण तूटीत घट प्राप्त केल्याने प्रोत्साहन | - | - | - | - |
| एकूण महसूल खर्च | ६६७.५८ | ७४४.०७ | ८२७.३० | ९१८.४९ |
| वजा : वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | १.५५ | १.६८ | १.८२ | १.९६ |
| वजा : इतर व्यवसायापासून उत्पन्न | | | | |
| तार वितरणासाठी एकूण महसूल आवश्यकता | ६६६.०३ | ७४२.३९ | ८२५.४८ | ९१६.५३ |
| अधिक : परिवहन तूट | | | | |
| परिवहन तूटसहित वितरण वायरसाठी एकूण महसूल आवश्यकता | ६६६.०३ | ७४२.३९ | ८२५.४८ | ९१६.५३ |

तक्ता ९१ : आर्थिक वर्ष २०१६-१७ ते आर्थिक वर्ष २०१९-२० साठी किरकोळ पुरवठा व्यवसायाकरिता एकूण महसूल आवश्यकतेचा सारांश (मागील वसूली वगळता).

| तपशील | आगामी वर्ष | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
| | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित | अनुमानित |
| उर्जा खरेदी खर्च (स्टॅंडबायशुल्का सहित) | २,३७४.४१ | २,४७०.५६ | २,४५५.४० | २,५१३.६९ |
| प्रवर्तन व देखभाल खर्च | २२३.०१ | २५१.७४ | २८४.३६ | ३२१.३९ |
| घसारा | १४.६० | १५.९९ | १७.३९ | १८.८६ |
| भांडवल कर्जावरील व्याज | ०.४३ | १.१४ | १.५९ | १.९१ |
| खेळत्या भांडवलावरील व्याज | २.६८ | ३.६४ | ४.३३ | ५.५५ |
| ग्राहक सुरक्षा ठेवीवरील व्याज | ३५.९१ | ३६.९८ | ३८.०९ | ३९.२४ |
| बुडीत आणि वसूलीची अनिश्चितता असलेल्या कर्जाची तरतूद | ६.५२ | ६.५२ | ६.५२ | ६.५२ |
| आकस्मिक निधीसाठी योगदान | ०.५९ | ०.६६ | ०.७३ | ०.७९ |

| | | | | |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| आंतरराज्य पारिषण आकार | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० | १९८.०० |
| एमएसएलडीसी शुल्क आणि आकार | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ | ०.८५ |
| आयकर | - | - | - | - |
| इतर खर्च | १२४.३७ | १२८.१० | १३१.९५ | १३५.९१ |
| वीज शुल्क व महाराष्ट्र कर देणी | - | - | - | - |
| एकूण महसूल खर्च | २,९८१.३८ | ३,११४.२० | ३,१३९.२० | ३,२४२.७० |
| अधिक : भागभांडवलावरील परतावा | १६.२७ | १७.६१ | १८.८७ | २०.१५ |
| अधिक : अंतर्गत निधीवरील व्याज परतावा | ०.५३ | ०.५३ | ०.५३ | ०.५३ |
| अधिक : वायर उपलब्धतेकरीता प्रोत्साहन | | | | |
| एकूण महसूल आवश्यकता | २,९९८.१८ | ३,१३२.३४ | ३,१५८.५९ | ३,२६३.३७ |
| वजा : वीजदराव्यतिरिक्त उत्पन्न | २९.०० | ३०.१८ | ३१.४१ | ३२.७२ |
| किरकोळ पुरवठ्यापासून एकूण महसूल आवश्यकता | २,९६९.१८ | ३,१०२.१६ | ३,१२७.१८ | ३,२३०.६५ |

८. वीजदर तत्त्व

८.१ आ.व. २०१५-१६ च्या अंतिम अंदाजित एकत्रित महसूल तफावत

८.१.१ कॅरीग कॉस्टसहित आ.व. २०१५-१६ अंतिम अंदाजित संकलीत महसूल तफावत

तक्ता ९२ : आर्थिक वर्ष २०१५-१६ अंती एकत्रित महसूल तूट

| क्र. | तपशील | | दर | एकूण सुधारीत अंदाजित | वीज व्यवसाय सुधारीत अंदाज | परिवहन व्यवसाय सुधारीत अंदाज |
|------|--|---|--------|----------------------|---------------------------|------------------------------|
| १ | आ.व. २०१३-१४ ची महसूली तफावत | | | १६८४.०१ | १०९१.२३ | ५९२.७८ |
| | आ.व. २०१३-१४ करिता कॅरीग कॉस्ट | | १४.५८% | १२२.७८७ | ७९.५६५ | ४३.२२२ |
| | आ.व. २०१४-१५ करिता कॅरीग कॉस्ट | | १४.७५% | २४८.३९२ | १६०.९५६ | ८७.४३६ |
| | आ.व. २०१५-१६ करिता कॅरीग कॉस्ट | | १४.४५% | २४३.३४० | १५७.६८३ | ८५.६५७ |
| | कॅरीग कॉस्टसहित आ.व. २०१३-१४ ची महसूली तूट | a | | २,२९८.५३ | १,४८९.४३ | ८०९.१० |
| २ | आ.व. २०१४-१५ ची महसूली तफावत | | | ६९६.२९ | २३७.२५ | ४५९.०४ |
| | आ.व. २०१४-१५ करिता कॅरीग | | १४.७५% | ५१.३५ | १७.५० | ३३.८५ |

| | | | | | | |
|---|---|-----------|--------|---------|---------|---------|
| | कॉस्ट | | | | | |
| | आ.व.२०१५-१६ करिता कॅरीग कॉस्ट | | १४.४५% | १००.६१ | ३४.२८ | ६६.३३ |
| | कॅरीग कॉस्टसहित आ.व.२०१४-१५ ची महसूली तूट | b | | ८४८.२६ | २८९.०३ | ५५९.२३ |
| ३ | आ.व.२०१५-१६ ची महसूली तफावत | | | १७३.८४ | ८५.९६ | ८७.८९ |
| | आ.व.२०१५-१६ करिता कॅरीग कॉस्ट | | १४.४५% | १२.५६ | ६.२१ | ६.३५ |
| | कॅरीग कॉस्टसहित आ.व.२०१५-१६ ची महसूली तूट | C | | १८६.४० | ९२.१७ | ९४.२४ |
| ४ | आ.व.२०१५-१६ पर्यंत संकलीत महसूली तूट | d = a+b+c | | ३३३३.१९ | १८७०.६३ | १४६२.५६ |

८.१.२ बेस्ट नमूद करते की, हा फरक बहुवर्षिय वीजदर कालावधीच्या दरम्यान वीजेच्या कमी विक्रीमुळे आणि वार्षिक समायोजनेत नमूद केल्याप्रमाणे परिवहन तूटीला मंजूरी मिळण्यात झालेल्या विलंबामुळे आहे.

८.१.३ वर नमूद केलेल्या महसूलातील फरकाच्या आधारावर वार्षिक महसूलातील भरुन काढावयाचा फरक खालीलप्रमाणे आहे.

तक्ता ९३ : बहुवर्षिय वीजदर नियंत्रण कालावधीच्या वर्षातील महसूली तूटी

| क्र. | तपशील | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० |
|------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| १ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वीज व्यवसाय महसूली तूट (रु. १८७०.३६ कोटी/४) | ४६७.६६ | ४६७.६६ | ४६७.६६ | ४६७.६६ |
| २ | कॅरीग कॉस्ट साठी लागू असलेले व्याजदर | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| ३ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१६-१७ करिता कॅरीग कॉस्ट | २५.२५ | | | |
| ४ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१७-१८ करिता कॅरीग कॉस्ट | ५०.५१ | २५.२५ | | |
| ५ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष २०१८-१९ करिता कॅरीग कॉस्ट | ५०.५१ | ५०.५१ | २५.२५ | |
| ६ | वसूल केलेल्या रकमेची आर्थिक वर्ष | ५०.५१ | ५०.५१ | ५०.५१ | २५.२५ |

| | | | | | |
|-----|---|--------|--------|--------|--------|
| | २०१९-२० करिता कॅरिंग कॉस्ट | | | | |
| ७= | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वसूल करावयाचा कॅरिंग कॉस्टसहित एकूण वीज व्यवसायाची महसूली तूट | ६४४.४३ | ५९३.९२ | ५४३.४२ | ४९२.९१ |
| ८ | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत प्रत्यक्ष परिवहन व्यवसायाची तूट (मान्य केलेले परिवहन तूट प्रत्यक्ष निव्वळ भागभांडवलावरील परतावा आणि अंतर्गत निधीवरील परतावा वळता केल्यानंतर) (रु.१४६२.५६ कोटी/४) | ३६५.६४ | ३६५.६४ | ३६५.६४ | ३६५.६४ |
| ९ | व्याजदर | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% | १०.८०% |
| १० | आर्थिक वर्ष २०१६-१७ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | १९.७४ | | | |
| ११ | आर्थिक वर्ष २०१७-१८ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | १९.७४ | | |
| १२ | आर्थिक वर्ष २०१८-१९ दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | ३९.४९ | १९.७४ | |
| १३ | आर्थिक वर्ष २०१९-२० दरम्यान वसूल केलेल्या रकमेची कॅरिंग कॉस्ट | ३९.४९ | ३९.४९ | ३९.४९ | १९.७४ |
| १४= | आर्थिक वर्ष २०१५-१६ पर्यंत वसूल करावयाच्या रकमेची कॅरिंग कॉस्टसहित एकूण परिवहन व्यवसायाची तूट | ५०३.८५ | ४६४.३६ | ४२४.८८ | ३८५.३९ |

८.१.४. तथापि या याचिकेच्या कलम १.३ मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे, मा. आयोग (२०१२ चे प्रकरण क्र. ८० बाबत दि. २०.०४.१६ चा आदेश) मा. अपिलिय प्राधिकरण आणि मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध आदेशानुसार आर्थिक वर्ष २०१५-१६ च्या नंतर प.वि.तू.आकार आकारण्याबात संदिग्धता असल्यामुळे बेस्टने तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीत कोणत्याही प्रकारच्या परिवहन तूटीचा दावा केलेला नाही.

८.१.५ तथापि, बेस्ट याचा पूनरुच्चार करते कि मा. सर्वोच्च न्यायालयाकडे त्यांची २०१४ ची दिवाणी याचिका क्र. १०४८८ प्रलंबित आहे व भविष्यात त्याचा निकाल लागल्यानंतर मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार परिवहन तूट (उदा.प.वि.तू.व.आकार) बाबतीत बेस्टच्या दाव्यात फेरबदल करण्याचा हक्क बेस्टकडे अबाधित असेल.

८.१.६ तसेच, जरी बेस्टने तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीसाठी कोणत्याही प्रकारचा परिवहन तूटीचा दावा केला नसला तरी, रु ३६७.३५ कोटी एवढा परिवहन तूट वसूल करणे बाकी आहे. (कॅरिंग कॉस्ट वगळता

मान्यता प्राप्त दर). सध्याचे चालू वीज दर नियंत्रण कालावधीच्या पुढच्या काही महीन्यासाठी लागू राहणार असल्यामुळे ही वसुली होण्याची शक्यता आहे.

- ८.१.७ तिसऱ्या नियंत्रण कालावधी दरम्यान मान्यता दिलेल्या आणि वसूल झालेल्या परिवहन तूटीत फरक आढळल्यास मध्यवर्ती पुनर्विलोकन याचिके दरम्यान समायोजन केले जाईल.
- ८.१.८ तसेच वीज पुरवठा व्यवसायाच्या रू.१८७०.६३ कोटी महसूलाच्या तूटी (फरक) सोबत बेस्ट तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीत प्रवेश करत आहे. तसेच बेस्ट सादर करते. हा तूटीतील मोठा फरक तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीत आकारणे (प्राप्त करणे) बेस्टच्या वतीने संमजसपणाचे नसेल (धोरणी पाउल नसेल) व तसेच बेस्ट सादर करते की, रू. ८५७.०६ कोटी ही तिसऱ्या नियंत्रण कालावधीच्या शेवटी निव्वळ महसूली तूट ही चौथ्या नियंत्रण कालावधीच्या दरम्यान भरून काढण्यात येईल.
- ८.१.९ बेस्ट सादर करते की मा. आयोगाचे २०१४ चे प्रकरण क्र.९० मध्ये दिलेल्या दि. १४ ऑगस्ट २०१४ च्या आदेशानुसार मेसर्स टाटा पॉवर कंपनीला वितरण पुढील २५ वर्षासाठी बेस्टच्या वीज पुरवठा क्षेत्रात वीज वितरण करण्याचा परवाना दिला आहे. स्पर्धा विचार करता बेस्टने प्रवर्गाप्रमाणे प्रस्तावित वीजदर हे सार्वजनिक क्षेत्रातील स्पर्धात्मक चालू असलेल्या वीजदराच्या पातळीवर ठेवण्याचे प्रयत्न केले आहे. जर मान्यता वार्षिक महसूली आवश्यकता प्रस्तावित (सादर) वार्षिक महसूली आवश्यकते पेक्षा भिन्न असल्यास बेस्ट मा. आयोगाला विनंती करते की, प्रवर्गाप्रमाणे वीजदर निश्चित करताना अशा सरळ स्वरूपात निश्चित करावी की ते स्वर्धात्मक प्रवर्गाच्या वीजदराच्या समान पातळीचे असावेत जेणेकरुण उच्च मूल्य प्रदान करणाऱ्या ग्राहकाची प्रत निवड (Cherry Picking) करता येणार नाही.
- ८.१.१० वीज व्यवसायाच्या सदर प्रस्तावित दरानुसार मागिल वसूली आणि कॅरिंग कॉस्ट गृहीत धरून बेस्टने वर्षा दरवर्षाच्या महसूल वसूलीचे अनुमान लावले आहे.

तक्ता ९४: वीज व्यवसायाच्या एकुण महसूली आवश्यकतेच्या वसूली करिता प्रस्तावित वीजदर

| | आ.व.२०१६-१७ | आ.व.२०१७-१८ | आ.व.२०१८-१९ | आ.व.२०१९-२० |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| वीज व्यवसाय | | | | |
| आर्थिक वर्षासाठी निव्वळ वीजव्यवसायासाठी एकुण महसूली आवश्यकता | ३,६३५.२१ | ३,८४४.५५ | ३,९५२.६६ | ४,१४७.१८ |
| आ.व. २०१५-१६ पर्यंत वसूली योग्य कॅरिंग कॉस्टसह वीज व्यवसायाची एकुण तूट | ६४४.४३ | ५९३.९२ | ५४३.४२ | ४९२.९१ |
| अधिक: कॅरिंग कॉस्टसह मागील वर्षाची महसूली तफावत @१०.८% | - | ४१२.८२ | ७९३.६५ | ९६२.८४ |
| वीजव्यवसायासाठी एकुण महसूली आवश्यकता | ४,२७९.६४ | ४,८५१.२९ | ५,२८९.७२ | ५,६०२.९४ |
| प्रस्तावित वीजदरानुसार वीज आकारापासुन प्राप्त महसूल | ३,५८०.२७ | ३,८०६.५५ | ४,०९०.६० | ४,४१४.०५ |
| प्रस्तावित वीजदरानुसार स्थिर आकारापासुन प्राप्त महसूल | ३२६.७९ | ३२८.४५ | ३३०.१३ | ३३१.८३ |
| वीज व्यवसायाच्या ठरलेल्या दरापासुन | ३,९०७.०६ | ४,१३५.०० | ४,४२०.७३ | ४,७४५.८८ |

| | | | | |
|---|----------|----------|----------|----------|
| प्राप्त निव्वळ महसूल | | | | |
| पुढील वर्षात लागू करण्यासाठी एकुण महसूली शिल्लक / (तूट) | (३७२.५८) | (७१६.२९) | (८६८.९९) | (८५७.०६) |

८.१.११ वीज व्यवसायासाठी वर्षादर वर्षावर आधारीत सरासरी बिलिंग दर(ABR) आणि वर्षा दर वर्षाचा प्रस्तावित वीजदरातील वाढ खालील तक्त्यात दर्शवली आहे.

तक्ता ९५ : परिवहन आणि वीज व्यवसाया करिता प्रस्तावित वीजदर वाढ

| | सरासरी विद्युत दर रु. / युनिट | प्रस्तावित प.वि.तु.व आकार रु. / युनिट | एकुण सरासरी रु. / युनिट | पुरवट्याचा सरासरी खर्च रु. / युनिट | प.वि.तु.व आकार वाढ/तूट% | वीजदरवाढ /(घट) % |
|--------------|----------------------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| आ.व. २०१६-१७ | ८.४५ | ०.०० | ८.४५ | ८.४५ | (१००.०)% | (२६.१)% |
| आ.व. २०१७-१८ | ८.८१ | ०.०० | ८.८१ | ८.८१ | ०.००% | ४.३% |
| आ.व. २०१८-१९ | ९.२६ | ०.०० | ९.२६ | ९.२६ | ०.००% | ५.२% |
| आ.व. २०१९-२० | ९.७९ | ०.०० | ९.७९ | ९.७९ | ०.००% | ५.७% |

८.१.१२ तसेच मा. आयोगाच्या २०११ च्या प्रकरण क्र. १७१ च्या आदेशानुसार स्थिर आकार हा यापूर्वी आ.व. २०११-१२ या वर्षात वाढविण्यात आला होता. त्याच आदेशामध्ये आयोगाने स्थिर आकार मंदगतीने वाढविण्याची गरज मान्य केली. बेस्टने स्थिर आकार व मागणी आकार ज्यामध्ये आ.व. २०११-१२ च्या वीजदर आदेशापासून वाढ झालेली नाही आणि त्याच्या स्थिर खर्चाच्या तुलनेत स्थिर व मागणी आकाराचे प्राप्ती करण कमी असल्याने, ते वाढविण्याची मागणी केली आहे. म्हणूनच खाली प्रदान वीजदर नियोजनामध्ये स्थिर व मागणी आकारात किंचित वाढ करण्याचे प्रस्तावित केले आहे.

८.१.१३ या तत्वावर आधारित प्रवर्गाप्रमाणे दर खालील प्रमाणे असतील.

८.१.१४:आ.व.२०१६-१७ करिता प्रस्तावित वीजदर

| | ग्राहकांची संख्या | मान्यताप्राप्त वीजदर | | | | | प्रस्तावित वीजदर | | | | |
|---|-------------------|--|--------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------|
| | | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./ जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए/ महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यू एच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | इंधन समायोजन आकार (रु./युनिट) | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./ जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए / महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | % वीजदरात वाढ |
| एचटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| एचटी -I औद्योगिक | ४४ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.५९ | १.१३ | ०.०० | २५०.०० | ८.८५ | ०.०० | -२४.५% |
| एचटी -II वाणिज्य | १०२ | ०.०० | २००.०० | ९.७० | १.७१ | १.१९ | ०.०० | २५०.०० | ८.८५ | ०.०० | -२९.८% |
| एचटी -III निवासी संकुल | १३ | ०.०० | २००.०० | ६.६५ | ०.९१ | ०.६६ | ०.०० | २५०.०० | ८.४० | ०.०० | २.२% |
| एचटी -IV तात्पुरता | ४ | २५०.०० | ०.०० | १२.०० | २.३३ | १.६८ | ३००.०० | ०.०० | १२.५९ | ०.०० | -२१.४% |
| एचटी V (ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १७ | ०.०० | २००.०० | ८.८० | १.५१ | १.१७ | ०.०० | २५०.०० | ८.४९ | ०.०० | -२६.०% |
| एकूण एचटी प्रवर्ग | १८० | | | | | | | | | | |
| एलटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| बिपीएल एलटी-I | १६० | ३.०० | ०.०० | १.०० | ०.१२ | ०.०९ | ३.०० | ०.०० | १.२९ | ०.०० | ६.६% |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|-------|--------|-------|------|--------|--|
| निवासी | | | | | | | | | | | | |
| ०-१०० | ३१८१२१ | ४०.०० | ०.०० | ३.०० | ०.५५ | ०.३८ | ५०.०० | ०.०० | ३.३८ | ०.०० | -१४.०% | |
| १०१-३०० | ३५४२०३ | ७५.०० | ०.०० | ६.४० | १.०३ | ०.७३ | १०० | ०.०३ | ६.४९ | ०.०० | -२०.५% | |
| ३०१-५०० | ५१३७६ | ७५.०० | ०.०० | ८.८० | १.४४ | १.०५ | १००.० | ०.०० | ८.९६ | ०.०० | -२०.६% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| >५०१ | २९७९३ | १००.०० | ०.०० | १०.८० | १.८५ | १.३४ | १२५.० | ०.०० | १०.९३ | ०.०० | -२१.९% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| एलटी-II (ए) वाणिज्य | | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | २२८९९९ | २५०.०० | ०.०० | ८.४५ | १.४८ | १.१० | ३००.० | ०.०० | ८.८५ | ०.०० | -१९.८% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| >५०० | ३१६३५ | २५०.०० | ०.०० | १०.९५ | २.२० | २.५० | ३००.० | ०.०० | ८.८५ | ०.०० | -४३.५% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| एलटी-II (बी) वाणिज्य | ५९०९ | ०.०० | २००.०० | १०.३० | २.१५ | १.५८ | ०.०० | २५०.०० | ७.१३ | ०.०० | -४९.२% | |
| एलटी- II (सी) वाणिज्य | २६९१ | ०.०० | २००.०० | १०.७० | २.१८ | १.६१ | ०.०० | २५०.०० | ८.८४ | ०.०० | -३९.०% | |
| एलटी-३ औद्योगिक | | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | ५८१३ | ३२५.०० | ०.०० | ७.०० | १.४० | १.०४ | ३५०.० | ०.०० | ८.०७ | ०.०० | -१४.५% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| >५०० | १९९७ | ४२५.०० | ०.०० | ९.३० | १.९६ | २.१६ | ४५०.० | ०.०० | ८.०७ | ०.०० | -३९.५% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |
| एलटी-IV (ए) औद्योगिक | ११२० | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७५ | १.२८ | ०.०० | २५०.०० | ७.८४ | ०.०० | -३४.३% | |
| एलटी-IV (बी) औद्योगिक | ११६ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७२ | १.२४ | ०.०० | २५०.०० | ८.५५ | ०.०० | -२७.९% | |
| एलटी- V जाहिराती आणि सुचना | ९०८ | ४००.०० | ०.०० | १५.०० | ३.१६ | २.२९ | ४५०.० | ०.०० | १५.८५ | ०.०० | -२२.५% | |
| | | | | | | | ० | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|------|------|------------|--------|-------|------|--------|
| फलक | | | | | | | | | | | |
| एलटी-VI मार्गप्रकाश | ७४१ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.५२ | १.१२ | ०.०० | २५०.०० | ८.०२ | ०.०० | -३०.५% |
| एलटी-VII (ए)धार्मिक -प्रयोजन तात्पुरता | ५ | २००.०० | ०.०० | ४.९० | ०.८७ | ०.७२ | २५०.० ० | ०.०० | ५.६२ | ०.०० | -१३.४% |
| एलटी VII (बी) इतर - तात्पुरता | १६०७ | ४००.०० | ०.०० | १२.५० | २.५३ | १.८९ | ४५०.० ० | ०.०० | १४.३९ | ०.०० | -१५.०% |
| एलटी-VIII दहनभूमी | ३० | २००.०० | ०.०० | ५.१० | ०.८३ | ०.५५ | २५०.० ० | ०.०० | ५.६५ | ०.०० | -१२.८% |
| एलटी- IX(ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | २२१५ | २५०.०० | ०.०० | ९.०० | १.८३ | १.५१ | ३००.० ० | ०.०० | ८.२१ | ०.०० | -३३.५% |
| एलटी- IX(बी) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | ५५७ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.८३ | १.४२ | ०.०० | २५०.०० | ८.५३ | ०.०० | -३०.४% |

८.१.१५ आ.व.२०१७-१८ साठी प्रस्तावित वीजदर

| | ग्राहकांची संख्या | मान्यताप्राप्त वीजदर | | | | | प्रस्तावित वीजदर | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रू./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रू.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रू./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रू./केडब्ल्यूएच) | इंधन समायोजन आकार (रू./युनिट) | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रू./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रू.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रू./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रू./केडब्ल्यूएच) | % वीजदरात वाढ |
| एचटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| एचटी -I औद्योगिक | ४४ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.५९ | १.१३ | ०.०० | २५०.०० | ९.२५ | ०.०० | ४.५% |
| एचटी -II वाणिज्य | १०२ | ०.०० | २००.०० | ९.७० | १.७१ | १.१९ | ०.०० | २५०.०० | ९.२५ | ०.०० | ४.५% |
| एचटी -III निवासी संकुल | १३ | ०.०० | २००.०० | ६.६५ | ०.९१ | ०.६६ | ०.०० | २५०.०० | ८.७८ | ०.०० | ४.५% |
| एचटी IV तात्पुरता | ४ | २५०.०० | ०.०० | १२.०० | २.३३ | १.६८ | ३००.०० | ०.०० | १३.१६ | ०.०० | ४.५% |
| एचटी - V (ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १७ | ०.०० | २०० | ८.८० | १.५१ | १.१७ | ०.०० | २५०.०० | ८.८७ | ०.०० | ४.५% |
| एकुण एचटी प्रवर्ग | १८० | | | | | | | | | | |
| एलटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| बिपीएल | १६० | ३.०० | ०.०० | १.०० | ०.१२ | ०.०९ | ३.०० | ०.०० | १.३५ | ०.०० | ४.७% |
| एलटी- I निवासी | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|
| ०-१०० | ३२१३०२ | ४०.०० | ०.०० | ३.०० | ०.५५ | ०.३८ | ५०.०० | ०.०० | ३.५७ | ०.०० | ५.६% |
| १०१-३०० | ३३७७४५ | ७५.०० | ०.०० | ६.४० | १.०३ | ०.७३ | १००.०० | ०.०० | ६.८१ | ०.०० | ४.९% |
| ३०१-५०० | ५१८९० | ७५.०० | ०.०० | ८.८० | १.४४ | १.०५ | १००.०० | ०.०० | ९.४१ | ०.०० | ५.०% |
| >५०१ | ३००९१ | १००.०० | ०.०० | १०.८० | १.८५ | १.३४ | १२५.०० | ०.०० | ११.४८ | ०.०० | ५.०% |
| एलटी-II(ए) वाणिज्य | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | २३१२८९ | २५०.०० | ०.०० | ८.४५ | १.४८ | १.१० | ३००.०० | ०.०० | ९.२५ | ०.०० | ४.५% |
| >५०० | ३१९५१ | २५०.०० | ०.०० | १०९५ | २.२० | २.५० | ३००.०० | ०.०० | ९.२५ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-II(बी) वाणिज्य | ५९०९ | ०.०० | २००.०० | १०.३० | २.१५ | १.५८ | ०.०० | २५०.०० | ७.४५ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-II(सी) वाणिज्य | २६९१ | ०.०० | २००.०० | १०.७० | २.१८ | १.६१ | ०.०० | २५०.०० | ९.२४ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-३ औद्योगिक | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | ५८१३ | ३२५.०० | ०.०० | ७.०० | १.४० | १.०४ | ३५०.०० | ०.०० | ८.५१ | ०.०० | ५.५% |
| >५०० | १९९७ | ४२५.० | ०.०० | ९.३० | १.९६ | २.१६ | ४५०.०० | ०.०० | ८.५१ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-IV (ए) औद्योगिक | ११२० | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७५ | १.२८ | ०.०० | २५०.०० | ८.१९ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-IV (बी) औद्योगिक | ११६ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७२ | १.२४ | ०.०० | २५०.०० | ८.९३ | ०.०० | ४.४% |
| एलटी-V जाहिराती आणि सुचना फलक | ९०८ | ४००.०० | ०.०० | १५.०० | ३.१६ | २.२९ | ४५०.०० | ०.०० | ८.३८ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-VI मार्गप्रकाश | ७४१ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.५२ | १.१२ | ०.०० | २५०.०० | ८.३८ | ०.०० | ४.५% |
| एलटी-VII (ए)धार्मिक - | ५ | २००.०० | ०.०० | ४.९० | ०.८७ | ०.७२ | २५०.०० | ०.०० | ५.८७ | ०.०० | ४.४% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|--|
| प्रयोजन तात्पुरता | | | | | | | | | | | | |
| एलटी- VII(बी) इतर - तात्पुरता | १६०७ | ४००.०० | ०.०० | १२.५० | २.५३ | १.८९ | ४५०.०० | ०.०० | १५.०४ | ०.०० | ४.५% | |
| एलटी-VIII दहनभूमी | ३० | २००.०० | ०.०० | ५.१० | ०.८३ | ०.५५ | २५०.०० | ०.०० | ५.९० | ०.०० | ४.४% | |
| एलटी-IX(ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | २२१५ | २५०.०० | ०.०० | ९.०० | १.८३ | १.५१ | ३००.०० | ०.०० | ८.५८ | ०.०० | ४.५% | |
| एलटी- IX(बी) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | ५५७ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.८३ | १.४२ | ०.०० | २५०.०० | ८.९१ | ०.०० | ४.५% | |

८.१.१६: आ.व. २०१८-१९ साठी प्रस्तावित वीजदर

| | ग्राहकांची संख्या | मान्यताप्राप्त वीजदर | | | | | प्रस्तावित वीजदर | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | इंधन समायोजन आकार (रु./युनिट) | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | % वीजदरात वाढ |
| एचटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| एचटी -I औद्योगिक | ४४ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.५९ | १.१३ | ०.०० | २५०.०० | ९.७६ | ०.०० | ५.५% |
| एचटी -II वाणिज्य | १०२ | ०.०० | २००.०० | ९.७० | १.७१ | १.१९ | ०.०० | २५०.०० | ९.७६ | ०.०० | ५.५% |
| एचटी -III निवासी संकुल | १३ | ०.०० | २००.०० | ६.६५ | ०.९१ | ०.६६ | ०.०० | २५०.०० | ७.२६ | ०.०० | ५.५% |
| एचटी IV तात्पुरता | ४ | २५०.०० | ०.०० | १२.०० | २.३३ | १.६८ | ३००.०० | ०.०० | १३.८८ | ०.०० | ५.५% |
| एचटी - V (ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १७ | ०.०० | २०० | ८.८० | १.५१ | १.१७ | ०.०० | २५०.०० | ९.३६ | ०.०० | ५.५% |
| एकुण एचटी प्रवर्ग | १८० | | | | | | | | | | |
| एलटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| बिपीएल | १६० | ३.००.० | ०.०० | १.०० | ०.१२ | ०.०९ | ३.०० | ०.०० | १.४२ | ०.०० | ५.२% |
| एलटी- I निवासी | | | | | | | | | | | |
| ०-१०० | ३२४५१५ | ४०.०० | ०.०० | ३.०० | ०.५५ | ०.३८ | ५०.०० | ०.०० | ३.८० | ०.०० | ६.४% |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|
| १०१-३०० | ३६१३२२ | ७५.०० | ०.०० | ६.४० | १.०३ | ०.७३ | १००.०० | ०.०० | ७.२२ | ०.०० | ६.०% |
| ३०१-५०० | ५२४०९ | ७५.०० | ०.०० | ८.८० | १.४४ | १.०५ | १००.०० | ०.०० | ९.९७ | ०.०० | ६.०% |
| >५०१ | ३०३९२ | १००.०० | ०.०० | १०.८० | १.८५ | १.३४ | १२५.०० | ०.०० | १२.१७ | ०.०० | ६.०% |
| एलटी-II(ए) वाणिज्य | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | २३३६०२ | २५०.०० | ०.०० | ८.४५ | १.४८ | १.१० | ३००.०० | ०.०० | ९.७६ | ०.०० | ५.५% |
| >५०० | ३२२७१ | २५०.०० | ०.०० | १०.९५ | २.२० | २.५० | ३००.०० | ०.०० | ९.७६ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-II(बी) वाणिज्य | ५९०९ | ०.०० | २००.०० | १०.३० | २.१५ | १.५८ | ०.०० | २५०.०० | ७.८६ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-II(सी) वाणिज्य | २६९१ | ०.०० | २००.०० | १०.७० | २.१८ | १.६१ | ०.०० | २५०.०० | ९.७५ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-३ औद्योगिक | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | ५८१३ | ३२५.०० | ०.०० | ७.०० | १.४० | १.०४ | ३५०.०० | ०.०० | ९.०६ | ०.०० | ५.५% |
| >५०० | १९९७ | ४२५.०० | ०.०० | ९.३० | १.९६ | २.१६ | ४५०.०० | ०.०० | ९.०६ | ०.०० | ६.५% |
| एलटी-IV (ए) औद्योगिक | ११२० | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७५ | १.२८ | ०.०० | २५०.०० | ८.६४ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-IV (बी) औद्योगिक | ११६ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७२ | १.२४ | ०.०० | २५०.०० | ९.४२ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-V जाहिराती आणि सुचना फलक | ९०८ | ४००.०० | ०.०० | १५.०० | ३.१६ | २.२९ | ४५०.०० | ०.०० | १७.४७ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-VI मार्गप्रकाश | ७४१ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.५२ | १.१२ | ०.०० | २५०.०० | ८.८४ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी-VII (ए)धार्मिक – प्रयोजन तात्पुरता | ५ | २००.०० | ०.०० | ४.९० | ०.८७ | ०.७२ | २५०.०० | ०.०० | ६.१९ | ०.०० | ५.५% |
| एलटी- VII(बी) इतर | १६०७ | ४००.०० | ०.०० | १२.५० | २.५३ | १.८९ | ४५०.०० | ०.०० | १५.८७ | ०.०० | ५.५% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|------|------|------|--------|--------|------|------|------|--|
| - तात्पुरता | | | | | | | | | | | | |
| एलटी-VIII दहनभूमी | ३० | २००.०० | ०.०० | ५.१० | ०.८३ | ०.५५ | २५०.०० | ०.०० | ६.२२ | ०.०० | ५.४% | |
| एलटी-IX(ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | २२१५ | २५०.०० | ०.०० | ९.०० | १.८३ | १.५१ | ३००.०० | ०.०० | ९.०५ | ०.०० | ५.५% | |
| एलटी- IX(बी) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | ५५७ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.८३ | १.४२ | ०.०० | २५०.०० | ९.४० | ०.०० | ५.५% | |

८.१.१७: आ.व. २०१९-२० साठी प्रस्तावित वीजदर

| | ग्राहकांची संख्या | मान्यताप्राप्त वीजदर | | | | | प्रस्तावित वीजदर | | | | |
|---|-------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|------------------------------|--------------------------------|------------|
| | | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | इंधन समायोजन आकार (रु./युनिट) | स्थिर आकार एकेरी प्रवस्था (रु./जोडणी महिना) | मागणी आकार (रु.केव्हीए/महिना) | ऊर्जा आकार (रु./केडब्ल्यूएच) | प.वि.तू.व.आ. (रु./केडब्ल्यूएच) | दरवाढीची % |
| एचटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |
| एचटी –I औद्योगिक | ४४ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.५९ | १.१३ | ०.०० | २५०.०० | १०.३० | ०.०० | ५.५% |
| एचटी –II वाणिज्य | १०२ | ०.०० | २००.०० | ९.७० | १.७१ | १.१९ | ०.०० | २५०.०० | १०.३० | ०.०० | ५.५% |
| एचटी –III निवासी संकुल | १३ | ०.०० | २००.०० | ६.६५ | ०.९१ | ०.६६ | ०.०० | २५०.०० | ९.८२ | ०.०० | ६.०% |
| एचटी IV तात्पुरता | ४ | २५०.०० | ०.०० | १२.०० | २.३३ | १.६८ | ३००.०० | ०.०० | १४.७१ | ०.०० | ६.०% |
| एचटी – V (ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १७ | ०.०० | २०० | ८.८० | १.५१ | १.१७ | ०.०० | २५०.०० | ९.९२ | ०.०० | ६.०% |
| एकुण एचटी प्रवर्ग | १८० | | | | | | | | | | |
| एलटी प्रवर्ग | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|
| बिपीएल | १६० | ३.००.० | ०.०० | १.०० | ०.१२ | ०.०९ | ३.०० | ०.०० | १.५१ | ०.०० | ६.३% |
| एलटी- I निवासी | | | | | | | | | | | |
| ०-१०० | ३२७७६० | ४०.०० | ०.०० | ३.०० | ०.५५ | ०.३८ | ५०.०० | ०.०० | ४.०६ | ०.०० | ६.८% |
| १०१- ३०० | ३६४९३५ | ७५.०० | ०.०० | ६.४० | १.०३ | ०.७३ | १००.०० | ०.०० | ७.७१ | ०.०० | ६.८% |
| ३०१- ५०० | ५२९३३ | ७५.०० | ०.०० | ८.८० | १.४४ | १.०५ | १००.०० | ०.०० | १०.६५ | ०.०० | ६.८% |
| >५०१ | ३०६९६ | १००.०० | ०.०० | १०.८० | १.८५ | १.३४ | १२५.०० | ०.०० | १२.९९ | ०.०० | ६.७% |
| एलटी- II(ए) वाणिज्य | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | २३५९३८ | २५०.०० | ०.०० | ८.४५ | १.४८ | १.१० | ३००.०० | ०.०० | १०.३५ | ०.०० | ६.०% |
| >५०० | ३२५९४ | २५०.०० | ०.०० | १०.९५ | २.२० | २.५० | ३००.०० | ०.०० | १०.३५ | ०.०० | ६.०% |
| एलटी- II(बी) वाणिज्य | ५९०९ | ०.०० | २००.०० | १०.३० | २.१५ | १.५८ | ०.०० | २५०.०० | ८.३३ | ०.०० | ६.०% |
| एलटी- II(सी) वाणिज्य | २६९१ | ०.०० | २००.०० | १०.७० | २.१८ | १.६१ | ०.०० | २५०.०० | १०.३४ | ०.०० | ६.१% |
| एलटी-३ औद्योगिक | | | | | | | | | | | |
| ०-५०० | ५८१३ | ३२५.०० | ०.०० | ७.०० | १.४० | १.०४ | ३५०.०० | ०.०० | ९.७४ | ०.०० | ७.५% |
| >५०० | १९९७ | ४२५.०० | ०.०० | ९.३० | १.९६ | २.१६ | ४५०.०० | ०.०० | ९.७४ | ०.०० | ७.५% |
| एलटी-IV (ए) औद्योगिक | ११२० | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७५ | १.२८ | ०.०० | २५०.०० | ९.१६ | ०.०० | ६.०% |
| एलटी-IV (बी) औद्योगिक | ११६ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.७२ | १.२४ | ०.०० | २५०.०० | ९.९९ | ०.०० | ६.१% |
| एलटी-V जाहिराती आणि | ९०८ | ४००.०० | ०.०० | १५.०० | ३.१६ | २.२९ | ४५०.०० | ०.०० | १८.५२ | ०.०० | ६.०% |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|------|--------|--------|-------|------|------|--------|--------|-------|------|------|--|
| सुचना फलक | | | | | | | | | | | | |
| एलटी-VI मार्गप्रकाश | ७४१ | ०.०० | २००.०० | ८.९० | १.५२ | १.१२ | ०.०० | २५०.०० | ९.३७ | ०.०० | ६.०% | |
| एलटी-VII (ए)धार्मिक -प्रयोजन तात्पुरता | ५ | २००.०० | ०.०० | ४.९० | ०.८७ | ०.७२ | २५०.०० | ०.०० | ६.५६ | ०.०० | ६.०% | |
| एलटी- VII(बी) इतर - तात्पुरता | १६०७ | ४००.०० | ०.०० | १२.५० | २.५३ | १.८९ | ४५०.०० | ०.०० | १६.८२ | ०.०० | ६.०% | |
| एलटी-VIII दहनभूमी | ३० | २००.०० | ०.०० | ५.१० | ०.८३ | ०.५५ | २५०.०० | ०.०० | ६.५९ | ०.०० | ५.९% | |
| एलटी- IX(ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | २२१५ | २५०.०० | ०.०० | ९.०० | १.८३ | १.५१ | ३००.०० | ०.०० | ९.५९ | ०.०० | ६.०% | |
| एलटी- IX(बी) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | ५५७ | ०.०० | २००.०० | ९.०० | १.८३ | १.४२ | ०.०० | २५०.०० | ९.९६ | ०.०० | ६.०% | |

८.१.१८ बेस्टने तिसऱ्या बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी टी ओ डी (ToD) दर चालू ठेवण्याचे प्रस्तावित करते.

८.१.१९ बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी प्रस्तावित वीजदर गृहित धरून प्रवर्गाप्रमाणे क्रॉस सबसिडी (cross subsidy) आणि वीजदरात वाढ खालील प्रमाणे.:

तक्ता ९६: प्रस्तावित क्रॉस सबसिडी टक्केवारी

| प्रवर्ग | मान्यता क्रॉस सबसिडी % बहुवार्षिक वीजदर | | प्रस्तावित क्रॉस सबसिडी % | | | |
|--|--|--------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
| | आ.व.२०१४-१५ | आ.व. २०१५-१६ | आ.व. २०१६-१७ | आ.व. २०१७-१८ | आ.व. २०१८-१९ | आ.व. २०१९-२० |
| एचटी प्रवर्ग | | | | | | |
| एचटी -I औद्योगिक | १०३% | १०२% | ११३% | ११३% | ११३% | ११२% |
| एचटी -II वाणिज्य | ११०% | ११०% | ११४% | ११४% | ११३% | ११३% |
| एचटी -III निवासी संकुल | ७५% | ७५% | १०७% | १०७% | १०७% | १०६% |
| एचटी - IV तात्पुरता | १४०% | १३४% | १४९% | १४९% | १५०% | १५०% |
| एचटी - V(ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १०१% | १०१% | १०७% | १०७% | १०७% | १०६% |
| एकुण एचटी प्रवर्ग | | | | | | |
| एलटी प्रवर्ग | | | | | | |
| बिपीएल | ९% | १०% | १६% | १६% | १६% | १६% |
| एलटी- I निवासी | | | | | | |
| ०-१०० | ६८% | ७०% | ४३% | ४३% | ४४% | ४४% |
| १०१-३०० | ६८% | ७०% | ८५% | ८५% | ८५% | ८५% |
| ३०१-५०० | ६८% | ७०% | ११०% | ११०% | १११% | ११२% |
| >५०१ | ६८% | ७०% | १३१% | १३२% | १३३% | १३४% |
| एलटी-II(ए) वाणिज्य | | | | | | |
| ०-५०० | ११५% | ११३% | १२२% | १२२% | १२१% | १२०% |
| >५०० | ११५% | ११३% | १०९% | १०९% | १०९% | १०९% |
| एलटी-II(बी) | १२५% | १२३% | १००% | ९९% | ९८% | ९८% |

| | | | | | | |
|---|------|------|------|------|------|------|
| वाणिज्य | | | | | | |
| एलटी-II(सी) वाणिज्य | १३०% | १२७% | ११८% | ११७% | ११७% | ११६% |
| एलटी-III औद्योगिक | | | | | | |
| ०-५०० | १०६% | १०३% | १०९% | ११०% | ११०% | १११% |
| >५०० | ११०% | १०८% | १०९% | १०२% | १०३% | १०४% |
| एलटी-IV (ए) औद्योगिक | ११०% | १०८% | १०९% | १०९% | १०८% | १०७% |
| एलटी-IV (बी) औद्योगिक | १०८% | १०५% | १११% | ११०% | ११०% | ११०% |
| एलटी-V जाहिराती आणि सुचना फलक | १९५% | १८४% | २२३% | २२१% | २२०% | २१८% |
| एलटी-VI मार्गप्रकाश | १०२% | १०२% | १०८% | १०८% | १०७% | १०७% |
| एलटी-VII (ए)धार्मिक – प्रयोजन तात्पुरता | ५५% | ५४% | ६७% | ६७% | ६७% | ६७% |
| एलटी-VII(बी) इतर – तात्पुरता | १४७% | १४३% | १७३% | १७३% | १७४% | १७४% |
| एलटी-VIII दहनभूमी | ५५% | ५५% | ६८% | ६८% | ६८% | ६८% |
| एलटी-IX (ए) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | १०८% | १०४% | १०४% | १०४% | १०४% | १०४% |
| एलटी-IX (बी) इस्पितळे आणि शैक्षणिक संस्था | ११२% | १०८% | १११% | १११% | १११% | ११०% |

८.१.२० बेस्टला हे सादर करण्यास आवडेल कि, त्यांनी निर्दिष्ट नियमाच्या अंतर्गत क्रॉस सबसिडी (cross subsidy) ची टक्केवारी प्रमाणात ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. तरीही प.वि.तू.व आकार काढण्यात आल्याने आणि अस्थिर आकारातील कपातीमुळे दर कमी झाले आहेत, हे गृहित धरून काही प्रवर्गामध्ये वाढत्या / घटत्या क्रॉस सबसिडी (cross subsidy) च्या टक्केवारीत होणाऱ्या परिणामाची मागिल वर्षाशी तुलना करता येणार नाही. तसेच बेस्टने वीजदर धोरणाच्या कक्षेत राहून अनुदान प्राप्त करणाऱ्या ग्राहकांच्या अनुदान टक्केवारीत वाढ करण्याचा तर अनुदान प्राप्त केलेल्या ग्राहकांच्या अनुदान टक्केवारीत कपात करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

९. **आकाराची अनुसूची**

९.१.१ वर्तमान याचिकेमध्ये बेस्टने आकाराच्या अनुसूचीत कोणत्याही सुधारणेचा प्रस्ताव मांडला नाही आणि आकाराची अनुसूची तीच ठेवण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. परंतु बेस्ट आकाराच्या अनुसूची बाबत वेगळी याचिकादाखल करणार आहे.

१०. **वीजदर निश्चितीच्या बाबी**

१०.१.१ बेस्टने सादर केले आहे कि, मा. आयोगाने बहुवार्षिक वीजदर आदेशात परिशिष्ट -II (अ) वीजदर सूची जारी केली होती. त्यामध्ये एलटी-VII(बी)- तात्पुरता पुरवठा इतर साठी निर्देशित दर लागू करण्यात आले.

“Electricity used at Low/Medium Voltage on a temporary basis for any construction work, decorative lighting for exhibitions, circus, film shooting, marriages, etc. and any activity not covered under tariff LT VII (A), and electricity used at low/medium voltage on an emergency basis for purpose of fire fighting activity by the fire department in residential/other premises.”(emphasis added)

१०.१.२ तसेच एचटी-VI-एचटी-तात्पुरत्या स्थायि पुरवठ्याचे निर्देशित दर खालील प्रमाणे :

“Electricity used at High Voltage on a temporary basis of supply for any construction work, decorative lighting for exhibitions, circus, film shooting, marriages, etc.” (emphasis added)

१०.१.३ तसेच मा.आयोग (पुरवठा कोड आणि पुरवठ्याचे इतर अटी) विनियम २००५ च्या नियम २.१ नुसार असे आढळून आले की स्थायि पुरवठ्याची व्याख्या

“as supply of electricity for a temporary period, not exceeding two (2) years, as may be agreed between the Distribution Licensee and the applicant.”

१०.१.४ जरी बरीचशी बांधकामे दोन (२) वर्षापेक्षा अधिक कालावधीसाठी चालत असली, तरीही मा. आयोगाने दोन वर्षापेक्षा जास्त चालणाऱ्या बांधकाम कामासाठी लागू दर निर्देशित केले नाहीत. हे लक्षात घेऊन कोणत्याही बांधकामासाठी लागू दर तात्पुरता पुरवठा इ. (TsO) दर असे म्हणूनच बेस्ट बांधकामासाठी वीजपुरवठा तात्पुरता पुरवठा इ. (TSO) दरानेच करत आहे.

सध्या अनेक अर्जदार त्यांचे बांधकाम सहाजिकच दोन वर्षापेक्षा अधिक काळ चालणार असल्याने बांधकामासाठी कायम स्वरूपाचे वीजदर लागू करण्यासाठी बेस्टकडे मागणी करत आहेत. तसेच या प्रवर्गासाठी पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन पुरवण्याचे लेखी मागणी होत आहे जेणे करून अर्जदार चांगला पॉवर फॅक्टर राखतील.

वरील बाब गृहित धरून बेस्टने मा. आयोगाला बांधकाम कामासाठी स्वतंत्र वीजदर लागू करण्यासाठी विशिष्ट प्रवर्ग करण्याची याचना केली आहे उच्च दाब व लघु दाब (तात्पुरत्या प्रवर्गाला लागू असलेल्या दराप्रमाणेच हे दर अनुक्रमे लागू करावे.) तसेच या प्रवर्गासाठी २० केडब्ल्यूपेक्षा जास्त भार वापरावर पॉवर फॅक्टर प्रोत्साहन /दंड लागू करता यायची तरतूद असावी. (एचटी-I एचटी-II आणि एचटी-V श्रेणी

आणि एलटी-II बी, एलटी-II सी, एलटी-IV अ, एलटी-IV बी आणि एलटी-IX बी श्रेणीमध्ये लागू असल्याप्रमाणे).

१०.१.५ तसेच बेस्ट सुचवते कि, एलटी-VII बी – तात्पुरता पुरवठा इतर (TSO) साठी मागणी आकार हा कराराच्या मागणी च्या आधारे आकारण्यात यावा.

१०.१.६ तसेच बेस्ट सुचवते कि, “अग्निशमन यंत्रणा” हे निरंतर काळासाठी असते म्हणून याला तात्पुरत्या पुरवठा प्रवर्गातून वगळण्यात यावे. बेस्ट मा. आयोगाला “अग्निशमन” हे शब्द एलटी-VII बी – तात्पुरता पुरवठा इतर(TSO) या श्रेणीतून वगळण्याची विनंती करत आहे. तसेच बेस्ट सुचवते कि, यासाठी याचा समावेश एलटी आणि एचटी प्रवर्गामध्ये “अग्नीशमन क्रिया” असा असल्यास योग्य असेल. यासाठी वीजदर लागू अनुक्रमे एलटी TSO आणि एचटी TSO श्रेणीनुसार ठेऊ शकतात.

११. प्रार्थना

११.१.१ या परिस्थितीत आणि वरील उल्लेखित कारणांमुळे बेस्ट आदराने खालील नमुद बाबीसाठी प्रार्थना समर्पित करते.

ए) बहुवार्षिक वीजदर विनियम २०१५ च्या विनियम ५.१(ए) नुसार आ.व. २०१६-१७ ते आ.व.२०१९-२० या तिसऱ्या बहुवार्षिक नियंत्रण कालावधीसाठी बहुवार्षिक वीजदर याचिका दाखल करून घेणे.

बी) बेस्टद्वारे सादर केलेल्या परिणामी महसूल तूट आणि आ.व.२०१२-१३, २०१३-१४, २०१४-१५ चे समायोजन आणि आ.व.२०१५-१६ चे तात्पुरते समायोजन मंजूर करण्यात यावे.

सी) तिसऱ्या बहुवार्षिक वीजदर नियंत्रण कालावधीसाठी आ.व.२०१६-१७ ते आ.व.२०१९-२० साठी बेस्टद्वारे वार्षिक महसूली आवश्यकता आणि वीजदर मान्य करण्यात यावे.

डी) या याचिकेतील चुकून अनवधानाने आलेल्या बाबी माफ करून / वगळून आणि आवश्यक असल्यास बेस्टला भविष्यातील तारखेस सुधारीत / बदल करण्यात आलेली / वाढ / दुरुस्ती / फेरफार करण्यात आलेली याचिका सादर करण्याचे स्वातंत्र्य दयावे.

इ) मा. आयोगाने याचिकेतील बाबी आणि परिस्थितीचे परिक्षण करून योग्य आणि उचित वाटतील असे पुढील आणि इतर आदेश जारी करावे.
